Wednesday, 04 April, 1973

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

[खंड 26 में अंक 31 से 40 तक है
Vol. XXVI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 32—बुधवार, 4 अप्रैल, 1973/14 चैत्र, 1895 (शक)

No. 32—Wednesday, April 4, 1973/Chaitra 14,1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
601	खनिज विकास निगम के सहयोग से राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज द्वारा एक टेलीविजन यूनिट की स्थापना	Setting up a Television Unit by Rajasthan State Industries in Collaboration with Mineral Development Corporation .	1–2
602	लाल किला, दिल्ली में नृत्य, नाटक और संगीत का सप्ताह पर्यन्त समारोह	Week long Festival of Dance, Drama and Music at Red Fort, Delhi	2–3
604	आकाशवाणी द्वारा जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ टेलीविजन संबंधी करार पर हस्ताक्षर	T. V. Protocol with GDR signed by AIR	3–5
606	राज्यों द्वारा मनोरंजन करके एक भाग का सिनेमा गृहों के निर्माण पर व्यय किया जाना	Part of Entertainment Tax to be spent by States on Construction of Cinema Houses .	5–6
607	पांचवी योजना के दौरान पश्चिमी कोसी, राजस्थान और गंडक नहर परियोजनाओं को पूरा करना	Completion of Western Kosi, Rajasthan and Gandak Canal Projects during Fifth Plan .	6–8
611	वर्ष 1971 और 1972 के दौरान डाक तार कर्मचारियों को चिकित्सा बिल के भुगतान के रूप में अदा की गई धन राशि	Amount Reimbursed as Medical Bill to P&T Employees during 1971 and 1972 . . .	8–10
612	कूच बिहार शरणार्थी सेवा के पास विदेशी सीमेंट और अन्य सामान होना	Foreign Cement and and other material in Possession of Cooch Behar Refugee Service . . .	10–11
613	डाक और तार बोर्ड की अधिक स्वायत्तता	Greater Autonomy for P & T Board	11–12
614	बिहार में परमाणु बिजली घर	Atomic Power Station in Bihar .	12–13

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

LIBRARY
1.12.73.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
603	केरल के पालघाट जिले में टेलीफोन एक्सचैन्ज	Telephone Exchanges in Palghat District, Kerala . . .	13–14
605	ग्रेड III के स्टेनोग्राफरों के उच्चतर पदों के लिये आवेदन प्रेषित करना	Forwarding of Applications of Stenographers Grade III for Higher Posts . .	14
608	बन्द उद्योगों को पुन: खोलना	Reopening of Closed Industries.	14–15
609	औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को सरल करने के उपाय	Measures to simplify the procedure for Industrial Licencing.	15
610	1973-74 के लिये उड़ीसा की वार्षिक योजना	Annual Plan for Orissa for 1973-74	15
615	संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के लिये बिना लाभ, बिना हानि के आधार पर रूई तथा सामान का सप्लाई किया जाना	Supply of Cotton and Stores to sick Textile Mills on No Profit No Loss Basis . . .	16–17
616	भाभा परमाणु केन्द्र, बम्बई में उपयोग के लिये जापान से स्पेसर्स का आयात	Import of Spacers from Japan for use in the Bhabha Atomic Centre, Bombay . . .	17
617	आसाम में शिक्षा के माध्यम का प्रश्न	Medium of Instruction Issue in Assam	17–18
618	कानपुर में हुई विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर गोष्ठी	Seminar on Science and Technology held at Kanpur . .	18
619	औद्योगिक उपक्रमों के लिये सरकारी क्षेत्र में निगम	Public Sector Corporation for Industrial Undertakings .	18
620	पांचवीं योजना के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों का विकास	Development of Hill Areas during Fifth Plan . . .	19
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
5900	दैनिक पत्र अवन्तिका के साझीदारों द्वारा विनियोजित पंजी	Capital invested by Partners of Daily Avantika, Ujjain .	19
5901	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय सम्बन्धी दावे	Medical claims of Employees of Delhi Administration . .	19
5902	दिल्ली प्रशासन में लेखा संवर्ग बनाना	Formation of Accounts Cadre in Delhi Administration .	20
5903	नामों के साथ उपाधियों का प्रयोग	Use of Titles with Names .	20
5904	स्वाधीनता संग्राम के गद्दारों पर मुकदमा चलाया जाना	Trial of Traitors of Freedom Struggle	20–21
5905	अन्तर्राज्यीय विवादों को सुलझाने में क्षेत्रीय परिषदों से सहायता	Assistance from Zonal Councils in resolving Inter State Disputes	21

अता० प्र० संख्या U.S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5906	आन्ध्र प्रदेश के निकटवर्ती जिलों (चित्तूरपल्ली) में नक्सलपंथियों द्वारा पुलिस से हथियारों का छीना जाना	Snatching of Arms from the Police by Naxalites in the Districts (Chitturapalli) adjoining Andhra Pradesh .	21
5907	उड़ीसा राज्य से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का निष्कासन	Deportation of Pakistani Nationals from Orissa State .	21–22
5908	इन्दोर में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Indore.	22
5909	आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार के दुरुपयोग की घटनायें	Instances of the misuse of the Power conferred by MISA .	22
5910	प्रौद्योगिकी के अन्तरण के बारे में विशेषज्ञों की गोष्ठी	Seminar of the experts on the transfer of Technology .	22–23
5911	केरल के कवि कुमारन आसन के बारे में वृत्त चित्र	Documentary Film on Kumaran Asan, Poet of Kerala .	23
5912	केरल में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Kerala	23
5913	कालीकट रेडियो स्टेशन के कलाकारों से ज्ञापन	Memo from Artistes of Calicut Radio Station . . .	23–25
5914	केरल के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना	Grant of Pension to Freedom Fighters from Kerala . .	25
5915	केरल में व्यावहारिक वृत्ति का योजना के अधीन चयन किये गये इंजीनियरी स्नातक तथा डिप्लोमा-होल्डर	Engineering Graduates and Diploma holders selected under the Practical Stipendiary Scheme in Kerala .	25
5916	आंध्रप्रदेश में भारतीय साम्यवादी दल की भूमिका	Role of CPI in Andhra Pradesh	25–26
5917	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें	Service conditions of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees . . .	26
5918	भारत सरकार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अवर सचिव	Scheduled Caste/Scheduled Tribe Under Secretaries in Government of India . .	26
5919	सरकारी प्रतिष्ठानों में भर्ती पर लगी रोक को समाप्त करना	Withdrawing of ban on Recruitment in Government Establishments	26–27
5920	रेडियो एंड इलैक्ट्रिकल्स मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटड, बंगलौर द्वारा सस्ते टेलीविजन का माडल तैयार किया जाना	Cheaper T.V. model designed by the Radio and Electricals Manufacturing Company Limited, Bangalore . .	27

अता० प्र संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5921	आसाम में सीमेंट में मिलावट और उसकी चोरबाजारी	Adulteration and black marketing of Cement in Assam	27
5922	उत्तर प्रदेश के आगरा और झांसी जिलों के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	Public Call Offices in Villages of Agra and Jahansi Districts of Uttar Pradesh	27–28
5923	नार्थ एवेन्यु नई दिल्ली में हुई चोरियां	Thefts and burgalaries in North Avenue, New Delhi . .	28–29
5924	परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रबोधन एवं मूल्यांकन संगठन	Monitoring and Evaluation Organisation on implementation of Projects . .	29
5925	केन्द्रीय सूचना सेवा की प्रगती	Progress achieved by Central Information Service . .	29–30
5926	केन्द्रीय सूचना सेवा के आरम्भ होने से पूर्व ग्रेड चार में नियुक्ति	Appointment against Grade IV prior to commencement of CIS	30
5927	केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड 4 परीक्षा 1964	CIS Grade IV Examination, 1964	31
5928	केन्द्रीय सूचना के गठन करते समय विभागीय उम्मीदवारों को खपाया जाना	Departmental candidates absorbed at initial constitution of CIS . . .	31
5929	द्विविवाह के अपराध पर आकाशवाणी दिल्ली के कर्मचारियों का मुअत्तल किया जाना	AIR employees suspended on charge of bigamy. . .	31
5930	नारियल जटा उद्योग पर उपकर	Cess on Coir Industry . . .	32
5931	त्रिपुरा, मनीपुर, मेघालय, मिजोराम और आसाम के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग, शुरू करने के लिये जारी किये गये लाइसेंस	Licences issued for starting industries in backward areas of Tripura, Manipur, Meghalaya, Mizoram and Assam	32
5932	आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र से त्रिपुरी भाषा में प्रसारण	Broadcasting in Tripuri language from Akasvani, Calcutta	32
5933	आदिवासी विकास खंड त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण	Reservations for Scheduled Tribes in Tribal Development Block, Tripura . .	33
5934	कोरी फिल्मों की कमी	Shortage of Raw Movie Films	33
5935	नमक उत्पादन की लागत	Cost of Production of salt .	33–35
5936	औद्योगिक विकास मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्रों की कंपनियां	Public Sector Companies under Ministry of Industrial Development	36

अता० प्र० संख्या U. S Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5937	म्हैसूर में लघु इंजीनियरिंग एककों का बन्द होना	Closure of Small Scale engineering units in Mysore	36
5938	आसाम और नागालैंड में कागज बनाने वाले कारखाने स्थापित करना	Setting up of paper mills in Assam and Nagaland . .	36
5939	आसाम में उद्योग स्थापित करने हेतु निगमों को लाइसेंस जारी करना	Issue of licence to Corporations for setting up of industries in Assam	36-37
5940	अन्दमान और निकोबार प्रशासन में सचिव की नियुक्ति	Appointment of Secretary to Andaman and Nicobar Administration	37
5941	चालू वर्ष में रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं का अनुमोदन	Approval of Schemes for providing Employment during current year	37-38
5942	रोजगार उपलब्ध करने के लिए प्रारंभ की गयी योजनाओं की समीक्षा	Assessment of Schemes for Providing Employment	38
5943	पांचवी योजना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता	Assistance under UNDP for Fifth Plan . . .	38-39
5944	स्नातक/गैर स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों में से सहायक इंजीनियर नियुक्त करने के बारे में निर्माण तथा आवास मंत्रालय का प्रस्ताव	Works and Housing Ministry's proposal regarding Appointment of Assistant Engineers from Graduate/non Graduate Junior Engineers . .	39
5945	उत्तर प्रदेश के बिजली इंजीनियरों की हडताल में विदेशी एजेन्सी का हाथ होना	Involvement of Foreign Agency in Uttar Pradesh Electricity Engineers' Strike . .	39
5946	बस्ती (उत्तर प्रदेश) का विकास	Development of Basti (U.P.)	40
5947	मध्य प्रदेश में हरिजनों और आदिवासियों की सामाजिक असमर्थताओं का सर्वेक्षण	Survey for Social Disabilities of Harijans and Adivasis in Madhya Pradesh . .	40
5948	होमगार्डों को अवार्डों का वितरण	Distribution of Awards to Home Guards . . .	40-41
5949	संघलोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी	Scheduled Caste/ Scheduled Tribes Employeses in UPSC.	41-42
5950	पुन: नियुक्त किये गय भूतपूर्व सैनिकों के वरिष्ठता लाभों के बारे में आर्डर	Orders re: Seniority Benefits to re-employed ex-servicemen	42-43
5951	नई दिल्ली में दुकानों से प्राचीन मूर्तियां बरामद होना	Recovery of Ancient Idols from shops in New Delhi . .	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5952	हिन्दुस्थान पिलकिंगटनस् के विरुध्द शिकायतें	Complaints against Hindustan Pilkingtons	43
5953	उत्तर प्रदेश के मालाखान छेदियापूर्वा गांव में एक हरिजन की हत्या	Murder of a Harijan in Malakhan Chhediyapoorva Village, U.P.	43-44
5954	मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुसुमी गांवों में डाकघर की सुविधा	Post Office Facility at Kusmi Village, District Siddhi, MP. .	44
5955	टेलीफ़ोन कनेक्शन मंजूर करने में भेदभाव करना	Disparity in Sanctioning Telephone connections . .	44
5956	दक्षिण और पूर्व के अधिक सीमेंट वाले क्षेत्रों में सीमेंट संयंत्र	Cement Plant in Surplus Zones of the South and West .	45
5957	राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों पर अत्याचार के मामलों की संख्या	Number of cases of Atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes in States and Union Territories . .	45
5958	उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी तत्वों द्वारा भारत विरोधी प्रचार के लिये धार्मिक स्थानों का उपयोग	Use of Religious Places for Anti Indian Propaganda by Pakistani elements in U.P. .	45-46
5959	नेशनल इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी, कलकत्ता में उत्पादित रक्षा सामग्रियां	Defence materials produced in National Instrument Factory, Calctuta	46
5960	दिल्ली प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष को केन्द्रीय प्रेस प्रत्ययपत्र	Central Press Accreditation to President of Delhi Press Reporters Association .	46-47
5961	भारत में प्रत्याशित आयु	Life Expectancy in India	47
5962	दिल्ली में झुग्गी झोंपडी हटाओं अभियान	Jhuggi Jhonpri clearance Campaign in Delhi . .	47-48
5963	बर्न एंड कम्पनी लिमिटेड, हावडा के बारे में समिति	Committee on Burn and Company Limited, Howrah .	48
5964	परमाणु शक्ति संयंत्रो में इंधन तत्वों को बदलने के लिये निर्धारित समय	Schedule for Replacing Fuel Elements in Atomic Power Plants	48-49
5965	रेडियो और टेलीविज़न कार्यक्रमों पर कथित एकाधिकार	Alleged Monopolising of Radio and T.V. Programmes	49-50
5966	संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम को उपद्रवग्रस्त घोषित किया जाना	Declaration of Union Territory of Mizoram as a disturbed area	50
9567	संघ लोक सेवा आयोग के सचिव की पदावधि	Tenure of Secretary, UPSC .	50-51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5968	उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में कराही ग्राम के हरिजनों के मकानों को लूटा जाना	Looting of the House of Harijans of Village Karahi, District Basti, Uttar Pradesh .	51
5969	आसाम में दंगों के बारे में आसाम के पूर्ति मंत्री का वक्तव्य	Statement of Assam Minister of Supply on Assam Riots.	51-52
5970	बिहार में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता की हत्या	Murder of Samyukta Socialist Party Leader in Bihar .	52
5971	राज्यों में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के बारे में राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत	Talk with Chief Ministers of States in regard to the curbing of communal Riots in States	52
5972	बंगला देश से बिहारी मुस्लिमों द्वारा भारत की सीमा में घुसने के बाद नेपाल भाग जाना	Escape to Nepal by Bihari Muslims who crossed into Indian Borders from Bangladesh .	52-53
5973	विदेशी शक्तियों की सहायता से नागालैंड में पुन: उपद्रव आरम्भ करने की विद्रोही नागाओं की योजना	Plan for Rebel Nagas to Re-start Trouble in Nagaland with the Assistance from foreign Powers . . .	53
5974	तैयारी समितियों (प्रीपेरेटरी कमेटी) और ग्रुपों के प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिये भारत रूस संयुक्त पैनल की बैठक	Meeting of the Indo Soviet Joint Panel to consider Reports of the Preparatory Committees and Groups .	53-54
5975	शिक्षित बेरोजगारों के लिये स्वनियोजन	Self-employment for Educated Unemployed . . .	54-55
5976	शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना	U.P. Government scheme for Additional Job Opportunities for Educated Unemployed .	55
5977	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि	50 per cent increase in population of Andaman and Nicobar Islands . . .	55
5978	श्री कल्याण बसु के पासपोर्ट को जप्त किया जाना	Impounding of Passport of Shri Kalyan Basu . . .	55-56
5979	1973-74 में गुजरात में पिछड़े जिलों के विकास के लिये धनराशि का नियतन	Allocation of Funds for Development of Backward Districts in Gujarat during 1973-74.	56
5980	पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये हरियाणा को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Haryana for Development of Backward Areas . . .	56-57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5981	गुजरात में लघु उद्योगों के विकास के लिये निर्धारित की गई धनराशि	Funds earmarked for development of Small Scale Industries in Gujarat . . .	57
5982	एक्स-रे फिल्मों का आयात	Import of X-Ray Films	57-58
5983	औद्योगिक विकास के लिये जम्मू और कश्मीर को सहायता	Assistance to Jammu and Kashmir for Industrial Development	58
5984	बस्तर (मध्य प्रदेश) में आदिवासियों के लिये कल्याण योजनाओं की राशि का उपयोग न किया जाना	Non utilisation of Funds for welfare Schemes for Adivasis in Bastar (Madhya Pradesh)	58-59
5986	आंध्र आन्दोलन का राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव	Effect of Andhra agitation on Economy of the State .	59
5989	फिल्मस् डिवीजन द्वारा भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ का प्रचार	Publicity to 25th Anniversary of India's Independence by Films Division . .	59
5990	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर स्टालों का गिराया जाना	Demolition of Stalls outside New Delhi Railway Station .	59
5992	बिहार के जिला मुंगेर के खुर्ना गांव में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा एक हरिजन को पीटा जाना	Beating of a Harijan by Caste Hindus in village Khurna, District Monghyr, Bihar	60
5993	नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में काम करने वाले बिजली कर्मचारियों को अनुग्रह-पूर्वक भुगतान	Payment of ex-gratia amount to Electricity Employees working in NDMC and D.E.S.U.	60
5996	विद्युत उत्पादन के लिये पवन चक्कियों की उपयोगिता के बारे में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति का प्रतिवेदन	N. C. S. T. S. Report on utility of windmill for generating Electricity	60-61
5997	श्री अमृत भूषण गुप्त के मृत्यु दण्ड में परिवर्तन	Commutation of Death sentence of Amrit Bhushan Gupta .	61
5998	पालघाट टाउन में टेलीफोन सब-डिवीजन	Telephone sub-division in Palghat Town	61
5999	नारियल जटा बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध मामले	Cases against Officers of Coir Board	61-62
6000	पांचवीं योजना में उत्तर प्रदेश के लिये कुल परिव्यय	Outlay for Uttar Pradesh during Fifth Plan . .	62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6001	पिछड़े क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक कारखानों की स्थापना	Setting up of Electronic Factories in Backward Areas	62–63
6002	उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यों में असंतुलन	Imbalance in the Developmental Activities among various Regions of Uttar Pradesh .	63–64
6003	"चर्चा का विषय है" नामक कार्यक्रम के लिये लोगों को बुक करना	Booking of persons for Charcha ka Vishaya Hai . . .	64
6004	वाणिज्यिक प्रसारण सेवा चंडीगढ़ तथा जालंधर में काम कर रहे कर्मचारी	Staff on Commerical Broadcasting Service Chandigarh and Jullundur . . .	64–66
6005	बम्बई में सांप्रदायिक दंगे	Communal Clash at Bombay	66–67
6006	हरिजनों को तंग करने की घटनाओं की जांच करने के लिये गृह सचिव का उत्तर प्रदेश का दौरा	Visit of the Home Secretary to Uttar Pradesh State to enquire into harassment of Harijans	67
6007	शाखा डाकघरों के खोले जाने संबंधी नियम	Rules Governing opening of Branch Post Offices	67–68
6008	1971 और 1972 के दौरान डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को दिया गया वेतन	Salary Bill for P & T Employees for 1971 and 1972 . .	68
6009	कूच बिहार के दिनहाटा सब डिवीजन में सीमा सुरक्षा दल द्वारा एक मोटर कार का रोका जाना	Interception of a Motor Car by BSF, at Dinahata Sub-division, Distt. Cooch Behar .	68–69
6010	सीमा सुरक्षा दल के भूतपूर्व कमांडेंट का कूच बिहार शरणार्थी सेवा से संबंध	Association of a former BSF Commandant with Cooch Behar Refugee Service .	69
6011	बिहार के फिल्म निर्माताओं द्वारा मैथिली भोजपुरी आदि बोलियों में फिल्मों का तैयार किया जाना	Bihar Producers producing Movies in Maithili, Bhojpuri, etc.	69–70
6012	दिल्ली में संगीत और नाटक प्रभाग के लिये भवन	Building for Song and Drama Division in Delhi. . .	70
6013	संगीत और नाटक प्रभाग द्वारा नाटकों का तैयार किया जाना	Plays produced in Song and Drama Division . . .	70
6014	जयपुर में ग्राम्य उद्योग परियोजना	Rural Industries Project in Jaipur (Rajasthan) . .	70
6016	दिल्ली और कलकत्ता के बीच दूर संचार लाईन का रुक जाना	Disruption of Telecommunication lines between Delhi and Calcutta	71

अता० प्र० संख्या० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6017	शिमला जिले के टिककर स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना	Opening of Telephone Exchange at Tikkar in Simla, Himachal Pradesh	71
6018	सरकार द्वारा की गई तदर्थ नियुक्तियों पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा खेद प्रकट किया जाना	Ad-hoc Appointments by Government deplored by UPSC	71–72
6019	आंध्र और तेलंगाना के नेताओं के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत	Talks of Prime Minister with Leaders of Andhra and Telengana	72
6020	नई दिल्ली के टेलीविजन के केन्द्र में पुरुष की अपेक्षा महिला कर्मचारियों की संख्या	Strength of male and female employees in T.V. Centre, New Delhi	72–73
6021	कागज उत्पादों को ऊंचे दरों पर बेचना	Sale of paper products at High Rates	73
6022	पश्चिम बंगाल के गोला बारूद की बरामदगी	Seizure of Arms and Ammunitions from West Bengal .	73–74
6023	दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंजों में काल आपरटर	Call Operators in Delhi Telephone Exchanges . .	74
6024	कृष्णनगर दिल्ली-51 के निवासियों में पुलिस चौकी के इन्चार्ज के विरुद्ध रोष	Resentment among the residents of Krishna Nagar, Delhi–51 against the Incharge of Police Post	74
6025	दिल्ली प्रशासन द्वारा आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत चलाये गये मामले	Cases instituted by Delhi Administration under Maintenance of Internal Security Act	75
6026	कोटा, राजस्थान में डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की प्रणाली को लागू करना	Introduction of Direct Dialling of Telephone System in Kota, Rajasthan . .	75
6027	जयपुर के रेल डाक सेवा के कार्यालय के ऊपर विश्राम गृह, मनोरंजन गृह, और निरीक्षण गृह का निर्माण	Construction of Rest House, Recreation Room and Inspection Room over R.M.S. Office Jaipur. . .	75
6028	कोटा के इन्स्ट्रूमेंटेशन यूनिट का विस्तार	Expansion of Instrumentation Unit of Kotah	76
6029	सवाई माधोपुर के रेल डाक सेवा कार्यालय के लिये छोटी इमारत	Small Building for R.M.S. Office Sawai Madhopur .	76
6030	पुलिस जनता संबंध सुधारना	Improving Police People Ties .	77–78
6031	नई दिल्ली नगर पालिका की बिजली जल और सफाई संबंधी सेवाएं	Electricity, Water and Conservancy Services of NDMC .	78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6032	पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाने के लिये जिला योजनाएं तैयार करने के लिये पश्चिम बंगाल को सहायता	Assistance to West Bengal for Preparing District plans for Identifying Problems of Backward Regions . .	78
6033	जनगणना के आधार पर भारत में भिखारियों की संख्या	Beggars in India on the Basis of Census	79
6034	मनीपुर में सीमेंट और कागज की लुगदी उद्योग	Cement and paper Pulp Industries in Manipur. . . .	79
6035	बिजली की कमी के कारण आकाशवाणी इम्फाल की पूर्ण क्षमता का उपयोग न किया जाना	Full Capacity of AIR Imphal not utilised owing to shortage of Power	79–80
6036	इम्फाल में स्वचालित एक्सचेंज	Automatic Exchange in Imphal	80
6037	दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षण	Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribe in Delhi Administration, Delhi Municipal Corporation and NDMC	80
6038	नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Employees of Coir Board	81
6039	लघु यूनिटों के लिये सुविधायें	Facilities for Small Units . .	81
6040	सी० आई० ए० की गतिविधियां	Activities of CIA . . .	81–82
6041	परमाणु शक्ति संयंत्रों में बिजली का उत्पादन	Generation of electricity in Atomic Power Plants . .	82
6043	1 अप्रैल, 1973 के बाद बंगला देश शरणार्थी सहायता डाक टिकटों का प्रयोग	Use of Bangla Desh Relief Postal Stamps after 1-4-1973	83
6044	भारतीय सीमेंट निगम द्वारा डालमिया सीमेंट ग्रुप से बकाया राशि की वसूली	Recovery of dues from Dalmia Cement group by Cement Corporation of India . .	83
6045	एक टेलीफोन एक्सचेंज में रजिस्टर हुए उम्मीदवार के नाम का दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में विनावरिष्ठता खोये अन्तरण	Transfer of registration with one Telephone Exchange to another without loss of seniority	83–84
6046	केरल के पालघाट नगर में डाक तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of quarters for P&T staff in Palghat Town, Kerala	84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6047	कालीकट (केरल) में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना	Telephone Exchange at Calicut, Kerala	84–85
6048	थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र में मौसम विज्ञान अनुसंधान के लिये अधिक सुविधाओं की व्यवस्था	Expansion on Meteorological Research facilities in Thumba Space Research Centre	85
6049	जम्मू और कश्मीर राज्य में राजनीतिक दलों द्वारा अनुच्छेद 370 का उत्पादन करने की मांग	Abrogation of Article 370 demanded by political parties in J & K State	85
6050	औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्रों का निपटारा करने में विलम्ब	Delay in disposal of applications for Industrial Licences	86
6051	पूर्वी क्षेत्र में टेलीविजन सेवा के लिये उपग्रह	Satelite for T. V. service for Eastern region . . .	86
6052	'बुलेटिन बाई दि इन्टरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी' में प्रकाशित लेख	Article published in the Bulletin by the International Atomic Energy Agency . .	86–87
6053	आन्ध्र प्रदेश शराब कान्ड संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of the Enquiry Committee Andhra Pradesh Liquor Tragedy . . .	87
6054	नेशनल फ्रंट आफ इंडियन ट्रेड युनियन की गतिविधियां	Activities of National Front of Indian Trade Union .	87
6055	डाक तार अधिकारियों द्वारा एस० टी० डी० सेवा का कथित दुरुपयोग	Alleged misuse of STD calls by P & T Officers . . .	88–89
6056	कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में सीमेंट का कारखाना	Cement factory at Cooch Behar, West Bengal . . .	89
6057	कूच बिहार, पश्चिम बंगाल, में सिग्रेट कारखाना	Cigarette factory at Cooch Behar, West Bengal . .	89
6058	देश के विभिन्न आन्तरिक खतरों का मुकाबला करने के लिये सिविल फोर्स	Civil Force to cope with various internal threats to the country	90
6059	पांचवीं योजना का मसौदा	Draft Fifth Plan	90
6060	अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी	International News Agency .	90
6061	हिंसा को दबाने के लिये जन संपर्क के माध्यमों का उपयोग	Utilisation of Mass Media in Curbing Violence. . .	91
6062	डेनमार्क में थिंकिंग फ्राईंग पैन के अविष्कार	Thinking Frying Pan Invented in Denmark . . .	91

अता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6063	दूर संचार विंगों के राजपत्रित अधिकारियों को दिये गये लाभ	Benefits given to Gazetted Officers of Telecommunication Wings	91–92
6064	टेलीफोन प्रयोगकर्ताओं से बकाया राशि की वसूली	Recovery of dues from Telephone Subscribers . . .	92–93
6065	उत्तर प्रदेश में भाभा परमाणु ऊर्जा संस्थान केन्द्र की स्थापना	Setting up of a Centre of Bhabha Atomic Energy Institution in U.P.	94
6066	पोर्ट ब्लेयर के स्कूलों में भाषा	Language in Port Blair Schools.	94
6067	आई० एस० आर० ओ० एन० ए० एस० ए० संयुक्त प्रयोग का भारतीय अन्तरिक्ष में अमरीकी गुप्तचर व्यवस्था शीर्षक से समाचार	News Paper Report Captioned ISRO Nasa Joint Experiment or US Espionage system over Indian Space. . .	94
6068	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के हार्बर मास्टर द्वारा गैर सरकारी स्वामित्व वाले जहाजों और मोटर नावों की गतिविधियों पर नजर रखना	Checking of Movements of Privately owned vessels and Motor Boats by Harbour Master of Andaman and Nicobar Islands . .	95
6069	अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद	Inter State Boundary Disputes	95
6070	राज्यों द्वारा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन बन्दी बनाये गये व्यक्तियों के मामलों की केन्द्रीय सरकार को दी गई सूचना	Number of cases of the arrested persons under MISA Reported to Central Government by the States . . .	95–96
6072	टार्चों के खोलों के निर्माण पर नियंत्रण	Control on Manufacture of Flash Light Cases . .	97
6073	भारत में सोवियत सहायता से चल रही परियोजनाओं सम्बन्धी स्केचकोव रिपोर्ट	Skachkov Report on Soviet aided Projects in India .	97
6074	आकाशवाणी के विशाखापत्तनम केन्द्र में उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर	High Power Transmitter at AIR Visakhapatnam . .	98
6075	आकाशवाणी के कडप्पा केन्द्र से दिन के समय क प्रसारण	Day time Broadcast over Cuddappah Station of AIR .	98
6076	तदर्थ पदों पर कार्य कर रहे अनुसंधान अधिकारियों/सहायक निदेशकों को भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा में सम्मिलित करना	Inclusion of Research Officers/Asstt. Directors working on ad hoc posts in the Indian Economic Service/Indian Statistical Service . .	98
6077	एकाधिकारी गृहों से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र	Application for Industrial Licence from Monopoly Houses	69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6078	रेडियो आइस्टोप्स का विस्तृत प्रयोग	Wider application of Radio Isotopes	99
6079	हिमाचल प्रदेश के लिये वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना	Annual Plan for Himachal Pradesh for 1973-74 . .	99–100
6080	आधुनिक भारत के निर्माता शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन	Publication of a Book entitled Adhunik Bharat Ke Nirmata .	100–102
6081	पीत पत्रकारिता (येलो जर्नलिज्म) के विरुद्ध विधान	Legislation against Peet Patrikarita (Yellow Journalism) .	101–102
6082	राष्ट्रीय एकता के लिये संगठन और परियोजनाएं	Organisations and Projects for National Integrations . .	102
6083	डाक अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना	Location of Postal Research and Development Centre .	102–103
6084	पांचवीं योजना के दौरान गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas of Gujarat during Fifth Plan	103
6085	1970-71 में बनाई गई फिल्में	Films produced during 1970-71	103–194
6086	भारत में सीमेंट के चालू कारखाने	Cement Factories Functioning in India	104
6087	1972 में बनाई गई फिल्में	Films produced in 1972 .	105
6089	रोजगार के अवसर बनाने के कार्यक्रम के बारे में संसद सदस्यों के विचार	Views of Members of Parliament on the Programme to create Employment Opportunitites	105
6090	निजाम हैदराबाद की प्राइवेट इस्टेट के कर्मचारियों से अभ्यावेदन	Representation from Employees of Nizam of Hyderabad's Private Estate	105–106
6091	पोर्ट लेब्यर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा स्थापित करना	Installation of Statue of Netaji Subhas Chandra Bose at Port Blair	106
6092	संसद सदस्यों के दल द्वारा अंडमान सेल्यूलर जेल का दौरा	Visit of a Team of M. Ps to Andaman Cellular Jail . .	106–107
6093	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production in West Bengal	107
6094	बिहार में डी० जी० टी० डी० की शाखाएँ खोलने का प्रस्ताव	Proposal for Opening DGTD Branches in Bihar . .	107–108
6095	दिल्ली में सीमेंट की कमी	Shortage of Cement in Delhi	108
6096	हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिये योजना	Scheme for Development of Industries in Himachal Pradesh	108–106

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6097	हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Public Sector Industries in Himachal Pradesh	109
6098	प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने जन संघ के लोगों द्वारा धरना	Dharna by Jana Sangh People in front of the Residence of Prime Minister . . .	109–110
6099	डा० महताब और श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध जांच	Enquries against Dr. Mahtab and Shri Biju Patnaik .	110
	आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम में संशोधन करने के बारे में उच्चतम न्यायालय के समक्ष महान्यायवादी के वक्तव्य से संबन्धित समाचार के बारे म	Re. Reported Statement of Attorney-General before Supreme Court About Amending maintenance of Internal Security Act . . .	110–113
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	114
	सदस्यों द्वारा उठाये गये विविध मामले	Miscellaneous issues raised by Members	115
	अनुदानों की मांगे, 1973-74—	Demands for Grants, 1973-74—	
	भारी उद्योग मंत्रालय—	Ministry of Heavy Industry—	
	श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai . .	115–116
	श्री वी० मायावन	Shri V. Mayavan . .	116–117
	डा० गोविंददास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya	117
	डा० कैलाश	Dr. Kailas . . .	117–118
	श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	118
	श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai . .	118–125
	शिक्षा ओर समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग—	Ministry of Education and Social Welfare and Department of Culture. .	
	उपाध्यक्ष महोदय	Mr. Deputy Speaker. .	125–136
	श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	Shrimati Bibha Ghosh Goswami . . .	136–138
	डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das .	138
	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	138–139
	श्रीमती वी० जयलक्ष्मी	Shrimati V. Jayalakshmi .	139–141
	श्री सुधाकर पांडे	Shri Sudhakar Pandey .	141–142
	श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	142–143
	श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan .	143–144

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री गंगाचरण दीक्षित	Shri G. C. Dixit	144–145
श्री धन शाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	145
श्री अमर सिंह चौधरी	Shri Amar Singh Chaudhari	145–146
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	146
श्री टी० डी० काम्बले	Shri T. D. Kamble	146–147
श्री भालजीभाई परमार	Shri Bhaljibhai Parmar	147–148
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	148
आधे घंटे की चर्चा—	Half-An-Hour Discussion—	
सियालदाह डिवीजन (पूर्व रेलवे) पर विशेष रेलगाडियां चलाने से आय—	Earnings by Running Special Trains on Sealdah Division (Eastern Railway)—	
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy	148–149
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	50

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 4 अप्रैल, 1973/14 चैत्र, 1895 (शक)
Wednesday, April 4, 1973 / Chaitra 14, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKAR *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खनिज विकास निगम के सहयोग से राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज द्वारा एक टेलीविजन यूनिट की स्थापना

*601. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या इलैक्ट्रानिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज द्वारा खनिज विकास निगम के सहयोग से एक टेलीवीजन यूनिट की स्थापना के लिये सरकार ने लाइसेंस देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस यूनिट की प्रस्तावित क्षमता कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णा चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज तथा खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर को 14-4-1972 को राजस्थान में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापना करने के लिये टी० वी० सैटों के निर्माणहेतु आशय पत्र स्वीकार किया गया है। जिसकी वार्षिक क्षमता 5,000 संख्या होगी ।

Shri Ram Prakash : May I Know whether Television Unit proposed to be set-up in Rajasthan will be set-up in a backward area of Rajasthan so that people of that area could get employment?

Shri K. C. Pant : This letter of intent has been granted for Jaipur.

Shri Ram Prakash : What is the position of letter of intent?

Shri K. C. Pant : It is progressing. Some land has been acquired . A young engineer has set-up a Public limited company named Pantagaon Electronics. Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation have decided to set-up this company under Joint sector. Registrar of Companies has approved the draft memorandum and articles of association of the company. State Government have informed us that the company have prepared a prototype which is being tested.

Shri Ram Prakash : Will it be provided with foreign assistance and if so, to what extent?

Mr. Speaker : There is no question of foreign assistance You have already put two questions.

2—8 L.S.S./73

श्री हरि किशोर सिंह : क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपेक्षित टी० वी० सैटों की संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ? टी० वी० सैट बनाने के लिये कितने अतिरिक्त लाइसेंस दिये जायेंगे तथा क्या इन सैटों का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में किया जाएगा अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में ?

श्री कृष्णा चन्द्र पंत : पहले यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 2 लाख सैटों की आवश्यकता होगी। जहां तक चौथी योजना का संबंध है वह लगभग पूरा हो चुका है तथा लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं। जहां तक मुझे याद है यह लगभग 2 लाख से 3 लाख के बीच में है। पांचवीं योजना के अंत तक लगभग 5 लाख सेटों की परियोजना बद्ध मांग होगी तथा लाइसेंस जारी कर दिये जाएंगे। जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है इलक्ट्रानिक्स आयोग एक स्पष्ट नीति का अनसरण करता है जो सरकारी क्षेत्र को तथा गैर सरकारी क्षेत्र के लघु उद्योगों को लाइसेंस देता है तथा इस नीति का इस प्रकार अनुसरण किया जा रहा है कि सारे देश में समान वितरण हो सके।

लाल किला, दिल्ली में नृत्य, नाटक और संगीत का सप्ताह पर्यन्त समारोह

*602. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली के लाल किले में नृत्य, नाटक और संगीत का एक सप्ताह का समारोह आयोजित किया गया था;

(ख) क्या यह समारोह भारत की स्वाधीनता की 25 वीं वर्षगांठ समारोह के भाग के रूप में आयोजित किया गया था; और

(ग) क्या दिल्ली के आकाशवाणी और टेलीविजन केन्द्र ने इस पर कोई वृत्तचित्र बनाया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) जी, नहीं। परन्तु इस समारोह के उद्घाटन के दिन इसका एक समाचार टेलिविजन पर तथा युवकों के दो बुलेटिनों में और प्रादेशिक बुलेटिन में भी शामिल किया गया था। तथापि, तत्पश्चात ये निर्देश जारी किए गए हैं, कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण समारोह का विभिन्न माध्यमों द्वारा लाभ उठाया जाना चाहिए।

श्री एम० कतामुतु : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में भावी प्रगति के बारे में बताया है किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में वृत्त चित्र क्यों नहीं बनाया जिससे अन्य स्थानों पर भी जहां टैलीवीजन हैं लोग इसे देख सकते।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : समारोह में भाग लेने वाले कलाकार आकाशवाणी के सामान्य कायक्रमों में भी नियमित रूप में भाग लेते रहते हैं। हमने उनके कार्यक्रमों को टेप रिकार्ड किया हुआ है जिनका समय समय पर उपयोग किया जाता है। ये टेप रिकार्ड सबसे अच्छे स्टूडियों में तैयार किये गये हैं जहां स्वाभाविक रूप से रिकार्डिंग बहुत अच्छी होती है। किन्तु जब यह कार्यक्रम किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक हाल आदि में आयोजित किया जाता है तो वहां पर कभी कभी रिकार्डिग अच्छी नहीं हो पाती तथा इसी कारण हम ऐसा नहीं कर सके। राष्ट्रीय हित की दृष्टि से में समझता हूं कि इस अवसर का अधिक लाभ उठाया जा सकता था। इसी लिये यह आदेश दिये गये हैं कि भविष्य में ऐसे अवसरों का अधिक लाभ उठाया जाए।

श्री एम० कतामुत्तु : शिक्षा मंत्रालय इस समारोह का आयोजन करता है । क्या उन्होंने इस मंत्रालय से प्रसारण के बारे में अनुरोध किया था, क्या दोनों मंत्रालयों में समन्वय की कमी के कारण ऐसा हुआ है अथवा उनमें कोई पारस्परिक विवाद है?

श्री आई० के० गुजराल : इस समारोह के आयोजन में दोनों मंत्रालयों ने पूर्ण सहयोग से कार्य किया है। इसमें कोई संदेह नही है । सूचना मंत्रालय के तकनीकी सहायकों, साउंड इंजीनियरों आदि ने शिक्षा मंत्रालय की सहायता की है। दोनों मंत्रालयों के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नही था।

श्री समर गुह : मुझे नृत्य और नाटक देखने का अवसर मिला था, तथा राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम बेजोड था। मेरे विचार से विशेषकर विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम को दखने का अवसर मिलना चाहिये था। आज राष्ट्रपति उन क्रांतिकारियों की एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का उद्घाटन करने विदेश जा रहे है जिन्होनें हमारी स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया था। मंत्रालय को इन अवसरों पर भी एक वृत्तचित्र बनाना चाहिये जिसे विद्यार्थियों को दिखाया जाए जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भूलते जा रहे हैं।

श्री आई० के० गुजराल : मैं माननीय मित्र से सहमत हूं । हम इस पर पर्याप्त ध्यान देते है क्योंकि हमारी यह नीति है कि मंत्रालय के विभिन्न माध्यम इन प्रदर्शनियों का उपयोग करे तथा विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम बनाने के लिये विचार व्यक्त किये जाने के माध्यम का उपयोग करे ।

Shri R. P. Yadav : In view of the fact that the dances of the various states performed by the artists of the Ministry of Information and Boradcasting do not depict the traditional art of the concerned places, may I know whether Government will consider the proposal to invite the regional artists to perform thier dances whenever such cultural Programmes are held ?

श्री आई० के० गुजराल : माननीय मित्र को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि देश के प्रत्यक क्षेत्र में रेडियों स्टेशन है। जहां तक गीत और नाटक का सम्बन्ध है इस क्षेत्र में प्रतिभाशाली कलाकारों का एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर कार्यक्रम देने के लिये अदान प्रदान होता है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या नृत्य, नाटक और संगीत के इस एक सप्ताह के समारोह को सामान्य जनता रियायती दरों पर देख सकी है और यदि हां तो उन्हें कितनी रियायत दी गई ।

श्री आई० के० गुजराल : यह समारोह लगभग एक सप्ताह तक चलता रहा तथा जहां तक मुझे ज्ञात है इसे बहुत से लोगों ने देखा है तथा प्रवेश शुल्क बहुत मामूली था।

आकाशवाणी द्वारा जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ टेलीविजन सम्बन्धी करारपर हस्ताक्षर

+

*604. **श्री मान सिंह भौरा :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ, एक टलीविजन सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किये है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सन्धि पत्र की मुख्य बातें इस प्रकार है :

(1) संगीत, नाटक, खेलकूद जैसे विषयों तथा वैज्ञानिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक रुचि के मामलों पर फिल्मों और विडियो टेप रिकार्डों का आदान प्रदान।

(2) समाचार फिल्म सामग्री का आदान प्रदान।

(3) संवाददाताओं और कैमरामैनों को पारस्परिक आधार पर सहायता तथा दोनों देशों क बीच प्रतिनिधि मण्डलों के आदान प्रदान की व्यवस्था।

श्री मान सिंह भौरा : यह बहुत अच्छी बात है कि हमने जर्मन जनवादी गण-राज्य के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किये है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक समाजवादी देश है तथा उनके पास उनके राष्ट्रीय निर्माण के बारे में कुछ फिल्में हैं क्या सरकार कोई एसा प्रबंध करने जा रही है कि उन फिल्मों को हमारे देश में दिखाया जाए जिनसे देश की जनता में समाजवाद के प्रति उत्साह जाग सके?

श्री आई० के० गुजराल : यह आदान प्रदान कार्यक्रम है तथा इसके बारे में जर्मन जनवादी गण राज्य निर्णय करेगा कि वे कौनसी फिल्में भेजते है। हमें यह भी देखना है कि हमारे दृष्टीकोण के अनुसार क्या कार्यक्रम उपयुक्त है। एक बात और भी ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में भाषागत बाधा भी सामने आती है।

श्री मान सिंह भौरा : आपके लिखित उत्तर में कहा है कि " संवाददाताओं और कैमरा-मेनों को पारस्परिक आधार पर सहायता तथा दोनों दशों के बीच प्रतिनिधि मण्डलों के आदान प्रदान की व्यवस्था है" । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जर्मन जनवादी गण राज्य उन देशों में से है जहां खेल कूदों का बहुत अधिक विकास हुआ है—गत ओलम्पिक खेल कुदों के दौरान यह हमने देख लिया है—तथा हम यह भी जानते है कि हमारे देश में कौन कौन से खेल खले जाते है, क्या सरकार वहां खिलाडियों का कोई शिष्टमंडल भेजेगी जो इस बात का पता चलाए कि उन्होंनें खेलों का विकास किस प्रकार किया है ?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक खिलाडियों के आदान प्रदान का सम्बन्ध है यह ोनों देशों के बीच सामान्य सांस्कृतिक समझौते का एक अंग होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ करार का सम्बन्ध रेडियो और टेलिविजन कार्यक्रमों से सम्बन्धित है।

श्री मान सिंह भौरा : मूल उत्तर के भाग (ख) के (i) में आपने बताया है कि "संगीत नाटक, खल कूद जसे विषयों तथा वैज्ञानिक, शक्षिक एवं सांस्कृतिक रुचि के मामलों पर फिल्मों और टेप रिकार्डों का आदान प्रदान।"

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक सामग्री का सम्बन्ध है, यह सच है कि इस व्यापक परिधि मे खिलाडी भी आत हैं।

जहां तक खेल कूद का सम्बन्ध है हाल ही में वहां से एक दल आया था तथा हमने यहां एक समारोह किया था जो एक सप्ताह तक चला तथा जिसमें खेल कूद सम्बन्धी कहीं भी बनी फिल्मों को दिखाया गया था और उसमें जर्मन जनवादी गणराज्य की फिल्में भी सम्मिलितथीं।

श्री अर्जुन सेठी : क्या माननीय मंत्री उन अन्य देशों के नाम भी बताएंगे जिन के साथ इस प्रकार के करार किये गये हैं अथवा भविष्य में किए जाने का प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल जर्मन जनवादी गणराज्य से संबन्धित है। (**व्यवधान**)

श्री अर्जुन सेठी : क्या यह करार उस करार से भिन्न है जिस पर शिक्षा मंत्री न हमारे देश में जर्मन भाषा क विकास के बारे में हाल म हस्ताक्षर किए है ?

श्री आई० के० गुजराल : यह भिन्न प्रश्न है ।

Part of Entertainment Tax to be spent by States on Construction of Cinema Houses

*606. **Shri Dhan Shah Pradhan** :
Shri Rana Bahadur Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3361 on 14th March, 1973 regarding the demand for theatres in the country and state the names of the States which have agreed to the recommendation made at Conference of State Ministers of Information to divert a fixed proportion of collections from entertainment tax for promoting the construction of more cinemas ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : दिसम्बर 1972 में नई दिल्ली में हुए राज्यों के सूचना मन्त्रियों के सम्मेलन में त्रिपुरा के सिवाए सभी राज्य सरकारों ने भाग लिया था। यह सिफारिश कि राज्यों को मनोरंजन कर के रूप में वसूल होने वाली राशि का एक निश्चित भाग और सिनेमा घरों के निर्माण के लिए अलग से रखना चाहिए, सर्व सम्मति से पास हुई थी।

Shri Dhanshah Pradhan : I want to know the names of the States which have and which have not accepted this recommendation. Secondly, may I know whether there is any difference in the rates of entertainment tax in 'A' and 'B' Class cities and if so the extent thereof and why ? Thirdly whether the rate differs in the same city and if so, why ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : उक्त संकल्प सभी राज्यों के सूचना मन्त्रिओं द्वारा पास किया गया था अतः कुछ राज्यों द्वारा इसे मानने और कुछ द्वारा न मानने का तो प्रश्न ही नहीं है। अब मैंने सभी मुख्य मन्त्रिओं को पत्र लिखा है जिसमें उन का ध्यान उक्त सिफारिश की ओर दिलाते हुए उन से अनुरोध किया गया है कि वे यह विधि बनाएं ताकि प्रचार कार्य आरम्भ हो सके ।

मैंने उन का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया है कि इस समय अधिकांश सिनेमा घर बड़े बड़े नगरों में ही केन्द्रित है और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि छोटे शहरों और गावों में भी सिनेमा घर हो। यह निधि इसीलिए आवश्यक है। हमने बैंकों का ध्यान भी इसे बढ़ावा देने की ओर खींचा है ताकि और सिनेमाघर बन सकें ।

Shri M. C. Daga : All Autonomous bodies like the municipalities depend on income from entertainment tax. So how they have promised to make it available to the Central Government for New Cinemas to come up ?

Shri I. K. Gujral : One aspect about this is that it is not a municipal tax but it is a State Government tax. Secondly, the recommendation made in the Information Ministers Conference is not regarding handing over this tax to the Centre but to create a new fund in each State. This would facilitate in establishment of new Cinema houses resulting in more revenue from Entertainment Tax along with promotional activities.

श्री विक्रम महाजन : मैं जानना चाहता हूं कि किस राज्य ने इस सिफारिश को कार्यरूप दे दिया है ?

श्री आई० के० गुजराल : पत्र लिखे जा चुके है और आशा है कि सभी राज्य ऐसा करेंगे परन्तु कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही यह कार्य आरम्भ कर दिया है। मैसूर और तमिलनाड, तथा आन्ध्र सरकार ने इस दिशामें कदम उठाए हैं और आसाम सरकार की भी इसमें रुचि है।

Shri Bhagirath Bhanwar : May I know whether he is aware that these days spectators are allowed entry into Cinemas without tickets to evade entertainment tax and if so, whether Government would pay attention to this also and take steps to check this ?

श्री आई० के० गुजराल : यह राज्यों का काम है।

पांचवी योजना क दौरान पश्चिमी कोसी, राजस्थान और गंड़क नहर परियोजनाओं को पूरा करना

*607. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना की अवधि के दौरान पश्चिमी कोसी, राजस्थान और गंडक नहर परियोजनाओं के लिए कुल अपेक्षित धनराशि प्रदान करके उनका पूरा किया जाना सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों से अभी प्रस्ताव प्राप्त होने हैं और पांचवी योजना के लिए विभिन्न राज्यों के सिंचाई क्षेत्र के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। बहरहाल, पश्चिमी कोसी नहर, राजस्थान नहर और गंड़क परियोजनाओं को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करने के लिए धन का आबंटन किया जाएगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भोगेन्द्र झा : कितनी राज्य सरकारों को इस मामले में धीरे चलने के लिए भू स्वामियों के संयुक्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्यों कि उनकी धारणा के अनुसार यदि ये परियोजनाएं पूरी हो गईं तो नए भूमि कानूनों के अनुसार उनकी भूमि आधी रह जाएगी और इसलिए वे इन्हें असफल बनाना चाहते हैं। अत: क्या यह सच है कि राजस्थान या बिहार किसी राज्य सरकार ने पांचवी योजना में इन परियोजनाओं को पूरा करने का और उनके लिए पूरा धन मांगने का प्रस्ताव नहीं किया है ? क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार ने केवल आधी राशि की ही मांग की है ? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका विचार पांचवो योजना में भी इन्हें पूरा करने का नहीं है। अत: इस स्थिति में क्या सरकार कोसी, गंडक, राजस्थान और नागार्जुन सागर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को अपने हाथ में लेकर शीघ्र पूरा करेगी ?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : यह सच नहीं है कि राजस्थान और बिहार सरकार इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की इच्छुक नहीं है। वास्तव में इसके लिए उनकी तरफ से काफी दबाव डाला जा रहा है और योजना आयोग इन योजनाओं का काम तेज़ करके उन्हें शीघ्र पूरा करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रहा है।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या राज्य मन्त्री श्री मोहन धारिया ने पटना में यह नहीं कहा था कि केन्द्रीय सरकार इन्हें अपने हाथ में लेने और केन्द्र की देखरेख में इन्हें पूरा करने पर विचार कर रही है और इसी कारण बिहार सरकार ने केवल 25 करोड़ रुपये पांचवी योजना में देने का अनुरोध किया है। ये बातें सिंचाई

और विद्युत मन्त्रालय के एक लिखित उत्तर के रूप में मेरे पास हैं। बिहार सरकार ने इतनी ही राशि मांगी है। इस स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इन परियोजनाओं का पांचवी योजना में पूरा किया जाना सुनिश्चित करेगी यदि राज्य सरकारें इनके लिए पूरा धन नहीं जूटा पाती है ?

श्री मोहन धारिया : मैं जब पटना में था तब मैंने इस मामले पर मुख्य मन्त्री तथा अन्य सम्बद्ध मन्त्रियों से चर्चा नहीं की थी। उन्हों ने ही इनको शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया था और मैंने उन्हें कहा था कि यदि वह समेकित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ क्षेत्र ले आते हैं तो केन्द्रीय सरकार यथा सम्भव उनकी सहायता करेगी। बिहार सरकार से इस कार्य को अपने हाथ में लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा प्रश्न यह था कि यदि पांचवी योजना में इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार धनकी मांग करें तो क्या केन्द्रीय सरकार पांचवी योजना में ही इस कार्य का पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए उसे पूरा-पूरा धन देगी।

श्री डी० पी० धर : जहां एक पूरी राशि जुटाने का प्रश्न है यह तो साधन-स्थिति पर निर्भर करता है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार दोनों उन योजनाओं के लिए पर्याप्त साधन जुटाने के बहुत इच्छुक हैं जो शीघ्र लाभ देने वाली हों।

श्री डी० एन० तिवारी : गंडक परियोजना का अपना एक इतिहास है। गत 10–12 वर्षों से सरकार द्वारा अर्जित 15,000 एकड़ से अधिक भूमि बेकार पड़ी है न वहां खेती हुई है और नहीं नहरें खोदी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि बिहार सरकार ने हाल ही में गंडक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाया है और सरकार को इस बारे में कोई सूचना मिली है ? यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र के विकास के लिए वे कोई उचित कार्यवाही करेंगे ? आपको पता होगा कि गत 15 वर्ष में 30 लाख टन उत्पादन की हानि हुई है।

श्री डी० पी० धर : मुझे मानना पड़ेगा कि इन दोनों परियोजनाओं पर साधनों की कमी सहित अनेक कारणों से बहुत धीमी गति से काम हुआ है। परन्तु योजना आयोग ने सम्बद्ध सरकारों से अनुरोध किया है कि जहां पहले ही सिंचाई क्षमता उपलब्ध हो या हो सकती हो वहां के लिए क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किए जाएं ताकि सिंचाई क्षमताओं के अधीन क्षेत्रों के विकास के साथ उनका भी विकास हो सके।

Shri Bibhuti Mishra : The greatest engineer of India, Shri Kanwar Sen had said that Gandak Project would be the cheapest and most useful project in the world but instead of Rs. 50 crores Rs. 150 croers have been spent thereon. So far 1-1.5 lakh acres of land is being irrigated therefrom in my constitutency. In my own village which has started receving water for Irrigation paddy production has gone up for 10 to 25 maunds. 35 lakh acres of land would be irrigated in the Command area of Gandak Project including areas in Nepal and U. P. I therefore want to know whether this gigantic project would be taken over by the Centre as it is beyond the Capacity of Bihar Government and the work thereon is going on for the past 12 years ? I would request Government to take it over and ensure its completion rather than begging for Dhatura mixed milo for the U. S.

Shri D. P. Dhar : Sir, I am Sorry if water has not reached in his Constituency and I would ask the State Government to pay Special attention towards that in the coming Kharif season. Regarding delivring full benefits from the project, I would submit that we have tried our best to constitute an Authority there having full powers to look after its implementation etc. and we hope that work there would go on more speedily.

Shri Bibhuti Mishra : The Authority is that of U.P. and Bihar. I wanted to know whether the Centre wants to take it over or not. That Authority is already there which includes the Governers and Chief Ministers of these two States. He has not stated anything fresh.

श्री डी० पी० धर: मेरे विचार में बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस योजना की देखरेख करने में पूरी तरह सक्षम हैं और भारत सरकार को उन के काम में दखल देने का कोई कारण दिखाई नही देता ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि बिहार में ही सिंचाई का पूरा पानी खर्च हो जाता है क्योंकि बंगाल में काफी देर से इसके निचले भागों में पानी उपलब्ध न होने से काफी संघर्ष हुए हैं और इससे बंगाल में सिंचाई को बहुत क्षति पहुंचेगी ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री डी० पी०धर : मेरे विचार में यह मामला मेरे मन्त्रालय से सम्बन्ध नहीं रखता है फिर भी मैं सदस्य महोदय को आश्वासन देता हूं कि बंगाल के हितों को हानि नहीं पहुंचने दी जाएगी ।

Shri Oakar Lal Berwa : Sir, due to acute scarcity conditions, Rajasthan Government unable to spend anyting on Rajasthan Canal. In view of these grave conditions whether the Central Government propose to take it over and if not, whether adequate funds would be made available to enable its projects.

श्री डी० पी० धर : राजस्थान नहर को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जा चुकी । यदि अधिक काम पूरा करने की क्षमता सिद्ध हो गई तो और अधिक धन जुटाया जाएगा । मैं यह बताना चाहता हूं कि सभी परियोजनाओं का केन्द्र द्वारा अपने हाथ में ले लेना सभी रोगों का उपचार नहीं है । राजस्थान सरकार में इसे स्वयं पूरा करने की पूरी क्षमता है ।

Shri M. C. Daga : Sir, Rajasthan Canal is considered to be a gigantic project but in view of the leisurely manner in which Rajasthan Government is proceeding the matter, may I know whether an Authorityis proposed to be set up to expedite the work and its completion ?

श्री डी० पी० धर : मैं पहले ही निवेदन कर चूका हूं कि राजस्थान नहर के काम में गति लाने के लिए अतिरिक्त धन जुटाया गया है । जहां तक विशेष बोर्ड के गठन का प्रश्न है यह काम भी आरम्भ हो चुका है और आशा है कि 15–20 दिनों में एक सक्षम उच्चशक्ति प्राप्त बोर्ड राजस्थान नहर की देखरेख करने लगेगा । हम यह भी बता चुके है कि राजस्थान नहर का काम तेज करने के लिए यदि किसी उपकरण या धन की आवश्यकता हुई तो उसकी व्यवस्था भी केन्द्र अवश्य करेगा । यदि श्री पीलू मोदी के कारण सदस्यगण उत्तेजित न हो गये होते तो यही बात मैं पहले ही बता देना चाहता था ।

वर्ष 1971 और 1972 के दौरान डाक-तार कर्मचारियों को चिकित्सा बिल के भुगतान के रूप में अदा की गई धन-राशि

*611. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 और वर्ष 1972 के दौरान डाक तार विभाग के कर्मचारियों ने चिकित्सा व्यय के भुगतान के लिए कुल कितनी धन-राशि के दावे प्रस्तुत किए और इस बारे में सर्किल वार और निदेशालय स्तर पर अलग-अलग ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार इस सारे प्रश्न के औचित्य की जांच करेगी ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति के रूप में वर्ष 1971 के लिए 5 करोड़ 24 लाख रुपये और वर्ष 1972 के लिए 5 करोड़ 58लाख रुपये के दावे पेश किये । जो व्यय सर्किलवार और महानिदेशालय के स्तर पर किया गया है उसका ब्योराअनुबन्ध में दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । 'देखिए' संख्या एल/ टी**–4709/73]

(ख) जी नहीं। चिकित्सा व्यय सम्बन्धी केवल उन्हीं दावों को स्वीकार किया जाता है जो समय समय पर संशोधित केन्द्रीय सेवा चिकित्सा नियमावली 1944 में बताए नियमों व विनियमों के मुताबिक पेश किए जाते हैं।

Shri Narain Chand Parashar : The statement shows that the amount of medical reimb ursement increased from Rs. 5.24 crores to Rs. 5.57 crores in one year in the whole country whereas it came down to Rs. 89 lakh to only Rs. 19 lakh in Andhra Circle. I think it was not because of medical cases but there appears to be One lacuna in the rules. May I know whether the hon. Minister would frame such rules as to remove all such discrepancies?

Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : We had appointed a Committee in respect of medical reimbursement bills and it made certain recommendations which have been implemented, and we expect that the follow up action would put some check on the misappropriation. However, 15 out of 45 circles have shown reduction in the bills at this circles it is the same whereas at 28 places the bills have crossed the last figures. In fact supervision also matters quite a lot here, I agree, and we are making efforts to make it more strict.

Shri Narain Chand Parashar : The hon. Minister, on the other day, had stated that the overtime allowance figures had risen from Rs. 8 crores to Rs. 10 crores. May I know whether a committee would be set up to look into the subjects?

Shri H. N. Bahuguna : The Pay Commission has gone into the hole matter and its report has recently been submitted to the Government.

Shri Phool Chand Verma : May I know whether he has received certain complaints to the effect that in some cases fake medical reimburse ment bills are got signed by fake doctors and submitted to the Government. Some employees are engaged in such habits. May I , therefore, know whether his Ministry is considering any proposal to the effect that the medical rembursement system should be abolished and in its place, some amount is added to the monthly salaries of the employees as a medical aid ?

Shri H. N. Bahuguna : No, Sir. This subject relates not only to my Ministry but to the entire employees of the Central Government. As I have said, the Pay Commission had been looking into this subject. As regards fake people, recently some people, cought by our Department have been punished in Jabalpur. You might have read it in the papers. And we are making efforts to catch others also.

Shri Ram Avtar Sastri : What percentage of the employees are benefitted by the present system of medical reimbursement?

Shri H. N. Bahuguna : Cent per cent.

Shri Ram Avtar Sastri : It is wrong. Only very few people avail this benefit and a big chunk is deprived of it. I know it. Can you give any figures?

Shri H. N. Bahuguna : This benefit is available to all. He who is ill would avail himself this facility. There is no restriction for anyone. In case Shri Shastri knew anybody who is ill, we shall be glad to get him medical treatment.

श्री० अर्जुन सेठी : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ मामलों में दावोंकी संख्या घटी है परंतु विवरण से मुझ पता चलता है कि उड़ीसा में ये दावे बड़े हैं। क्या इस सम्बन्ध में, मन्त्री महोदय को मालूम है कि अधिकांश मामलों में पोस्ट मास्टर जनरल, उडीसा सर्कल, को पेश किए गए ये चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलें जाली हैं तथा उन में अनियमिततायें हैं; और यदि हां, तो इस समस्या के हल के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह सच है कि समूचा उड़ीसा सर्कल तो नहीं, परन्तु इसके कुछ भाग इस तरह की जाल साज़ी के शिकार थे। हमने ऐसे मामलों का पता लगा लिया है तथा वहां चिकित्सालय खोल दिये हैं ताकि कोई कठिनाई न हो। बर्हाणपूर के सदस्य इस बात को जानते हैं। उन का क्षेत्र भी ऐसा था जहां सब से अधिक कठिनाई थी।

जहां तक जाली बिलों का सम्बन्ध है, उड़ीसा में हमने कुछ पकड़े थे तथा हमने अधिकृत मेडिकल अटन्डन्ट के विरुद्ध आयकर विभाग को सूचित किया तथा आयकर विभाग ने उस से काफी पैसा वसूल किया।

श्री दीनन भट्टाचार्य : मन्त्री महोदय ने हंस कर यह कहा है कि वह 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति देंगे। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि बड़े बड़े शहरों में तो कर्मचारियों को तुरन्त प्रतिपूर्ति मिल जाती है परन्तु अर्ध नगरीय क्षत्रों में कठिनाई यह है कि या तो उन्ह चिल्हा चिकत्सा अधिकारी या अपन घर से बहुत दूर किसी चिकित्सा अधिकारी के पास जाना पड़ता है और इस कठिनाई के कारण बहुत से कर्मचारी प्रतिपूर्ति नहीं ले पाते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह लाभ सभी को प्राप्य है और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा सहायता के क्षेत्र को आर्युवेदिक, यूनानी तथा होम्योपथी चिकित्सालय के लिए भी स्वीकृत कर दिया है। इस लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को भी व्यापक रूप से इसका लाभ पहुंचेगा।

"कूच बिहार शरणार्थी सेवा" के पास विदेशी सीमेंट और अन्य सामान होना

***612. श्री बी० के० दास चौधरी :**

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल के जिला कूच बिहार में 'कूच बिहार शरणार्थी सेवा' के पास भारी मात्रा में विदेशी सीमेंट और अन्य सामान है ;

(ख) क्या इस प्रकार के विदेशी सामान का अवैध रूप से प्रयोग किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्योंकि विदेशी सहायता से सम्बन्धित यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है अत: इस प्रश्न को दो सप्ताह बाद की किसी तारीख तक के लिए रोक दीजिए ताकि सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आपकी अनुमति से, इस प्रश्न को एक, दो या तीन सप्ताह के लिए रोक दिया जाये जब तक वह चाहें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमने वाणिज्य मंत्रालय से पूछताछ की है। उन के पास इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम इसका पता लगाने का प्रयत्न कर रह है।

श्री बी० के० दास चौधरी : इस लिए इसे रोक दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई तारीख निश्चित की जानी चाहिए जिसके लिए यह प्रश्न नियत किया जा सके। अन्यथा हमें बड़ी कठिनाई होगी ...

मंत्री महोदय के मामले में, उस दिन हमने एक निश्चित नाम दिया था, और हमने उसे उस दिन के लिए निश्चित कर दिया था ...

श्री पीलू मोदी : यदि मन्त्री महोदय के पास किसी सप्ताह जानकारी उपलब्ध न हो तो उसे अगले सप्ताह के लिए रख दें ।

अध्यक्ष महोदय : अगले सप्ताह रखने में कोई लाभ न होगा; फिर वही उत्तर मिलेगा ।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मेरा सुझाव है कि हम जानकारी एकत्रित कर लें तथा सभा-पटल पर रख दें ताकि माननीय सदस्य उसे देख लें और यदि वह आवश्यक समझे तो फिर से प्रश्न पूछ लें ।

Greater Autonomy for P & T Board

***613. Shri Ram Bhagat Paswan** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to grant greater autonomy to the P & T Board; and

(b) if so, the nature of autonomy proposed to be granted?

Deputy Minister in the Ministry of Communications (Shri Jagannath Pahadia) : (a) and (b) : The P & T Board, which is an organisation of the Ministry of Communications, already enjoys the powers of the Ministries of the Govt. of India in all matters except financial matters. Recently, the Govt. of India have, after examining the recommendations of the Administrative Reforms Commission on Posts and Telegraphs, also bestowed financial powers of the Ministries of the Govt. of India on the P & T Board to enable it to have more autonomy in its working.

Shri Ram Bhagat Paswan : Sir, in view of autonomy given to the P & T Board in respect of financial matters in terms of the Report of Administrative Reforms Commission, I want to know whether the Board will also consider the question of enhancing the rates of children's Education Allowance being given to the P & T Employees for higher education.

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : This is not relevant to the main question.

Shri Ram Bhagat Paswan : The question of financial matters also comes under the powers of P and T Board.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पी० एण्ड टी० बोर्ड को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के बारे में है और यह पूछा गया है कि यदि हां तो क्या स्वायत्तता दी जाएगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : परन्तु सदस्य महोदय ने तो यह पूछा है कि क्या मैं उक्त स्वायत्तता का प्रयोग अधिक भत्ता देने के लिए करूंगा, जो मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री मनोरंजन हाजरा : मैं जानना चाहता हूं कि बोर्ड को इस समय कितनी स्वायत्तता प्राप्त है और भविष्य में कितनी होगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : पी० एण्ड टी० बोर्ड को वित्तीय मामलों में मन्त्रालय जितने ही अधिकार दिए गए है । सभी अन्य मन्त्रालयों को कुछ अधिकार प्राप्त है और यह बोर्ड भी उन्हीं का प्रयोग करता है । अनेक मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए बोड को मन्त्रालय के पास जाने की आवश्यकता नहीं है सिवाय उन मामलों के जिनमें बाहर का वित्त अन्तर्ग्रस्त है ।

Shri D. N. Tiwary : Our experience regarding Railway Board has been very bitter. I want that same powers should not be given to P & T Board so as to avoid reiteration of same remarks here against this Board also. May I know whether he would try to take care of that ?

Shri H. N. Bahuguna : The recommendation was to make the P & T Board like the Railway Board but I would like to say without going into merits and demerits of it that for various reasons we have thought fit not to do so. Whatever has been considered proper is in accordance with his sentiments.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : बोर्ड की वर्तमान रचना क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : बोर्ड में एक सभापति और एक-एक सदस्य दूर संचार, डाक और वित्त का होता है। वित्तीय सदस्य वित्तीय मामलों की देखरेख करता है और उसे भारत सरकार की वित्तीय सेवाओं से लिया जाता है।

Atomic Power Station in Bihar

***614. +Shri Ramavatar Sashtri :**

Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the Bihar Legislative Assembly has unanimously adopted a motion demanding the setting up of an atomic power station in Bihar;

(b) whether the said motion has been received by the Centtal Government; and

(c) if so, their reaction thereto ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether the Chief Minister of Bihar has submitted a proposal for setting up a Atomic Power Station in Bihar to him or his Ministry ? If so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे वास्तव में बहुत आश्चर्य हुआ है। भाग (क) के उत्तर में 'हां' कहा गया है जबकि (ख) के उत्तर में 'नहीं' कहा गया है।

श्री मोहन धारिया : प्रश्न की सूचना प्राप्त होने के बाद बिहार विधान सभा और राज्य सरकार से पूछ-ताछ की गई कि क्या उक्त संकल्प पास हुआ है या नहीं . . .

अध्यक्ष महोदय : आपने 'जी हां' कहा है इस का अर्थ तो यही हुआ कि आपको कोई सूचना मिली है. . . (अन्तर्बाधाएं)

श्री मोहन धारिया : प्रश्न की सूचना प्राप्त होने के बाद बिहार विधान सभा और राज्य सरकार से पूछ-ताछ की गई थी और मैंने मन्त्रालय में भी पूछा था कि क्या वहां कोई सूचना मिली है। जहां तक सूचना की बात है वह तो हमें नहीं मिली है परन्तु यह सच है कि संकल्प पास किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका आपको कैसे पता चला ?

श्री बहुगुणा : उन्हों ने सम्पर्क स्थापित किया है।

श्री मोहन धारिया : मैं सम्पर्क रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : संकल्प के बारे में आपने कहा है कि कोई सूचना सरकार अथवा विधान सभा से नहीं मिली है, फिर भी आपका कहना है कि संकल्प पास हो गया है . . . फिर भी मैं इसकी आगे जांच नहीं करना चाहता ।

Shri Ramavatar Shastri : Perhaps, the Hon. Minister did not hear my question properly. I had asked whether the Chief Minister of Bihar had submitted any proposal regarding setting up an Atomic Power Station in the State to him or his Ministry ? If so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

श्री मोहन धारिया : हमें बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Shri Ramavatar Shastri : There is acute power shortage in Bihar, particularly, in North Bihar. In view of this and the unanimous demand of five crore people of Bihar Voiced through the Vidhan Sabha, may I know whether Government propose to set up an atomic power Station in the State, if not, why ?

श्री मोहन धारिया : हमें ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु अपनी जानकारी के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि आणविक बिजली उत्पन्न करने में भारी खर्च आता है और उत्पादन लागत तापीय बिजली की 7 पैसे प्रति यूनिट की लागत की अपेक्षा 10 पैसे है । बिहार में काफी कोयला है और 140 करोड़ रुपये लगा कर बिहार लगभग 300 किलोवाट बिजली पैदा कर सकता है जो 400 किलोवाट तक बढ़ाई जा सकती है । तापीय स्टेशन का आरम्भिक काल 5–6 वर्ष है जबकि आणविक स्टेशन 10 वर्ष में पूरी क्षमता प्राप्त करता है ।

Shri Bibhuti Mishra : The best thing would be for the Hon. Minister to tour the entire country and see which part is in what state. Talking of North Bihar, there is broad gauge line only upto Samastipur and coal cannot be transported on narrow gauge line. Bihar Legislature has passed a resolution regarding setting up an Atomic Power Plant in Champaran or say Balmikinagar. If the Hon. Minister is not aware of these facts, he may get them verified before answering this question. The ratio of per capita income of North Bihar and that of the rest of the country is 1 : 11.25. I therefore want to know whether Atomic Power Station would be set up for such backward area and if so, when ? May I know whether he would find out whether a resolution to this effect has been passed by the State Legislature or not ?

Mr. Speaker : May I know whether the Hon. Minister is aware of such a resolution and if so, the reaction thereto?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है । किसी स्थान पर आणविक बिजली घर लगाने की कुछ पूर्व-शर्तें होती है और इन्हीं के अनुसार स्थान का चयन करना होता है । यह तो सभी जानते हैं कि इस प्रकार बिजली पैदा करन में भारी लागत आती है जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया तापीय बिजली पैदा करने में 6–7 पैसे प्रति यूनिट लागत आती है जबकि इसमें 10 पैसे लागत आती है । तिसरी बात यह है कि 500 मील से दूर बिजली भेजने पर न केवल अधिक खर्च आता है, अपितु यह अलाभकारी भी है । मेरी तुच्छ राय में तो बिहार में, जहां कोयले के अपार भंडार है, परमाणु बिजली घर लगाना सर्वथा व्यवहार्य नहीं होगा । आवश्यकता उस कोयले का प्रयोग तापीय बिजली बनाने में करने की है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केरल के पालघाट जिले में टेलिफोन एक्सचेंज

*603. **श्री एम० के० कृष्णन् :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, वर्ष 1973–74 के दौरान केरल के पालघाट जिले में और टेलिफोन एक्सचेंज बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए किन-किन स्थानों का चुनाव किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) केरल राज्य के पालघाट जिले में वर्ष 1973-74 के दौरान निम्नलिखित टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

(1) अलानालूर	50 लाइन एस० ए० एक्स०
(2) पादागिरी . .	50 लाइन एस० ए० एक्स०
(3) अगाली	25 लाइन एस० ए० एक्स०
(4) कुन्नीसेरी	25 लाइन एस० ए० एक्स०

ग्रेड III के स्टेनोग्राफरों के उच्चतर पदों के लिए आवेदन प्रेषित करना

*605. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मन्त्रालय ने अभी हाल में ऐसे आदेश जारी किए है, जिनके अनुसार गृह मन्त्रालय संवर्ग (केदर) के तृतीय ग्रेड के नियमित स्टेनोग्राफर अन्य सरकारी विभागों / संगटनों / सरकारी उपक्रमों में उच्चतर पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आदेश कार्मिक विभाग के उन आदेशों के प्रतिकुल हैं, जिनके अनुसार सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपने विभागों के बाहर उच्चतर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या ये आदेश भारत सरकार के अन्य विभागों/मंत्रालयों में भी लागू होतें हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) विज्ञापनों/सूचनाओं आदि के आधार पर उच्चतर पदों में नौकरी के लिए गैर वैज्ञानिक तथा गैर तकनीकी सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ष में सामान्यत: 4 आवेदन पत्र भेजे जा सकते हैं। किन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र रोके जा सकते हैं यदि वह ऐसा करना सार्वजनिक हित में ठीक समझता है। इस मन्त्रालय में बहुत थोडे मामलों में अन्य मन्त्रालयों/विभागों में पदों के लिए श्रेणी-iii के आशुलिपिकों के आवेदन पत्र सार्वजनिक हित में रोक दिये थे। आवेदन पत्रों को रोकने का निर्णय प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर किया जाता है।

(ग) इस मन्त्रालय को यह जानकारी नहीं है कि अन्य मन्त्रालयों/विभागों में भी श्रेणी-iii आशुलिपिकों के आवेदन पत्र सार्वजनिक हित में रोके गये है अथवा नहीं।

Reopening of Closed Industries

*608. **Shri M. S. Purty :**
Shri Bishwanath Jhunjhunwala :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the number of industries lying closed in the entire country and the number of labourers rendered jobless as a result thereof; and

(b) the steps taken for providing urgent assistance to them so that they could be reopened?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) A statement showing the number of units lying closed in the country and the number of workers affected by such closures is laid on the Table of the House. [*Placed in Library, See No, LT*4710/73.]

(b) The following steps are generally taken to revive them:

(i) Extension of reconstruction assistance by the Industrial Reconstruction Corporation of India, Calcutta.

(ii) Conciliation by the Labour Department.

(iii) Direct extension of financial assistance to the units by the Central/State Government.

(iv) Take over of management of industrial undertakings under the Industries (Development and Regulation) Act, wherever justified.

औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को सरल करने के उपाय

*609. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को सरल करने हेतु कोई उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कौन से उपाय विचाराधीन हैं और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन पत्रों को निपटाने की प्रणाली को सुप्रवाही बनाना एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में अनेक अभ्युपाय किए जा चुके हैं। सरकार ने पद्धतियों और तरीकों का प्रणालीबद्ध पुन: अध्ययन करना प्रारम्भ किया है ताकि विनियोजन की प्रक्रिया उठाये गये प्रत्येक कदम की उपयुक्तता की संविक्षा कि जा सके। इस अध्ययन में 4 से 6 महीने का समय लगने की सम्भावना है।

1973-74 के लिए उड़ीसा की वार्षिक योजना

*610. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1973–74 में उड़ीसा के लिए 65 करोड़ 60 लाख रुपयों की एक योजना परिव्यय की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां तो इस परिव्यय में केन्द्र और राज्य का भाग कितना-कितना होगा; और

(ग) 1971–72 और 1972–73 के योजना परिव्यय से यह प्रस्तावित परिव्यय कितना अधिक है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा की वार्षिक योजना 1973–74 के लिए 65–60 करोड़ रुपये स्विकृत किए गए हैं जिसमें से 37.03 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के लिए तथा 28.57 करोड़ रुपये राज्य के संसाधनों के लिए हैं।

(ग) राज्य के लिए 1971–72 और 1972–73 के दौरान क्रमश: 48.33 करोड़ रुपये तथा 57.42 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। इसके विपरित 1973–74 के लिए रखा गया। (65.60 करोड़ रुपये का) परिव्यय पूर्व वर्षों की अपेक्षा क्रमश: 17.27 करोड़ रुपये तथा 8.18 करोड़ रुपये अधिक है।

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के लिए बिना लाभ, बिना हानी के आधार पर रुई तथा सामान का सप्लाई किया जाना

*615. **श्री शशि भूषण :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के लिए बिना लाभ, बिना हानि, के आधार पर रुई तथा सामान सप्लाई करने की कोई व्यवस्था की है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिलों के प्रबन्धक, सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी का उचित उपयोग करें, क्या व्यवस्था की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन वर्ष 1969 से कार्य कर रहा है। यह एक योजना है जिसके अन्तर्गत कपड़े की कुछ मिलों के लिए कपास क्रय करने और संभरण करने का कार्य होता है और जिसका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। कारपोरेशन ने सरकार से 2.50 करोड़ रु० का ऋण लिया है और जिसका उपयोग इस योजना के कार्यान्वयन में किया जाता है। यह राशि जमा धनराशि मानी जाती है जिसके बदले में कारपोरेशन विभिन्न बैंकों से लगभग 7 करोड़ रु० तक ऋण प्राप्त कर लेता है। इस योजना में इस समय 19 मिलें हिस्सा ले रही हैं, योजना की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :

1. कारपोरेशन द्वारा सरकारी प्रबन्ध वाली मिलों की ओर से इस योजना के अधीन कपास खरीदी जाती है जो उन्हें खरीद की मूल कीमत और वास्तविक खर्च पर बेच दी जाती है।
2. मिलों के प्राधिकृत नियंत्रकों/प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों द्वारा जो योजना के उद्देश्य के लिए कारपोरेशन के मुख्त्यार का कार्य करते हैं, योजना का कार्यान्वियन किया जा रहा है।
3. मिलों की कपास की आवश्यकताओं जमा धन राशि और कारपोरेशन द्वारा नकद उधार के लिए हुई बातचीत को ध्यान में रख कर मुख्त्यारों को निधि का आबंटन किया जाता है।
4. सामान्यतया मिलों ऐसी अग्रिम रकमों पर कारपोरेशन को बैंक दर से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज देती हैं जब मिलों और कारपोरेशन के बीच करार भंग होता है तो बैंक दर से 5 प्रतिशत अधिक ब्याज लिया जाता है।
5. मिलें वास्तविक क्रय मूल्य पर कपास के मूल्य का 0.15 प्रतिशत सेवा प्रभार भी देती है।
6. कारपोरेशन द्वारा दी गई निधि पर 10 प्रतिशत तक अप्रयुक्त शष राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। दस प्रतिशत से अधिक अप्रयुक्त राशि पर साढ़े 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता ह।
7. कारपोरेशन की ओर से मुख्त्यार सभी हिसाब किताब रखते हैं।
8. मिलें स्वेच्छा से इस योजना में शामिल होती हैं और एक महीने की सूचना देकर अलग हो सकती हैं।

(ख) 9. कारपोरेशन द्वारा जिन मिलों में निवेश की गई रकम का समुचीत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कुछ अभ्युपाय किए गए हैं जो इस प्रकार हैं।

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स योजना के अधीन कपास खरीदने में लगी रकम का समुचित उपयोग हो, प्रत्येक मिल में क्रय समितियां नियुक्त की गई हैं।

(ख) प्रत्येक मिल में वित्तीय सलाहकारों और प्रमुख लेखा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये अधिकारी मिलों के नैत्यिक कार्य को देखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मिलों को दी गई रकम का समुचित उपयोग हो।

(ग) मिलों में कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु पर्यवेक्षण समितियां भी नियुक्त की गई हैं और वे इस बात का भी ध्यान रखती है कि मिलों को दी गई रकम का समुचित उपयोग हो।

(घ) कारपोरेशन के रकम समुचित उपयोग के सम्बन्ध में निगरानी रखने हेतु दैनिक बैंकों और वित्तीय विवरणों की संवीक्षा करता है कारपोरेशन ने स्वयं अपना एक आन्तरिक लेखा परीक्षा संगठन बनाने का निश्चय किया है जो अन्य बातों के साथ साथ हिसाब किताब की निरन्तर जांच का सुनिश्चय करता रहेगा।

(ङ) हिसाब किताब सांविधिक लेखा परीक्षा के अधीन है।

भाभा परमाणु केन्द्र, बम्बई में उपयोग के लिये जापान से 'स्पेसरों' का आयात

*616. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने भाभा परमाणु केन्द्र, बम्बई में उपयोग किये जाने के लिए जापान की एक फर्म को 'स्पेसर्स' का आर्डर दिया है;

(ख) यदि हां, तो जापान से कितने 'स्पेसंरों' का आयात किया जाएगा तथा उनका मूल्य कितना होगा;

(ग) इस मूल्य का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा अथवा विदेशी मुद्रा में; और

(घ) क्या विश्व के परमाणु शक्ति वाले अन्य देशों से भी इन स्पेसरों के आयात के बारे में टेंडर मांगे गए थे ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर में बदले जाने वाले इंधन में प्रयोग के लिए जर्कालाय के स्पेसरों के 1200 सैट, जिनकी फ्री औन बोर्ड कीमत 45.3 मिलियन येन होगी, की सप्लाई के लिए जापान की एक फर्म को आर्डर दिया गया है।

(ग) मूल्य का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाएगा।

(घ) इन स्पेसरों की खरीद के लिए भारत मे एक ओपन टैंडर जारी किया गया था। इसके अलावा, कुछ ऐसी विदेशी फर्मों से, जिनसे स्पेसरों की सप्लाई की आशा थी, इन स्पेसरों की सप्लाई के लिए उनके भाव बताने का अनुरोध किया गया था। सबसे कम भाव लगाने वाली फर्म को आर्डर दे दिया गया।

आसाम में शिक्षा के माध्यम का प्रश्न

*617. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के मुख्य मन्त्री और कछार के नेताओं के बीच शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर हाल ही में हुई बातचीत के कोई वांछित परिणाम नहीं निकले थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार का विचार ऐसा हल निकालने के लिए जो सभी सम्बन्धित पक्षों को स्वीकार्य हो इस मामले में हस्तक्षेप करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

3—8 L. S. S./73

(ख) असम में शिक्षा के माध्यम सम्बधी विवाद के साथ जटिल समस्यायें उलझी हुई हैं। केन्द्रीय सरकार असम की स्थिति पर निकट सम्पर्क बनाए हुए है और एक सद्भावपूर्ण हल खोजने के सतत प्रयत्न किए जा रहे हैं।

कानपुर में हुई विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर गोष्ठी

***618 श्री. श्रीकिशन मोदी :**

श्री. प्रसन्नभाई मेंहुता :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं योजनाएं बनाने तथा क्रियान्वित करने में समेकित दृष्टिकोण अपनाने के लिए, सरकार ने वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय कार्य-कलापों का उपयोग करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या उन्होंने 13 फरवरी, 1973 को कानपुर में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिती द्वारा आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय गोष्ठी में भाग लिया था;

(ग) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना बना रही है जिसमें श्रमजीवी वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी विद, अर्थ-शास्त्री, औद्योगिक प्रबन्धक तथा व्यवसायी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग): जी हां।

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जन साधारण की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही व्यापक गरीबी को दूर करने के लिए हमारे कार्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से बल प्रदान करें। हमारी विकास निति में प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता एक मुख्य आधार-स्तम्भ है परन्तु कुछ क्षेत्र, जैसे खाद्य, ऊर्जा, तथा रक्षा उपस्कर में भी आत्मपर्याप्ति उपलब्ध करने के प्रयत्न किये जाएंगे। यह आयोजना हमारी सामाजिक अर्थ-आवश्यकताओं के सन्दर्भ में अर्थ एवं विकास सम्बन्धी कार्य-क्षमता के विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान ज्ञान और सामर्थ्य के विस्तृत मूल्यांकन पर आधारित होगी।

औद्योगिक उपक्रमों के लिये सरकारी क्षेत्र में निगम

***619. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में जो सूती कपड़ा मिलें ली गयी हैं उन के अतिरिक्त अपने नियंत्रण में किये गए अन्य औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध के लिए भी एक निगम सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के बिचाराधिन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लिए गये गैर-वस्त्र वाले औद्योगिक एककों के प्रबन्ध के लिए संस्थागत प्रबन्ध करने का प्रश्न सरकार के विचाराधिन है। इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

पांचवीं योजना के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

*620. **श्री पन्ना लाल बारूपाल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों का कृषि तथा अन्य प्रकार का विकास करने के लिए सरकार का विचार मैदानी क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं से कोई भिन्न योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) विकास कार्यक्रम को तैयार करने की जिम्मेदारी सामान्यतः राज्य सरकारों की होती है। किन्तु इस बात पर जोर दया गया है कि राज्य सरकारों को कृषि तथा अन्य विकास कार्यक्रम बनाते समय अपने अन्तर्गत आने वाले पर्वतीय क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट भू-आकृति दशा, संसाधन निधि, विस्तृत रूप से मूलभूत सुविधाओं को एक दूसरे से सम्बद्ध करना ("इन्फ्रास्ट्रक्चर नैट वर्क"), आदि पर भी विचार करना चाहिए।

Capital Invested by Partners of Daily 'Avantika' Ujjain

5900. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2341 dated 16th August, 1972 regarding Partners of 'Avantika' a Hindi Daily and state :

(a) the amount of capital invested by each of the three partners of the Daily 'Avantika' Ujjain on different occasions and the total capital invested by them upto January, 1973; and

(b) whether some more partners have also joined the said firm and if so, their number and the amount of capital invested by each of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b) According to the Annual Statement furnished by the publisher to the Registrar of Newspapers for the year ending 31st December 1972 the Hindi daily "Avantika" is owned by an unregistered firm of two partners. The share of each of them in the capital of the firm is Rs. 13,500/-. The publisher has informed the Registrar that there has been no change in the partnership since December 1972.

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय सम्बन्धी दावें

5901. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी दावों के रूप में दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी साठ लाख रुपये से अधिक की राशि प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) एसे कितने कर्मचारी ह, जिन्होंने वर्ष 1972-73 के दौरान 4,000 रु० से अधिक की राशि के चिकित्सा व्यय सम्बन्धी दाव प्रस्तुत किए ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तीन।

दिल्ली प्रशासन में लेखा संवर्ग बनाना

5902. **श्री० धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अधीन एक लेखा संवर्ग बनाया जाने वाला है;

(ख) क्या प्रशासन के राजपत्रित पदों पर नियुक्त वे प्रशासन अधिकारी/अधीक्षक जो एस० ए० एस० लेखाकार के निचले स्तर के पद के लिए जब प्रशिक्षण पर भेजे जाते हैं, प्रशिक्षण अवधि के दौरान उच्चतर वेतन पाने के हकदार हैं; और

(ग) क्या इन अधिकारियों को लेखाकार नियुक्त किया जाएगा अथवा उनकी उच्चतर पदों पर पदोन्नति की जाएगी या लेखा कार्य का अनुभव प्राप्त किए बिना ही उन के मामले पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार अधीक्षकों (अधीनस्थ मन्त्रालयीय सेवा श्रेणी–I) तथा सहाय्यक/हेड क्लर्कों (अधीनस्थ मन्त्रालयीय सेवा श्रेणी–II) को उत्तरी क्षेत्र लेखा प्रशिक्षण संस्थान, जम्मू में एस० ए०एस० के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है । प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वे उस पद का वेतन तथा भत्ता पाने के पात्र हैं जिस पर वे प्रशिक्षण में जाने से पूर्व कार्य कर रहे थे ।

(ग) लेखाकार अथवा उच्चतर पदों पर नियुक्ति के लिए इन कर्मचारियों की पात्रता पर दिल्ली प्रशासन की प्रस्तावित लेखा सेवा के नियमों की परन्तुकों के अनुसार, ज्यों ही उन्हें अन्तिम रूप दिया जायगा, विचार किया जाएगा ।

नामों के साथ उपाधियों का प्रयोग

5903. **श्री एस० डी० सोम सुन्दरम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वातन्त्र्योत्तर काल में सम्बद्ध व्यक्तियों के नामों के साथ "पद्मश्री" जैसी उपाधियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) "पद्मश्री" जैसे अलंकरण उपाधियाँ नहीं हैं और प्राप्तकर्ताओं के नाम के पहले अथवा बाद में उसे जोड़ा नहीं जाना चाहिए ।

(ख) समय-समय पर जनता को यह सूचित करते हुए प्रैस नोट जारी किए जाते हैं कि पुरस्कार उपाधियों के रूप में प्रयोग नहीं किए जाये । भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश भी जारी कर दिये गये हैं ।

स्वाधीनता संग्राम के गद्दारों पर मुकदमा चलाया जाना

5904. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सामराज्यवादियों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में गद्दारी करने वालो पर मुकदमा चलाने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों के सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) ब्रिटिश सामज्यवादियों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में गद्दारी करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए भारतीय क्रान्तिकारियों

से कोई विशिष्ठ अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु फरवरी 1973 में कानपुर में हुए भारतीय क्रान्तिकारियों केनलम्मे में श्री चन्द्रशेखर आजाद की मृत्यु की पूरी जांच की मांग करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था और श्री आजाद की मृत्यु के लिए अपराधी तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई थी।

इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Assitance from Zonal Councils in Resolving inter-State Disputes

5905. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received any assistance from the Zonal Councils in resolving inter-State disputes; and

(b) if so the main points thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) & (b) : The Zonal Councils are functioning in accordance with the scheme embodied in the States Re-organisation Act, 1956. Their function is to discuss and make recommedations to the Governments concerned with regard to :—

(a) any matter of common interest in the field of economic and social planning;

(b) any matter concerning border disputes, linguistic minorities or inter-State transport; and

(c) any matter connected with, or arising out of, the reorganisation of the States under that Act.

As these Councils are advisory bodies and make recommendations after taking into account the view-points of the State Governments concerned, their recommendations represent a measure of agreement. The Ministry of Home Affairs watch the implementation of these recommendations and the Councils themselves reiew from time to time the progress of implementation of their recommendations and where necessary make fresh recommendations. Thus, the Zonal Councils provide a forum for discussion among member-States on various matters of common interest and play a useful role in such matters.

Snaching of Arms from the Police by Naxalites in the Disrict (Chitturapalli) adjoining Andhra Pradesh

906. **Shri M. S. Purity** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether government have received reports regarding snatching of arms from the Police by some naxalites in the districts (Chitturapalli) adjoining Andhra;

(b) whether there have been reports that Naxalities are being supported by the separatists; and

(c) if so, the action taken by Government to check such incidents?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) to (c) : Facts are being ascertained.

Deportation of Pakistani Nationals from Orissa state

5907. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Pakistani Natilnals traced out, among the 30 Pakistani National who went underground in Orissa, on the 31st March, 1972 and the number of those deported out by them;

(b) the number of underground Pakistani Nationals District-wise; and

(c) the action proposed to be taken to trace out and deport the remaining Pakistani Nationals ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Small Scale Industries in Indore

5908. **Shri G. C. Dixist :** Will the Minister of **Industrial Development and and Science and Technology** be pleased to state the progress made in setting up small scale industries in Indore Division (Madhya Pradesh) during the years 1971-72 and 1972-73?

The Deputy Minister in the Ministery of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : The number of small scale units from the Indore Division registered with the Director of Industries, Madhya Pradesh has increased from 6315 as on 31st December, 1971 to about 7800 as on 31st December, 1972.

आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार के दुरुपयोग की घटनायें

5909. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिमियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के घोर दुरुपयोग की कोई घटना सरकार के ध्यान में लाई गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी घटनाओं की जानकारी मिली है और किन-किन राज्यों से मिली है; और

(ग) कार्यपालिका द्वारा अधिकार के ऐसे अलोकतान्त्रिक दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गये हैं कि आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम 1971 के अधीन शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सक्षम सभी प्राधिकारियों को संविधान तथा अधिनियम की अपेक्षाओं की पूर्ण रूप से जानकारी है और इन शक्तियों का प्रयोग करते समय सभी अपेक्षाओं का पुर्ण रूप से पालन होता है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह भी अनुरोध किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेटों व पुलिस आयुक्तों द्वारा जारी किए गए नजरबन्दी के आदेशों का अनुमोदन करते समय उन्हें स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि कानून तथा संविधान की अपेक्षाएं पूर्ण रूप से पूरी की गई है ।

प्रौद्योगिकी के अन्तरण के बारे में विशेषज्ञों की गोष्ठी

5910. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी के अन्तरण के बारे में दिल्ली में विशेषज्ञों की एक गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में किन-किन देशों ने भाग लिया था; और

(ग) इसमें की गई मुख्य सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) :(क) जी, हां दिनांक 11 दिसम्बर 1972 से दिनांक 13 दिसम्बर 1972 तक नई दिल्ली में एक त्रिसदस्य अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी प्रोद्योगिकी के हस्तान्तरण के बारे में हुई थी।

(ख) भारतीय विशेषज्ञों, 35 विदेशों, परामर्शदाताओं, यू० एन०आई०डी० ओ० के प्रतिनिधियों और अन्य 8 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने गोष्ठी में भाग लिया था। भाग लेने वालों की एक सूची संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4711/73]**

(ग) गोष्ठी की मुख्य सिफारिशे और सुझाव "सी०एस०आई० आर० न्यूज" वोल्यूम-23 दिनांक 15 फरवरी 73 में दिए गए हैं, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

केरल के कवि कुमारन आसन के बारे में वृत्त चित्र

5911. श्री वयालार रवि : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक कुमारन आसन पर वृत्त सचित्र बनाने **का** फिल्म प्रभाग ने निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस फिल्म की लम्बाई और तत्सम्बन्धी अन्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) फिल्म प्रभाग द्वारा कुमारन आसन पर फिल्म का निर्माण रोक लिया गया है, क्योंकि ऐसा पता चला है कि केरल सरकार इन पर एक वृत्त चित्र बना रही है।

केरल में उद्योगों की स्थापना

5912. श्री वयालार रवि : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में या केन्द्रीय सहायता से केरल राज्य में कोई नया उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा जो पूर्णतया केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है, का विचार प्रारम्भ में कन्ट्रोल वाल्वों और सम्बद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए पालघाट (केरल) में अपना दुसरा एकक स्थापित करने का है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2.80 करोड़ रुपये है तथा शुरू में इसमें 600 आदमियों को काम देने की क्षमता होंगी। पालघाट में यह एकक स्थापित करने के कार्य 1973-74 की अवधि में प्रारम्भ करने की आशा है।

हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड जो पूर्णरुपेण केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है, का केरल के कोट्टायम जिले में 80,000 मी० टन अखबारी कागज (पत्रिका के कागज़ सहित) बनाने की वार्षिक क्षमता वाला एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसकी अनुमानित लागत 35 करोड़ रुपये **है** इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही 1973-74 में शुरू की जायेगी।

कालीकट रेडियो स्टेशन के कलाकारों से ज्ञापन

5913. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट रेडियो स्टेशन के कलाकारों से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा की गई विभिन्न मांगे तथा उन पर की गई कार्रवाई नीचे दी गई है :—

मांगे	टिप्पणी
(1)	(2)
(1) सभी स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा निवृत्ती आयु 60 वर्ष तक बढ़ाना ।	(1) सरकार कुछेक सृजनात्मक वर्गों के स्टाफ आर्टिस्टों अर्थात संगीतज्ञों, वादकों, कन्डक्टरों और कम्पोजरों की, यदि वे अन्यथा योग्य हों, सेवा अवधि 60 वर्ष की आयु तक बढ़ाना पहले ही स्वीकार कर चुकी है ।
(2) सेवा निवृत्ती पर सभी स्टाफ आर्टिस्टों को ग्रेच्युटी देना ।	(2) इस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।
(3) कार्यभार मूल्यांकन कार्य तत्काल आरम्भ कर उसको एक महीने के अन्दर पूरा करना।	(3) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने यह कार्य आरम्भ कर दिया है । उम्मीद है वह अपनी रिपोर्ट कुछ ही महीनों में प्रस्तुत कर देगी।
(4) विविध भारती के स्थानान्तरण के फलस्वरूप, बम्बई स्थानान्तरित किए गए सभी आर्टिस्टों को दिल्ली वापस लाना।	(4) दिल्ली और इसके निकट के केन्द्रों में सम्बन्धित श्रेणियों में रिक्तियों के भरने पर लोक लगाने का पहले ही निर्णय किया जा चुका है, ताकि बम्बई में विविध भारती के वर्तमान स्टाफ आर्टिस्टों की वापस बदली की जा सके। इस निर्णय के अनुसरण में, दो प्रोड्यूसर, एक अनाउन्सर, पांच प्रोड्कशन एसिस्टेन्ट, एक स्क्रिप्ट राइटर का दिल्ली या उनकी पसन्द के केन्द्रों पर पहले ही तबादला किया जा चुका है ।
(5) स्टाफ निरीक्षण एकक की रिपोर्ट को कार्यान्वित न करना।	(5) स्टाफ निरीक्षण एकक की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।
(6) सभी स्तरों पर संयुक्त सलाहकार निकाय तत्काल गठित करना।	(6) स्टाफ आर्टिस्टों के लिए सभी स्तरों पर जैसे मन्त्रालय आकाशवाणी महानिदेशालय एवं आकाशवाणी केन्द्रों पर, अनौपचारिक सलाहकार समितियां गठित की जा चुकी हैं ।
(7) स्टाफ आर्टिस्ट यूनियन के साथ विचार-विमर्श करके उचित पदोन्नति नीति बनाना और उसको कार्यान्वित करना।	(7) आल इंडिया रेडिओ स्टाफ आर्टिस्टस यूनियन द्वारा दिए गए सुझाओं पर विचार करने के बाद भर्ती नियम बनाए गए हैं जिनमें सेवा की आवश्यकताओं के अनुरूप आकाशवाणी में कार्य करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों की पदोन्नति के समुचित अवसरों की व्यवस्था है ।

मांगे	टिप्पणी
(1)	(2)
(8) आकाशवाणी के सभी स्टाफ आर्टिस्टों तथा कर्मचारियों को वर्ष 1971–72 के लिए 8.33 प्रतिशत बोनस देना।	(8) बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत आकाशवाणी के कर्मचारी बोनस के पात्र नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो सामान्य नीति है, उसके विपरीत अलग से निर्णय नहीं लिया जा सकता।
(9) अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन और राष्ट्रीय अवकाशों के लिए समयोपरी भत्ता देना।	(9) अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक पहले ही दिया जा रहा है।

केरल के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

5914. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए केरल से कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ख) कितने आवेदन पत्र मंजूर किए गये ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 4,076 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) 565 मामलों में पेंशन स्वीकृत कर दि गई है।

केरल में व्यावहारिक वृत्तिका योजना के अधीन चयन किए गए इंजीनियरी स्नातक तथा डिप्लोमा होल्डर

5915. **श्री रामचन्द्रन कड़नापल्ली :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में व्यावहारिक वृत्तिका योजना के अधीन अब तक कितने इंजीनियरी स्नातक और डिप्लोमांहोल्डरों का चयन किया गया है और वर्ष 1973–74 में उपरोक्त योजना के अधीन कितने व्यक्तियों का चयन करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार केरल राज्य के सम्बन्ध में उपरोक्त योजना का क्षेत्र बढ़ाने का है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) व्यावहारिक वृत्तिका योजना के अधीन, 180 इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा होल्डरों को 1972/73 के दौरान रखने के लिए शिक्षा मन्त्रालय ने केरल राज्य को 2.40 लाख रुपये आबन्टित किए थे। परन्तु चालू वर्ष के दौरान कितने लोगों को वास्तविक रूप से इस स्कीम के अधीन रखा गया इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1973–74 के दौरान इस स्कीम का कार्य क्षेत्र व्यापक बनाने का विचार है और राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि अधिक उम्मीदवारों को इस स्कीम के अधीन लाने के लिए प्रस्ताव तयार करें।

आंध्र प्रदेश में भारतीय साम्यवादी दल की भूमिका

5916. **श्री आर० बी० बड़े :**
श्री हुकुम चन्द कछवाय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 मार्च, 1973 के "मदरलैंड" में प्रकाशित श्री एन० जी० रंगा के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि "भारतीय साम्यवादी दल आंध्र प्रदेश में गृह युद्ध करवा रहा है"; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने विवादास्पद समाचार देखा है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश की जटिल समस्या के प्रति सरकार के दृष्टिकोन को सदन में पहले स्पष्ट किया गया है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

5917. **श्री अम्बेश** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1970 से 31 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की नियुक्तियों/पदोन्नतियों/सेवा शर्तों के सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्रों की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4712/73**]

भारत सरकार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अवर सचिव

5918. **श्री अम्बेश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1973 को भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में अवर सचिवों के मंजुरशुदा पदों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में 1 जनवरी, 1973 को वास्तव में इन पदों पर काम कर रहे अवर सचिवों की संख्या कितनी थी;

(ग) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अवर सचिव थे; और

(घ) क्या यह ठीक है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अवर सचिवों की संख्या उनके प्रतिनिधित्व के निश्चित प्रतिशत के अनुरुप नहीं है; यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिवों के रूप में पदोन्नत करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है । विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) चूंकि अवर सचिवों के पदों के लिए कोई अलग आरक्षण निर्धारित नहीं किए गए हैं, इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी प्रतिष्ठानों में भर्ती पर लगी रोक को समाप्त करना

5919. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी प्रतिष्ठानों में भर्ती पर लगी रोक को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सरकारी प्रतिष्ठानों में भर्ती के सम्बन्ध में कोई सामान्य रोख नहीं है। तथापि, श्रेणी iii तथा श्रेणी iv पदों की कुछ श्रेणियों में सीधी भर्ती पर सीमित रोक लगी हुई है। सरकार द्वारा तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लेने के बाद इस लगी हुई रोक पर पुनरिक्षण किए जाने का प्रस्ताव है।

रेडियो एण्ड इलैक्ट्रिकल्स मैन्यूफेचरिंग कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर द्वारा सस्ते टेलीविजन का माडल तैयार किया जाना

5920. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **इलेंट्रोनिक्स** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर स्थित रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिकल्स मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, टेलीविजन का एक नया माडल तैयार करने में सफल हुई है जो वर्तमान माडलों से सस्ता होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस नये माडल सेट की मुख्य बातें क्या हैं और उत्पादन शुल्क सहित उसका मूल्य कितना होगा; और

(ग) इस सस्ते टेलीविजन सेट का बड़े पैमाने पर निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) दस मार्च को रेडियो एण्ड इलेक्ट्रानिक्स मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (रेमको) बैंगलोर ने (जो मैसूर सरकार का सरकारी क्षेत्र उपक्रम है) 19" टी० वी० सेट 'ज्योत्सना' के नाम से निकाला है। सेट में 14 वाल्वस है और सिंगल चैनल रिसेप्शन का डिजाइन है जिसकी किंमत रुपये 1935.50 पैसे है जिसमें रुपये 143/- उत्पादन शुल्क और रुपये 235.50 विक्री कर सम्मिलित हैं।

(ग) देश में निर्मित टेलीविजन के अनेक डिजाइन हैं फलस्वरूप उनको फैक्ट्री के बाहर की कीमत भी भिन्न है। उनमें विदेशी मुद्रा के घटक भी अलग अलग है और उनको निष्पादन विशेषताएं भी भिन्न-भिन्न हैं, विशेषकर उनमें अनुरक्षण की दृष्टि से भिन्नता है। इस स्थिति में, सरकार किसी एक डिजाइन का मानवी करण करने का विचार नहीं रखती परन्तु लघु उद्योग यूनिटों के लिए एक रूप पैक मूल्य निर्धारित कर दिया है।

आसाम में सीमेंट में मिलावट और उसकी चोरबाजारी

5921. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में सीमेन्ट में मिलावट और चोरबाजारी चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आसाम तथा अन्य पर्वोत्तर राज्यों में सीमेन्ट में मिलावट और चोरबाजारी के बारे में विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Public call offices in villages of Agra and Jansi districts of Uttar Pradesh

5922. **Dr. Govind Das Richhariya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the names of villages in Agra and Jhansi Districts in Uttar Pradesh, tehsil-wise where there are Public Call Offices; and

(b) the names of villages in aforesaid Districts where Government propose to set up Public Call Offices during 1973-74?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) & (b) A statement giving the required information is placed on the table of the house. [Placed in Library *See* No. L. T. 4713/73]

नार्थ एवेन्यू नई दिल्ली में हुई चोरियां

5923. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के अन्दर चोरियां बढ़ती जा रही हैं और यदि हां, तो 1970-71, 1972 के दौरान अब तक ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या पुलिस स्टेशन स्टाफ सूचना दिये जाने पर इस प्रकार के मामले दर्ज करने से इन्कार कर देता है और अपराधियों को रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी अपराधियों को छोड़ दिया जाता है;

(ग) इस अवधि में ऐसे कितने मामलों में अपराधियों को गिरफतार नहीं किया गया, जहां चोरी की गयी वस्तूएं भी उनसे वसूल की गई और कितने मामलों में अपराधियों को (i) दंडित किया गया; और (ii) दोषमुक्त किया गया; और

(घ) क्षेत्र की प्रभावशाली सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन स्टाफ में परिवर्तन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

मामले	1970	1971	1972	1973 (28-2-73) तक
डकैती . . .	2	4	7	शून्य
चोरी . . .	4	4	7	शून्य

(ख) ऐसी कोई शिकायत ध्यान में नहीं आई है ।

(ग) ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें अभियुक्त को सजा नहीं दी गई जबकि उसके पास से चोरी की गई वस्तुएं बरामद की हों ।

डकैती और चोरी के मामलों की संख्या जिनमें अभियुक्तों को सजा दी गई अथवा मक्त किया गया था इस प्रकार है :—

वर्ष	डकैती		चोरी	
	सजा दी गई	मुक्त किए गए	सजा दी गई	मुक्त किए गये
1970 . . .	2	..	1	..
1971 . . .	..	..	1	..
1972 . . .	1	..	..	..
1973 (28-2-73 तक) . .	..	..	..	..

(घ) सामान्यत: कर्मचारियों की बदली तैनातगी की अवधि पूरी करने अथवा प्रशासनिक आधार पर, जब कभी आवश्यकता होती है, की जाती है ।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रबोधन एवं मूल्यांकन संगठन

5924. **श्री वसन्त साठे** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में प्रबोधन एवं मूल्यांकन संगठन के कार्यक्रम में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं भी शामिल की जाएंगी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी हां, चयनात्मक आधार पर ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सूचना सेवा की प्रगति

5925. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा किस तिथि से गठित हुई; और

(ख) उक्त सेवा द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) केन्द्रीय सूचना सेवा 1 मार्च, 1960 को गठित हुई थी ।

(ख) सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय इसके विभिन्न ग्रेडों में 612 पद थे ; अब इसमें 984 पद हैं । एक विवरण संलग्न है जिसमें 1 मार्च, 1960 को तथा 31 मार्च, 1973 को सेवा का ग्रेड ढांचा दिया गया है ।

विवरण

1 मार्च, 1960 को पदों की संख्या	ग्रेड ढांचा तथा वेतनमान	31 मार्च, 1973 को पदों की संख्या
शून्य	**सलेक्शन ग्रेड** (2500–125 2–2750 रुपये)	1
	सिनीयर प्रशासनिक ग्रेड	
1	(1) (सीनियर स्केल 1800–100–2000 रुपये)	5
2	(2) (ज्यूनियर स्केल 1600–100–1800 रुपये)	10
	ज्युनियर प्रशासनिक ग्रेड	
9	(1) (सीनियर स्केल 1300–60–1600 रुपये)	17
8	(2) (ज्यूनियर स्केल 1100–50–1400)	15

1 मार्च, 1960 को दोंप की संख्या	ग्रेड ढ़ाचा तथा वेतनमान	31 मार्च, 1973 को पदों की संख्या
83	ग्रेड–1 (700–40–1100–50–2/1250 रुपये)	152
68	ग्रेड–2 (400–400–450–30–600–35–670–द०अ०–35–950 रुपये)	
137	ग्रेड–3 (350–25–500–30–590–द०अ०–30–800 रुपये)	172
304	ग्रेड–4 (270–10–290–15–410–द०अ०–15–485 रुपये)	480

केन्द्रीय सूचना सेवा के आरम्भ होने से पूर्व ग्रेड–4 में [नियुक्ति

5926. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के आरम्भ होने से पूर्व उनके मन्त्रालय द्वारा ग्रेड–4 के पदों पर नियुक्त किए गए विभागीय प्रत्याशियों को नियमित करने के लिए आयु, शैक्षणिक योग्यताएं सहित क्या कसौटी अपनाई गई है; और

(ख) क्या उपरोक्त विभागीय प्रत्याशियों को केन्द्रीय सूचना सेवा नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत नियमित किया गया था, यदि हां, तो किस नियम संख्या के अन्तर्गत ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सूचना सेवा 1 मार्च, 1960 को गठित की गई थी। इस तारीख से पहले सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सम्बन्धित विभागों के द्वारा सेवा के ग्रेड–4 में शामिल किये जाने वाले प्रस्तावित विभिन्न पदों पर विभिन्न समय पर 142 विभागीय उम्मीदवार चुन कर नियुक्त किए गए थे। यह चयन पदों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अर्हताओं, अनुभव, आयुसीमा, इत्यादि के आधार पर किया गया था। किसी समान मापदण्ड के अनुसार नहीं ।

2. 31 उम्मीदवार केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 के नियम 2(ख)(1) के अन्तर्गत सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय सेवा के ग्रेड-4 में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र थे। उनकी उपयुक्तता नियमावली के नियम 5 के अन्तर्गत गठित एक चयन समिति के द्वारा निर्धारित की गई थी। इस समिति का अध्ययन संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य था तथा विभागीय प्रतिनिधि इस के सदस्य थे। उनको ग्रेड–4 में समिति की सिफारिश तथा आयोग की स्वीकृति से नियुक्त किया गया था।

3. 108 व्यक्तियों को केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली के नियम 2(ख)(2) के अन्तर्गत आयोग की सहमति स विभागीय उम्मीदवार घोषित किया गया था। सेवा के प्रारम्भिक गठन से ग्रेड-4 में नियुक्ति के लिए इन अधिकारियों की भी उपयुक्तता एक चयन समिति, जिसके अध्यक्ष आ ोग के एक सदस्य थे, के द्वारा निर्धारित की गई थी तथा इनको नियम 5 के अन्तर्गत उस ग्रेड में समिति की शिफारिश पर तथा आयोग की स्वीकृति से नियुक्त किया गया था। 2 उम्मीदवा ों ने त्याग पत्र दे दिए थे तथा एक ने यह चाहा था कि सेवा में नियुक्ति के लिए उनके बारे में विचार न किया जाए।

केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड–4 परीक्षा 1964

5927. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा आरम्भ करने से पूर्व ग्रेड–4 के पदों पर मन्त्रालय द्वारा कितने कर्मचारियों की विभागीय नियुक्ति की गई थी ;

(ख) क्या उपरोक्त कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) उपरोक्त कर्मचारियों में से वास्तविक रूप से कितने कर्मचारी केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड–4 परीक्षा 1964 के आधार पर भरे जाने वाले प्रतियोगी पद के लिये विभागीय प्रत्याशी घोषित किए गए थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 142 (ख) चुने हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति के आदेश सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी किए गए थे। ऐसे आदेशों की नमूने की प्रतियां शीघ्र ही सदन की की मेज पर रख दी जाएंगी।

(ग) सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग को पहले सूचित की गई रिक्तियों में 101 व्यक्तियों को "विभागीय उम्मीदवारों" के रूप में नियुक्त किया गया था। 142 अधिकारियों में से शेष 41 में से 31 को नियम 2(ख) (i) के अन्तर्गत "विभागीय उम्मीदवारों" के रूप में प्रारम्भिक गठन के समय ग्रेड–4 में नियुक्त किया गया था, 7 को नियम 2(ख)(2) के साथ पठित नियम 5 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था, 2 ने त्याग पत्र दे दिए थे तथा एक ने यह नहीं चाहा था कि सेवा में नियुक्ति के लिए उन के बारे में विचार किया जाए।

केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन करते समय विभागीय उम्मीदवारों को खपाया जाना

5928. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन करते समय चतुर्थ श्रेणी के कितने विभागीय उम्मीदवारों को सीधे तौर पर सेवा में खपाया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : केन्द्रीय सूचना सेवा एक मार्च 1960 को गठित हुई थी। 128 विभागीय उम्मीदवारों को उस तारीख से केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड–4 में नियुक्त किया गया था तथा बाद में 168 और व्यक्तियों की सेवा में इसके प्रारम्भिक गठन के समय सेही नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत की गई थी।

द्वि विवाह के अपराध पर आकाशवाणी दिल्ली के [कर्मचारियों का मुअत्तल किया जाना

5929. **श्री चौधरी दलीप सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली आकाशवाणी केन्द्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान द्विविवाह के अपराध पर कितने कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें आरोप पत्रों को एक से अधिक बार बदला गया था ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : गत तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी के किसी भी कर्मचारी को द्विविवाह के अपराध पर मुअत्तल नहीं किया गया और न ही किसी भी आरोप-पत्र में संशोधन किया गया।

Cess on Coir Industry

5930. **Shri Dharamrao :**
Sharamappa Afzalpurkar :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the total amount of Cess on Coir realised by Coir Board during 1971-72; and

(b) the amount of expenditure incurred by Government on the development of Coir industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) Coir Board does not collect cess on coir. However, a cess at the rate of 98 paise per quintal is levied and collected by the Central Government on all exports of coir fibre, coir yarn and coir products. The total amount of cess collected by Government during 1971-72 is Rs. 2,94,905.54.

(b) The amount spent by the Government through the Coir Board for the development of Coir industry during 1971-72 is Rs. 18.94 lakhs.

त्रिपुरा-मनीपूर, मेघालय, मिजोरम और आसाम के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग शुरु करने के लिये जारी किये गये लाइसेंस

5931. **श्री दशरथ देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री पिछड़े, क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के बारे में 21 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योंगों की स्थापना के लिये कितने लाइसेन्स जारी किये गये थे और उनमें से कितने त्रिपुरा, मनीपूर, मेघालय और मिजोरम को अलग अलग दिये गये थे ; और

(ख) इन क्षेत्रों में किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1971 तथा 1972 में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग शुरु करने के लिए 76 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे । इनमें से दो त्रिपुरा और 1 मेघालय के लिए है ।

(ख) सीमेंट और खाद्य परिष्करण उद्योग ।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से त्रिपुरी भाषा में प्रसारण

5932. **श्री दशरथ देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से त्रिपुरी भाषा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम त्रिपुरा में भी सुनाई नहीं पड़ते ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यक्रमों को स्पष्ट सुनाई देने योग्य बनाने के लिये सरकार का विचार केन्द्र तथा समय में परिवर्तन करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) कलकत्ता से रिले होने वाले त्रिपुरी कार्यक्रमों का श्रवण स्तर मीडियम वेव पर सन्तोषजनक नहीं है परन्तु शार्ट वेव पर सन्तोषजनक है ।

(ख) त्रिपुरी कार्यक्रमों को कलकत्ता से अगरतला में शीघ्र ही ले जाने का निर्णय किया गया है

आदिवासी विकास खंड, त्रिपुरा, में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण

5933. श्री दशरथ देव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के आदिवासी विकास खण्ड में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर किसी आदिवासी को पुनः नियुक्त नहीं किया गया है ;

(ख) क्या आदिवासी विकास खण्ड सहित त्रिपुरा के विभिन्न सरकारी विभागों में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सहित सभी वर्गों के पदों में अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण है ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न विभागों में विभिन्न वर्गों में कितने प्रतिशत आरक्षण है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है जब प्राप्त हो जायगी सभा पटल पर रख दी जायगी ।

कोरी फिल्मों की कमी

5934. श्री आर० बी० बड़े :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरी फिल्मों और विशेष प्रकार के लेंसों आदि जैसे कुछ श्रव्यदृश्य उपकरणों की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नमक उत्पाद की लागत

5935. श्री रोबिन ककोटी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उत्पादन केन्द्रों में नमक उत्पादन की प्रति मीटरिक टन क्या लागत आती है ;

(ख) विभिन्न उत्पादन स्थानों में नमक का प्रति मीटरिक टन फैक्टरी द्वारा मूल्य क्या है ; और

(ग) देश के विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में नमक का प्रति किलोग्राम वर्तमान विक्रय मूल्य क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुकर्जी) : (क) नमक के उत्पादन की लागत सामान्य रुप से 12 रुपये से 30 रुपये प्रति मी० टन है जो कि विभिन्न उत्पादन कर्ताओं और स्थानों पर अलग अलग है, यह अधिकतर गैर सरकारी क्षेत्र में है ।

(ख) विभिन्न स्थानों का फैक्टरी से निकलते समय का मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) देश के उत्तर पूर्वी भागों में नमक का खुदरा मूल्य निम्न प्रकार है :

	प्रति किलो ग्राम पैसों में मूल्य
मेघालय . . .	35 से 40
त्रिपुरा	40 से 70
मणिपुर	40 से 50
मिजोरम . . .	40
आसाम . . .	30 से 40
नागालैंड	30 से 40
अरुणाचल प्रदेश .	30 से 40

विवरण

फैक्टरी द्वारा नमक का मूल्य

क्रमांक	राज्य	स्थान का नाम और नमक	नमक की कारखाने से निकलते समय का प्रति मी० टन (उपकर तथा बोरे की कीमत छोड़कर)
			रुपये
1	राजस्थान . . .	. साभर	
		क्यार साल्ट*	59.00
		पान साल्ट (अनआयोडाइज्ड)*	50.00
		पान साल्ट (आयोडाइज्ड)*	47.00
		रेस्टा साल्ट *	60.00
		पाचबया	25.70
		फलोडी	19.00
		सुजानगढ़	41.10
		कूचमान सिटी	27.50
2	तमिलनाडु . .	तूतीकोरीन	22.40
		मद्रास	22.50
3	आन्ध्र प्रदेश . .	नौपाड़ा ग्रुप } विशाखापत्तनम् ग्रुप }	41.50

विवरण

फैक्टरी द्वारा नमक का मूल्य

क्रमांक	राज्य	स्थान का नाम और नमक	नमक को कारखाने से निकलते समय का प्रति मी० टन (उपकर तथा बोरे की कीमत छोड़कर)
			रु०
4	गुजरात . . .	. जामनगर	
		कुरकुच साल्ट*	18.10
		क्रुश्ड साल्ट*	28.60
		खरघोडा	
		सरकारी क्षेत्र*	32.00
		निजी क्षेत्र*	27.50
		धरनधरा	55.10
5	महाराष्ट्र	. उड़न	
		कुप्पा साल्ट*	46.40
		वजना साल्ट*	36.10
		कुरकुच साल्ट*	48.50
		भांडुप	
		कुप्पा साल्ट*	60.80
		वजना साल्ट*	49.00
		कुरकुच साल्ट*	44.20
		भयन्दर	
		कुप्पा साल्ट*	48.10
		वजना साल्ट*	38.90
		कुरकुच साल्ट*	45.00
6	उड़ीसा .	हुम्मा	37.30
7	पश्चिमी बंगाल .	कोट्टाई	111.20
8	हिमाचल प्रदेश .	मण्डी (माइन)	
		रौंक साल्ट*	135.00
		पान साल्ट*	240.00
		साफ किया हुआ नमक (पैक किया हुआ)*	300.00

औद्योगिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्रों की कम्पनियां

5936. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा गठित की गई सरकारी कम्पनियों का नाम क्या हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी में निदेशकों की संख्या कितनी हैं ; और

(ग) इन कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी के निदेशकों को दैनिक शुल्क, यातार्थ शुल्क, यात्रा भत्ता, सहित अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4714/73 ।**]

मैसूर में लघु इंजीनियरिंग एककों का बन्द होना

5937. **श्री के० मालन्ना** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में अनेक लघु इंजीनियरींग एकक हाल ही में बन्द हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उनके बन्द होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आसाम और नागालैण्ड में कागज बनाने वाले कारखाने स्थापित करना

5938. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम और नागालैण्ड में, प्रस्तावित कागज़ बनाने वाले कारखाने स्थापित करने पर, अलग अलग कुल कितना व्यय होगा ;

(ख) प्रत्येक कारखाने में कुल कितना गुदा (पल्प) और कितना कागज़ बनाया जायेगा ;

(ग) इन कारखानों को स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई हैं ; और

(घ) उनमें उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4715/73 ।**]

आसाम में उद्योग स्थापित करने हेतु निगमों को लाइसेंस जारी करना

5939. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों में (एक) आसाम लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (दो) आसाम मुख्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड और (तीन) आसाम के कृषि उद्योग निगम को कितने लाइसेन्स जारी किये ;

(ख) उनमें से कितने लाइसेन्सों का वास्तव में उपयोग किया गया और प्रत्येक निगम ने कितने उद्योग स्थापित किये ; और

(ग) इन निगमों ने अब तक कितने लाइसेन्सों का उपयोग नहीं किया ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग) वर्ष 1970, 1971 और 1972 की अवधि में आसाम स्माल इण्डस्ट्रीज डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड या एग्रेर इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन आसाम को कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इस मंत्रालय का 'आसाम मेजर इण्डस्ट्रीज डैवलपमेंट कारपोरेशन' नामक किसी संस्था से परिचय नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि 'आसाम स्टेट इण्डस्ट्रीज डैवलपमेंट कारपोरेशन' के विषय में पूछा गया है। इस अवधि में आसाम राज्य औद्योगिक विकास निगम को तीन औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए और एक औद्योगिक लाइसेंस आसाम सीमेंट लिमिटेड को जारी किया गया है जो कि राज्य सरकार का उपक्रम है और अब मेघालय में चला गया है। ये लाइसेंस जो चीनी, पोर्टलैण्ड सीमेंट, मेथोनल, फोर्मेलिन, सरेस, कास्टिक सोडा, क्लोरीन हाइड्रोलिक एसिड के लिए है, कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में है।

अन्दमान और निकोबार प्रशासन में सचिव की नियुक्ति

5940. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर, नेफा और त्रिपुरा प्रशासन के अन्तर्गत प्रिंसिपल इंजीनियर / चीफ इंजीनियर अपने प्रशासन के सचिवों के रूप में भी कार्य कर रहे थे ;

(ख) क्या भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के मुख्य इंजीनियर को उसी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करने की अनुमति देना सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो अन्दमान और निकोबार प्रशासन से भी समान नीति न अपनाये जाने के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1968 में, जब मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र था तब स्थानीय प्रशासन ने मणिपुर लोक निर्माण विभाग के प्रिंसिपल इंजीनियर को केवल लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में पदेन अतिरिक्त सचिव के रूप में काय करने की अनुमति दी थी। यह व्यवस्था अस्थायी थी।

अरुणाचल प्रदेश प्रशासन (भूतपूर्व नेफा) में कोई चीफ इंजीनियर या प्रिंसिपल इंजीनियर नहीं है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, सर्कल/प्रशासन द्वारा जारी किये गय एक आदेश के अधीन पदेन सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं।

जब त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र था, तब प्रिंसिपल इंजीनियर को मई, 1961 में बिजली और सिंचाई समेत लोक निर्माण विभाग के पदेन सचिव के रूप में मनोनीत किया गया था।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का चीफ इंजीनियर न तो राज्य सरकार और न ही भारत सरकार द्वारा पदेन सचिव के रूप में घोषित किया गया है।

(ग) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रिंसिपल इंजीनियर को 22 फरवरी, 1973 से अन्दमान और निकोबार प्रशासन का पदेन सचिव (लोक निर्माण) घोषित किया गया है।

चालू वर्ष में रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं का अनुमोदन

5941. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये चालू वर्ष में 42 करोड़ रुपये की लागत की योजनाएं मंजूर की हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न योजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक योजना के अन्तर्गत रोजगार के अनुमानतः कितने अवसर उपलब्ध कराये जा सकेंगे ; और

(ग) गत वर्ष में इस प्रकार की योजनाओं के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई थी और प्रत्येक योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता कितनी थी और गत वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों में कितनी सफलता मिल सकी थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) योजना आयोग में शिक्षित बेरोजगारों के लिए विशेष रोजगार स्कीमें मंजूर की हैं जिनके अन्तर्गत 1972-73 के दौरान 57.63 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए 27 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता भी आबंटित की गयी थी । इन विशेष रोजगार कार्यक्रमों से रोजगार चाहने वाले शिक्षित व अशिक्षित लोगों को फायदा होगा । 1971-72 के दौरान 16.11 करोड़ रुपये की राशि शिक्षित बेरोजगारों की स्कीम के अन्तर्गत आबंटित की गयी थी, जिसमें से 13.48 करोड़ रुपये राज्य सरकारों व संघ शासित क्षेत्रों को दिये गये थे । 1971-72 में उक्त स्कीमों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई व उनसे कितना रोजगार उपलब्ध हुआ तथा 1972-73 में कितना रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है—इस सम्बन्ध में स्कीमवार ब्यौरे संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4716/73**]

रोजगार उपलब्ध करने के लिए प्रारम्भ की गई योजनाओं की समीक्षा

5942. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध करने के लिए काफी मात्रा में केन्द्रीय सहायता से राज्य सरकारों द्वारा अथवा स्वयं केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले दो वर्ष पहले प्रारम्भ की गई विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों की सरकार ने कोई समीक्षा की है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के नाम क्या है और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि खर्च की गई और कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) आवंटित राशियों तथा 1971-72 और 1972-73 में विशेष रोजगार तथा कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत उत्पन्न रोजगार को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4717/73**]

Assistance under U. N. D. P. for fifth Plan

5943. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any programme in regard to the assistance to be received under the United Nations Development Programme for the Fifth Five-Year Plan;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the extent of assistance committed by U.N.D.P. for the said Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) Yes, Sir. The Government have formulated a programme in regard to the assistance to be received from the United Nations Development Programme for the years 1972-79 which includes the Fifth Five Year Plan period (1974-79).

(b) The technical assistance under the United Nations Development Programme was received on a projectwise basis in an ad hoc manner. With effect from 1st January, 1972 a "Programme Approach" has been introduced whereby the use of UNDP inputs is dove-tailed with the recipient countries national development objectives. The India (UNDP) Country Programme for the period 1972-76 comprises of 123 large projects supplemented by a provision for small projects covering various sectors of the economy like Agriculture Irrigation, Power, Transport, Communications, Science and Emerging Technology, Health Education, Foreign Trade, Housing and Urban Development. The Indian programme envisages a 7-year spread extending to 1979 to make it co-cyclical with the Fifth Plan.

(c) Indicative Planning Figure approved for India is $ 50 million during the period 1972-76.

स्नातक/गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजिनियरों में से सहायक इंजीनियर नियुक्त करने के बारे में निर्माण तथा आवास मंत्रालय का प्रस्ताव

5944. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण और आवास मंत्रालय ने सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में स्नातक और गैरस्नातक ज्यूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए 50 : 50 का कोटा निर्धारित करने और सहायक इंजीनियरों के पद के लिए भर्ती नियमों में तत्सम्बन्धी संशोधन करने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है और बाद में अभी हाल में सम्बद्ध अधिकारियों के साथ कई बार चर्चा की गई और प्रस्ताव को यथाशक्ति मंजूरी देने का भी अनुरोध किया गया; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले को निपटाने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख): यह सच है कि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पदों के सम्बन्ध में भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए निर्माण तथा आवास मंत्रालय से कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । चूंकि इस प्रस्ताव में अनेक विधिक तथा सेवा शर्तें अन्तर्ग्रस्त हैं जिनपर आगे विचार किया जाना है, यह मामला उनके विचार विमर्शाधीन है । इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय से भी परामर्श लिया जाना था । स्नातकों तथा गैर-स्नातकों दोनो ही के सम्बन्ध में कनिष्ठ इंजीनियरों के एसोशियशनों से प्रस्तावित संशोधनों के बारे में अपने अपने बादविषयों को सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अभ्यावेदन भी प्राप्त होते रहे हैं । इस मामले पर यथोचित रूप से विचार करने के लिए आवश्यक समझे गए कुछ स्पष्टीकरण अभी हाल ही में निर्माण तथा आवास मंत्रालय से प्राप्त हो चुके हैं और यह मामला कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के विचाराधीन है । इस मामले में किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के पूर्व निर्माण तथा आवास मंत्रालय के प्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श करना आवश्यक होगा ।

Involvement of foreign agency in Uttar Pradesh Electricity Engineers strike

5945. **Shri Krishna Chandra Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any foreign agency was involved in the January, 1973 strike of Uttar Pradesh electricity engineers and employees; and

(b) if so, the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :

(a) Government have no such information.

(b) Does not arise.

Development of Basti (U.P.)

5946. **Shri Krishna Chandra Pandey :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up an industrial unit in Basti district which is a backward district of U.P.; and

(b) if so, when ?

The Deputy Minister in The Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) and (b): The Uttar Pradesh Agro-Industrial Corporation Limited has set up a customer service centre for the repairs of tractors and other agricultural implements in Basti. The Corporation also proposes to set up a canning and bottling unit there. The Uttar Pradesh Small Industries Corporation have established a khandsari unit and the establishment of a pottery unit is underway.

मध्य प्रदेश में हरिजनों और आदिवासियों की सामाजिक असमर्थताओं का सर्वेक्षण

5947. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में हरिजनों और आदिवासियों की सामाजिक असमर्थताओं के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) हरिजनों और आदिवासियों की असमर्थताएं दूर करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) इस क्षेत्र में अनेक सर्वेक्षण किए गए और इन सर्वेक्षणों का ब्यौरा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की 1964-65, 1966-67 और 1969-70 वर्ष के प्रतिवेदनों में लिखा गया है जो 30 मार्च 1967, 24 अप्रैल, 1968 और 22 दिसम्बर, 1971 को सभा पटल पर रखे गये थे ।

(ग) पिछड़े वर्गों के क्षेत्र के अधीन सभी योजनाओं का लक्ष्य हरिजनों तथा आदिवासियों की असमर्थता को समाप्त करना तथा उनका शैक्षणिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा करना है ।

होम गार्डों को अवार्डो का वितरण

5948. **श्री अवल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के होम गार्ड संगठन में आपात काल के दौरान अथवा अन्य अवसरों पर जिन होम गार्डों और अधिकारियों ने सराहनिय सेवा की थी उन्हें पदक देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो पदक प्रदान करने की क्या कसौटी होगी ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय ने एक संग्राम पदक प्रारम्भ किया है जो सीमावर्ती राज्यों के सभी होम गार्डों और नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों को प्रदान किया जा सकता है किन्तु नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों तथा उन होम गार्डों को, जिन्हें दिल्ली समेत नागरिक सुरक्षा वाले शहरों में नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिये तैनात किया गया था, यह पदक प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

निम्नलिखित दो पदक प्रारम्भ करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है :—

(1) राष्ट्रपति का होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक ।

(2) होम गार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक ।

इन पदकों के प्रदान करने के मानदण्ड क्रमशः विशिष्ट तथा सराहनीय सेवाएं अथवा शौर्य के कार्य हैं । सारे देश में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक जो विशिष्ट/सराहनीय सेवाएं या शौर्यपूर्ण कार्य करते हैं, इन पदकों के लिए पात्र हैं ।

संघलोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

5949. **श्री ए० एल० कस्तुरे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग में राजपत्रित, अराजपत्रित एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उन वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण को निर्धारित प्रतिशतता न रखने के क्या कारण हैं ; और

(घ) राजपत्रित और उच्च अराजपत्रित श्रेणियों में आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) स्थिति इस प्रकार है :—

श्रेणी	कुल कर्मचारी संख्याबल	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या
राजपत्रित	123	5	2
अराजपत्रित	745	83	5
श्रेणी-I	229	77	12

राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल संख्याबल में से जो कि ऊपर 123 तथा 745 निर्दिष्ट की गई है, उनमें से क्रमशः 108 तथा 607 संगठित सेवाओं से सम्बन्ध रखते हैं जिनको संघ लोक सेवा आयोग के प्राधिकार से नियन्त्रित नहीं किया जाता । इन संगठित सेवाओं के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता को बनाए रखने के लिए तत्सम्बन्धी संवर्ग के नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक आधारित उपाय किए जाते हैं । संघ लोक सेवा आयोग में संगठित सेवाओं में कार्य कर रहे अधिकारियों में से

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

श्रेणी	संगठित सेवाओं के संघ लोक सेवा आयोग में कार्य कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या
राजपत्रित . . .	108	5	2
अराजपत्रित . . .	607	68	4

(ग) तथा (घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के पदों/सेवाओं में भर्ती आरक्षण की रिक्तियों को नियन्त्रित करने वाले आदेशों के अनुसार की जा रही है । नियुक्ति द्वारा अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के व्यक्तियों को आरक्षित रिक्तियों में भरने के लिए उपर्युक्त उपाय भी किए गए हैं । जहां कहीं आवश्यक हो, यदि रोजगार कार्यालयों से उपयुक्त उत्तर प्राप्त न हो सकें तो ऐसे पदों को प्रेस द्वारा विज्ञापित किया जाता है ।

पुनः नियुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों के वरिष्ठता लाभों के बारे में आर्डर

5950. श्री रणबहादुर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के आदेश जारी किये है कि सभी विभागों में खपाये गये भूतपूर्व सैनिकों को वरिष्ठता सम्बन्धी लाभ दिये जायें और

(ख) यदि हां, तो उनकी रुपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) प्रश्न में मांगी गई सूचना का सम्बन्ध स्पष्ट रुप से यह है कि क्या ऐसे भूतपूर्व सैनिकों जो भारत सरकार के सभी विभागों में खपाये गए थें/हैं, उन्हें सशस्त्र सेना में की गई पिछली सेवा का लाभ वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए दिया जाना था/है, जिन पदों पर वे पुनः नियुक्त किए गए थे/हैं । मोटे तौर पर, स्थिति इस प्रकार है कि, दिनांक 22-12-1959 से पूर्व, केवल उन विभागों/कार्यालयों में जहां गृह मंत्रालय (अब कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) की पूर्व सहमति से वरिष्ठता का अलग नियम लागू किया गया था. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीयों की वरीष्ठता किसी ग्रेड या उसके समकक्ष ग्रेड में सेवाकाल के आधार पर निर्धारित की जाती थी, 'किसी समकक्ष ग्रेड मे सेवा' को इस प्रकार की सेवा के रुप में परिभाषित किया गया है कि उस पद से सम्बद्ध समय वेतनमान की न्यूनतम वेतन दर जिसमें वरिष्ठता निर्धारित की जानी थी, वह आगे नहीं बढ़नी चाहिए । तदनुसार 22-12-1959 से पूर्व विभागों/कार्यालयों में नियुक्त किये गए भूतपूर्व सैनिकों, जहां उपर्युक्त नियम लागू थे, की सशस्त्र सेना में की गई ऐसी सेवा को वरिष्ठता के परियोजन के लिए गिना जा सकेगा ।

दिनांक 22-12-1969 से उपरोक्त उल्लिखित सेवाकाल आदि से सम्बन्धित नियमों को प्रतिस्थापित करते हुए नए वरिष्ठता नियमों को जारी किए गया था । इन परिशोधित नियमों

के प्रख्यापन के पश्चात् भूतपूर्व सैनिकों की उन विभागों/कार्यालयों में नियुक्ति होने पर, जिन में परिशोधित नियम लागू हैं, उनके द्वारा सशस्त्र सेवा में की गई सेवा को वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए गिना जाना अधिकृत नहीं है ।

Recovery of Ancient Idols from shops in New Delhi

5951. **Shri Chandulal Chandrakar :**

Shri Mukhtiar Singh Malik :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Delhi Police have recovered 12 ancient idols in a raid carried out by them on a shop dealing with antiques in a New Delhi hotel;

(b) the number of places from where the said idols were stolen and whether all these facts have come to light;

(c) whether these idol-lifters are involved in any international gang;

(d) if so, the full facts thereof; and

(e) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) Yes Sir.

(b) Not yet known.

(c) Not yet known.

(d) The question does not arise.

(e) The case is under investigation and no person has been arrested so far.

हिन्दुस्तान पिलकिंगटन्स के विरुद्ध शिकायतें

5952. **श्री राजदेव सिंह :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पिलकिंगटन्स नामक फर्म के विरुद्ध जो ऐनकों के अच्छी किस्मों के सफेद और रंगीन शीशे बनाने का काम करती है सरकार को यह शिकायत मिली है कि वे खिड़कियों में लगाये जाने वाले शीशों की चादरों को समतल बना कर और परिष्कृतक कर के उन्हें जनता को धूप की ऐनकों के शीशों के रूप में बचते है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Murder of a Harijan in Malakhan Chhediyapoorva Village, U.P.

5953. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in "Vir Arjun" dated the 2nd January, 1973 that a Harijan named Ramdular, was shot dead at night by some so called Caste Hindus in Malakhan Chhediyapoorva village about 30 kilometre away from Pratapgarh; and

(b) if so, the number of persons arrested and the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) & (b) : Government have seen the relevant news-item which appeared in the "VIR ARJUN" dated the 2nd January, 1973. Facts are being ascertained from the State Government.

मध्य प्रदेश के सिधी जिले के कुसुमी गांव में डाकघर की सुविधा

5954. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सिधी जिले के कुसुमों गांव में, जो आदिम जातीय खण्ड का मुख्यालय है, डाकघर की मूल सुविधा उपलब्ध नही है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर डाकघर कब तक स्थापित किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस गांव में डाक एकत्रित करने और डाक का वितरण करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं । अलबत्ता इस समय इस गांव में कोई डाकघर नहीं है ।

(ख) ऐसा अनुमान है कि यदि इस गांव में डाकघर खोला गया तो वह डाकघर डाक-तार विभाग द्वारा घाटे की निर्धारित सीमा से अधिक घाटे पर काम करेगा । तथापि, यदि कोई इच्छुक पार्टी डाकघर पर होने वाले पहले साल के घाटे की रकम, जो कि 115 रुपये 85 पैसे निकलती है, जमा कराने के लिए तैयार हो तो यह डाकघर खोला जा सकता है ।

टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने में भेदभाव करना

5955. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक मामलों में लोगों को, जिनको आवेदन-पत्र दिये 8 वर्ष से अधिक अवधि बीत चुकी है, टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिले हैं ; परन्तु जिन्होंने कुछ महीने पहले आवेदन-पत्र दिये थे, उन्हें टलीफोन कनेक्शन मिल गये हैं ; और

(ख) क्या अनेक मामलों में उन लोगों के नाम में कनेक्शन दिये जाते हैं जो प्राथमिकता वाले वर्ग में आते हैं और उनको उसकी कोई जानकारी नहीं होती और टेलीफोन का उपयोग कई अन्य व्यक्ति करते हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणी और सामान्य श्रेणी में टेलीफोन देने की स्थिति हर एक्सचेंज में अलग-अलग होती है । जिन एक्स्चेंजों में टेलीफोन देना सुगम है वहां मांग करने पर सामान्य श्रेणी में भी टेलीफोन मिल सकते हैं लेकिन यह भी सत्य है कि जिन एक्सचेजों में टेलीफोन देना मुश्किल है, वहां सामान्य श्रेणी में 8 साल से ज्यादा अर्सा हो जाने पर भी लोगों को टेलीफोन नहीं मिल सका है ।

(ख) जी, नहीं ।

दक्षिण और पूर्व के अधिक सीमेंट वाले क्षेत्रों में सीमेंट संयंत्र

5956. **श्री राज सिंह देव** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21-11-1972 के "इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण और पूर्व के अधिक सीमेन्ट वाले क्षेत्रों में सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने के बारे में औद्योगिक विकास और वित्त मंत्रालयों के बीच मतभेद है; और

(ख) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है और यदि, हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 21 नवम्बर, 1972 के इकनामिक टाइम्स में प्रकाशित यह समाचार देखा है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है कि देश के दक्षिण और पूर्व क्षेत्रों में नये सीमेन्ट संयंत्र स्वीकृत करने के बारे में औद्योगिक विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच मतभेद है । किन्तु इस बात का खंडन करते हुए यह बताया जाता है कि देश के दक्षिण तथा पश्चिम क्षेत्रों में सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने के बारे में औद्योगिक विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच कोई मतभेद नहीं है । मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा समुचित निर्णय किया जायेगा ।

राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों की संख्या

5957. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी 1971 से पहली फरवरी 1973 तक प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की कितनी घटनाएं हुई ; और

(ख) क्या हाल ही में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में दिये गये सुझाव के अनुसार केन्द्रीय सरकार का विचार हस्तक्षेप करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ऐसी घटनाओं के घटित होने पर खेद प्रकट करती है । सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि हरिजनों के विरुद्ध किए गये अपराधों की तुरन्त व प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों पर दबाव डालें । यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा करने में असफल रहने का तात्पर्य संबंधित अधिकारियों का अपना कर्तव्य निभाने में गम्भीर अवहेलना करना होगा ।

उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी तत्वों द्वारा भारत विरोधी प्रचार के लिये धार्मिक स्थानों का उपयोग

5958. **श्री एस० एम० मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को इस बात का पता है कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों और धार्मिक स्थानों का उपयोग पाकिस्तानी तत्वों द्वारा भारत विरोधी प्रचार के लिये किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तानी तत्वों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में मस्जिदो व धार्मिक स्थानों का प्रयोग भारत-विरोधी प्रचार के लिए किया जा रहा है।

नेशनल ईन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी कलकत्ता में उत्पादित रक्षा सामग्रियां

5959. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित नैशनल इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी में कुछ किस्म को रक्षा सामग्रियों का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशिष्ट रूप से रक्षा सामग्रियों के लिये उनका मंत्रालय नैशनल इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी में विशिष्ट विभाग का विस्तार कर सकता है; और

(ग) रक्षा मंत्रालय को उक्त फैक्टरो के कौन से मूल उत्पादों की आवश्यकता होती है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जो हां।

(ख) प्रतिरक्षा के लिए इंफ्रा-रेड नाइट विजन उपकरण के उत्पादन और संभरण के लिए नशनल इन्स्ट्रूमेंटस् लिमिटेड, कलकत्ता में एक अलग प्रभाग मौजूद है।

(ग) इन्फ्रा-रेड नाइट विजन उपकरण और आप्टिक थियोडोलाइट।

दिल्ली प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष को केन्द्रीय प्रेस प्रत्ययपत्र

5960. **श्री एस० सी० सामंत** :

श्री माधुर्य हालदार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रो मलिक नामक दिल्लो प्रस रिपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और नैशनल यूनियन आफ जर्नालिस्टस् (आई०) के प्रमुख संयोजक को केन्द्रीय प्रेस प्रत्ययपत्र दिया गया है; और

(ख) क्या वर्तमान मुख्य आसूचना अधिकारो जो इंडियन एयरलाइंस का इससे पहले सम्पर्क प्रबन्धक था, को न्यायालय के इस फैसले का पता नहीं था जिसमें इस पत्रकार को इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन तथा अन्य पत्रकार को धोखा देन के लिये दोषी करार दिया गया था ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर. सिंह) : (क) टाइम्स आफ इंडिया के रेजिडेन्ट एडिटर के अनुरोध पर समाचार पत्र के चीफ रिपोर्टर श्री के० एन० मलिक को पहले के चोफ रिपोर्टर श्री बी० के० जोशी के स्थान पर केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन दिया गया था। श्री मलिक को केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति द्वारा प्रत्यायन इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया था कि समाचार पत्र तथा स्वयंम संवाददाता दोनों ही नियमों के अन्तर्गत अर्हता प्राप्त थे।

(ख) प्रधान सूचना अधिकारी को अदालत के मुकदमें का पता था परन्तु उस मुकदमे का संवाददाता के प्रत्यायन से कोई सम्बन्ध नहीं था।

भारत में प्रत्याशित आयु

5961. श्री राजदेव सिंह :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की जनांकिकीय वर्ष पुस्तक (इयर बुक) के अनुसार जो कि हाल में प्रकाशित हुई है, भारत में पुरुषों की प्रत्याशित आयु 44.89 वर्ष है जो कि अभी भी स्वीडन में जन्म लेने वाले पुरूषों से जिनकी प्रत्याशित आयु सबसे अधिक है 11.27 वर्ष कम है;

(ख) क्या वर्ष पुस्तक (इयर बुक) के अनुसार भारत में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक समय तक जीवित रहने की आशा है जब कि स्त्रियों की प्रत्याशित आयु समूचे विश्व की स्त्रियों से आम तौर पर अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इससे क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) संयुक्त राष्ट्र जनसांख्यिकीय वर्ष पुस्तक 1971 (जो अद्यतन उपलब्ध पुस्तक है) में भारत में जन्म लेने वाले पुरुषों की प्रत्याशित आयु 41.89 वर्ष होना लिखा है। यह 1951–60 के दशक से सम्बन्धित है। उसी दशक के लिए स्वीडन में जन्म लेने वालों की आयु 70.86 वर्ष पाई गई है। इसके परिणामस्वरूप दो आंकडों के बीच 28.97 वर्ष का अन्तर है।

(ख) और (ग) महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत प्रतिकूल नश्वरता की स्थिति के कारण भारत और कुछ अन्य विकासशील देश जैसे श्री लंका, पाकिस्तान आदि में भी जन्म लेने वाली महिलाओं की प्रत्याशित आयु पुरुषों की अपेक्षाकृत कम है।

दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी हटाओ अभियान

5962. श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने नगर की सफाई तथा उसे सुन्दर बनाने के नाम पर झुग्गी झोपडी हटाओं अभियान शुरू किया है।

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री ने बेघर लोगों जो कि अभियान के शिकार हुए है की हालत देखने के लिए हाल में उन क्षेत्रों का दौरा किया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अभियान से प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उन बेघर लोगों को बसाने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित

किया है कि सफाई तथा सुन्दर बनाने के नाम पर किसी अभियान के अन्तर्गत कोई झुग्गी झोंपडियां नहीं हटाई गई थीं। नगर निगम अधिनियम के अधीन विभिन्न अवसरों पर नगर निगम की भूमि से अतिक्रमण हटाये गये थे।

(ख) गृह मंत्री के साथ प्रधान मंत्री ने किंग्जवे कैम्प और तिमारपुर क्षेत्र का दौरा किया जहां कि अनधिकृत निर्माण के कारण कुछ निर्माणों को गिरा दिया गया था जिनसे मार्ग रुक रहा था।

(ग) निगम ने सूचित किया है कि नगर निगम अधिनियम के अधीन निम्नलिखित स्थानों से अतिक्रमण हटाये गये थे :—

(1) मोतियाखान के समीप मुंडेवालान मार्ग (होशियार सिंह मार्ग)

(2) देशबन्धु गुप्ता मार्ग

(3) तैलीवाडा

(4) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

(5) किंग्जवे कैम्प

क्योंकि देश बन्धु गुप्ता मार्ग और तैलीवाडा में अस्थायी अतिक्रमण थे अतः किसी प्रभावित व्यक्ति को नहीं बसाया गया। निगम के अनुसार मोतियाखान के समीप मुंडेवालान मार्ग (होशियार सिंह मार्ग) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और किंग्जवे कैम्प से हटाये गये व्यक्तियों को बसा दिया गया है।

बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा के बारे में समिति

5963. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न एंड कंपनी लिमिटेड के कार्यकरण की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिती ने अपना प्रतिवदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु शक्ति संयंत्रों में ईंधन तत्वों को बदलने के लिये निर्धारित समय

5964. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **परमाणू ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु शक्ति संयंत्रों में ईंधन तत्वों को बदलने के बारे में कोई समय निर्धारित किया गया है, यदि हां, तो उसकी निर्धारित अवधि क्या है;

(ख) क्या ईंधन तत्वों को बदलने के लिये प्रत्येक परमाणु संयंत्र के लिये निर्धारित समय-सूचि का पालन किया गया;

(ग) समय-सूचि का ब्यौरा क्या है तथा ईंधन तत्वों को वास्तव में किस तिथि अथवा तिथियों को बदला गया; और

(घ) क्या इस समय सभी परमाणु संयंत्रों में ईंधन तत्वों को बदला जा चुका है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां। केवल तारापुर स्थित बिजलीघर, जो कि इस समय एक मात्र चालू बिजलीघर है, के लिए ऐसा किया गया है। तारापुर बिजलीघर के रीएक्टर लगभग एक वर्ष तक चलने वाले ईंधन चक्र के अनुसार बिजली पैदा करते हैं। तथापि ईंधन बदलने का और अधिक सही समय, ईंधन बदलने के लिय रिएक्टर को बन्द करने के समय से लगभग 6 से 8 महीने पहले निर्धारित किया जाता है।

(ख) पूर्व-निर्धारित समय-सूचि का यथासंभव पालन किया जाता है। तथापि ग्रिडों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1971-72 में निर्धारित समय-सूचि में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था।

(ग) तारापुर परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को पहली बार ईंधन बदलने के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 अगस्त, 1971 को बंद किया गया था। ग्रिड की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दूसरी बार ईंधन बदलने के लिये बिजलीघर को फिर से जनवरी 1973 में बंद किया गया था। ईंधन बदलने तथा अनुरक्षण का काम अभी जारी है।

तारापुर परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट पहली बार ईंधन बदलने के लिये नवम्बर 1971 के आस पास बंद किया जाना था किन्तु यह कार्य महाराष्ट्र और गुजरात के ग्रिड़ों की विद्युत सम्बन्धी तत्काल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा बंद किये गये पहले यूनिट का काम समाप्त करने के उद्देश्य से 23 मार्च, 1972 तक स्थगित करना पड़ा था। दूसरे यूनिट में ईंधन बदलने का काम तथा अन्य काम 21 दिसम्बर, 1972 को समाप्त कर लिये गये। तबसे बिजली घर अब अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है।

(घ) तारापुर बिजलीघर के रिएक्टरों का डिजायन इस प्रकार से बनाया गया था कि जब-जब भी उन्हें ईंधन बदलने के लिये बंद किया जाये तब-तब उनके 20 प्रतिशत ईंधन के बंडल बदलें जायें। अब तक बिजलीघर को बंद करने की अवधि में ऐसा किया जा चुका है।

रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों पर कथित एकाधिकार

5965. श्री सरोज मुखर्जी :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों पर केवल बाईस परिवारों के एकाधिकारों के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या आकाशवाणी और टेलीविजन के विभिन्न कार्यक्रमों के लिये चयन में मंत्रियों और अन्य राजनीतिज्ञों की पत्नियों, पुत्रियों, पुत्रों और अन्य सम्बंधियों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) क्या कार्यक्रम देने में वास्तविक कलाकारों की वास्तविक प्रतिभा की उपेक्षा सम्बन्धित अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं,वरन नियमों में त्रुटियों के कारण होती है और यदि

हां, तो नियमों और प्रणाली की इन त्रुटियों को दूर करने के लिये मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं, परन्तु अंग्रेजी के एक स्थानीय समाचारपत्र में रेडियो कार्यक्रम सम्बन्धी उसके साप्ताहिक स्तंभ में इस आशय की टिपण्णी प्रकाशित हुई थी ।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं ।

Declaration of Union Territory of Mizoram as a Disturbed Area

5966. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Varkey George :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the entire Mizoram area has been declared as disturbed area for a period of six months;

(b) whether heavy losses have been caused as a result of the activities of armed Mizo rebels and explosions; and

(c) if so, the action taken by Government against those rebels?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) The entire Union Territory of Mizoram has, by a notification issued by the Adminitrator on the 1st March, 1973, has been declared as a "disturbed area" for a further period of six months under the Assam Disturbed Areas Act, 1955.

(b) While some losses have been incurred due to theft of Government money by armed Mizo rebels, the damages caused by sabotage activities on the part of such rebels is reported to be negligible.

(c) The Mizoram Administration have tightened security measures with a view to preventing an increase in such underground rebel activity.

संघ लोक सेवा आयोग के सचिव की पदावधि

5967. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के सचिव के पद पर वर्तमान अधिकारी गत 9 वर्षों से कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग के सचिव के पद पर कार्य करने के लिये सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि निर्धारित है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान पदाधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग के सचिव पद पर 9 वर्षों से बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) संविधान के अनुच्छेद 318 की धारा (ख) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए संघ लोक सेवा आयोग (स्टाफ) विनियमन 1958 के विनियम 3 के अधीन आयोग के सचिव को आयोग द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह उस अवधि तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जो कि उसकी नियुक्ति के समय निर्धारित की जायगी । आयोग के सचिव के पद के लिये कोई विहित सेवावधि निर्धारित नहीं

की गई है। आयोग के वर्तमान सचिव को दिनांक 22-2-1965 से नियुक्त किया गया था और प्रथमतः उसकी सेवावधि को उस तिथि से पांच वर्ष के लिये निर्धारित किया गया था। दिनांक 22-2-1970 से उसकी सेवावधि को आगे तीन वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ा दिया गया था। उसके उत्तराधिकारी के चयन किए जाने तथा नियुक्ति होने तक उसकी सेवावधि को दिनांक 22-2-1973 से तीन मास तक की अवधि के लिये और बढ़ा दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Looting of the House of Harijans of Village Karahi, District Basti, Uttar Pradesh

5968. **Shri Anant Prasad Dhusia :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the houses of Harijans of village Karahi, District Basti, Uttar Pradesh were looted recently by the landlord and other people there;

(b) whether the police refused to register the report of incident and abused, scolded and driven away the Harijans out of the Police Station; and

(c) whether the matter was also reported to the District Magistrate and Superintendent of Police and if so, the action taken by them against the police officers and landlords?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) According to information received om the Government of Uttar Pradesh, on February 7, 1973, some Harijans of village Karahi, P.S. Kotwali, District Basti lodged a complaint with the police that some Ahirs of the village had set fire to one of the huts of the Harijans and also beaten their women and children. A case under Section 147/323/436 I. P.C. was registered immediately. On a complaint lodged by the rival party, regarding the same incident, a counter case was also registered under Sections 147/323/325/336/436 I. P. C. One Harijan and two members from the opposite party were arrested by the police. On February 22, 1973 chargesheet was submitted in both the cases which are now *sub judice*. The police also initiated proceedings under Section 107/117 Cr. P. C. against 19 persons belonging to both the groups. The piece of land which was under dispute between the rival parties was also attached under Section 145 Cr. P. C.

(c) A complaint made by the Harijans was received in the Office of Superintendent of Police, Basti on February 19, 1973. It was alleged that when the Harijan applicants went to the police station to lodge a report, a case against them was instead registered and they were put in jail. In another complaint made to the District Magistrate on the 20th February, 1973, it was alleged that the Kotwali Police had refused to register the report of the Harijans and, on the other hand, arrested the informant. This complaint was also passed on to the Superintendent of Police. It has been reported by the Superintendent of Police that the allegation in regard to the refusal by the Kotwali police to record the F. I. R. was not substantiated. The police had taken prompt action to register and investigate the complaints lodged by the rival parties. As none of the police officials at the Kotwali police was found at fault, the question of taking action against the police does not arise.

आसाम में दंगों के बारे में आसाम के पूर्ति मंत्री का वक्तव्य

5969. **श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में हाल में हुए दंगों में कुछ मंत्रियों का हाथ था, जैसा कि 16 फरवरी 1973 को आसाम के पूर्ती मंत्री ने लुमडिंग में कहा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा केन्द्रीय सरकार ने इस सबंध में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) असम सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

बिहार में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता की हत्या

5970. श्री भगीरथ भंवर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के दो नेताओं को बिहार में 26 फरवरी, 1973 को गुंडों के गिरोह ने बस में से खींच लिया तथा उनकी हत्या कर दी ;

(ख) क्या इस मामले की न्यायिक जांच की व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या केन्द्र के अपनी जांचकारी व्यवस्था को इस कुत्सित घटना की जांच करने के लिए राज्य सरकार को सौंप दिया है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Talk with Chief Ministers of States in regard to the Curbing of Communal Riots in States

5971. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister and the Home Minister held talks with the Chief Ministers of different States on 23rd February, 1973 in regard to curbing communal riots in the States;

(b) if so, whether it has also been decided that the Central Government would give proper assistance to curb communal riots; and

(c) if so, the nature of assistance to be provided by the Central Government?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) Attention in this connection is invited to the reply given to Lok Sabha Starred Question No. 401, dated 21st March, 1973.

(b) and (c) It has been the policy of the Central Government to always remain the close touch with the State Governments in such matters. The Central Government has also been providing ali possible assistance, including deployment of Central forces, for dealing with communal riots.

बंगला देश से बिहारी मुस्लिमों द्वारा भारत की सीमा में घुसने के बाद नेपाल भाग जाना

5972. श्री विभूति मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे बिहारी मुस्लिम जो बंगला देश से भारत की सीमा में घुस आए थे, अब नेपाल चले गए हैं ;

(ख) सरकार को इस बारे में क्या जानकारी है ; और

(ग) क्या भारत की सीमा में घुसने और इसके बाद नेपाल भाग जाने में बिहारी मुस्लिमों को भारतीय पुलिस ने साथ दिया?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार समझती है कि बंगला देश से आए कुछ गैर बंगाली मुसलमान नेपाल में हैं। इन व्यक्तियों के भारतीय क्षेत्र से नेपाल के लिए सीमा पार करने की सम्भावना को असंगत नहीं माना जा सकता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

विदेशी शक्तियों की सहायता से नागालैंड में पुनः उपद्रव आरम्भ करने की विद्रोही नागाओं की योजना

5973. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपद्रवी नागाओं का विचार नागालैण्ड सरकार के साथ अपने संबंधों को सौहार्द-पूर्ण बनाने का है अथवा पुनः विद्रोही गतिविधियां आरम्भ करने का है ;

(ख) क्या विद्रोहियों ने भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रयत्न किया है; और

(ग) क्या कोई विदेशी शक्ति उन्हें नागालैण्ड में पुनः उपद्रव आरम्भ करने के लिये किसी प्रकार की सहायता दे रही है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (ी एफ० एच० मोहसिन) : (क) नागा विद्रोहियों ने अपनी किसी भी प्रकार की आकांक्षाओं का कोई संकेत नहीं दिया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) यह जानकारी है कि कुछ विभ्रान्त नागा कुछ विदेशी राज्यों के साथ नागा विद्रोहियों के लिए प्रशिक्षण सुविधायें सम्भरण, हथियार व गोलाबारुद और धन प्राप्त करने के लिए सम्पर्क बनाये हुए हैं।

तैयारी समितियां (प्रोपेरेटरी कमिटी) और ग्रुपों के प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए भारत-रूस संयुक्त पैनल की बैठक

5974. **श्री प्रभुदास पटेल** :

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग के लिए विभिन्न तैयारी समितियों और दलों के प्रतिदिनों अथवा विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार करने के लिए भारत-रूस संयुक्त पैनल की 8 फरवरी, 1973 को दिल्ली में बैठक हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो इस पैनल में भारत और रुस की ओर से किस-किस ने प्रतिनिधित्व किया; और

(ग) बैठक में क्या निर्णय किए गए ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर भारत-रुस अन्तः सरकारी आयोग का गठन एक इकरारनामे के अनुसार किया गया। इस इकरारनामें पर मास्कों में 9 सितम्बर, 1972 को भारत तथा रुस ने हस्ताक्षर किए थे। इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में 9 फरवरी से 17 फरवरी, 1973 तक हुई। दोनों प्रतिनिधि मंडलों को क्रमिक संबंधित विशेषज्ञों जिन्होंने 30 जनवरी, 1973 को बातचीत आरम्भ करी थी, द्वारा सहायता प्रदान की गई।

(ख) दोनों पक्षों के सदस्यों के नाम दर्शाते हुए भारत-रूस संयुक्त आयोग का गठन संलग्न अनुबन्ध 'क' में दिया गया है।

(ग) दोनों पक्षों के विशेषज्ञ दल के कार्य के प्रतिफलों का आयोग ने अनुमोदन किया। दोनों पक्षों के मध्य हुए विचार-विमर्श के अन्त में एक सहमत संलेख तैयार किया गया। इस संलेख में लोहिय और अलोहिय धातु-विज्ञान, उत्पादन सहयोग का विकास, तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन तथा परिष्कार के साथ-साथ इलैक्ट्रोनिक्स विज्ञान, और प्रोद्योगिकी में विभिन्न क्षेत्रों की स्थापना, भारत-रूस. को गैर परम्परागत मदों के निर्यात में वृद्धि और कलकत्ता भूमिगत रेल आदि क्षेत्रों में भारत और रुस के बीच निरन्तर सहयोग की परिकल्पना की गई है।

विवरण

अनुबन्ध 'क'

भारतीय पक्ष	रुसी पक्ष
1. श्री डी० पी० धर, योजना मंत्री—अध्यक्ष।	1. श्री एस० ए० स्कोचकिव, अध्यक्ष, विदेशी आर्थिक संबंधों की यू० एस० एस० आर० स्टट कमेटी—अध्यक्ष।
2. श्री बी० डी० पाण्डे, मंत्रिमंण्डल सचिव।	2. श्री एल० एन० एफरेमोव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए यू० एस० एस० आर० स्टेट समिति के उपाध्यक्ष, आयोग में रूसी पक्ष के उपाध्यक्ष।
3. श्री एम० जी० कौल, सचिव, अर्थ विभाग।	3. श्री आई० टी० ग्रीथिन, विदेश व्यापार के उपमंत्री।
4. श्री बी० बी० लाल, सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।	4. श्री वी० ए० सरजीव, उपाध्यक्ष, विदेशी आर्थिक संबंधों की यू० एस० एस० आर० स्टेट समिति।
5. प्रो० एम० जी० के० मेनन, सचिव, इलैक्ट्रानिक्स विभाग।	5. श्री वी० बी० स्पण्डरियन, यू० एस० एस० आर० स्टेट प्लानिंग कमेटी के सदस्य, विदेश व्यापार विभाग के प्रमुख।
6. प्रो० एस० धवन, सचिव, अन्तरिक्ष विभाग।	
7. डा० आर० रमन्ना, सदस्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति।	
8. श्री बी० के० सन्याल, अतिरिक्त सचिव, विदेश मंत्रालय।	

शिक्षित बेरोजगारों के लिये स्वनियोजन

5975. **श्री के० मालन्ना** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षित बेरोजगारों के स्वनियोजन के लिये सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष योजनाएं भी तैयार की गई हैं तथा उन्हें विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थानों और रोजगार कार्यालयों में परिचालित किया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4718/73 ।]

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना

5976. **श्री राजदेव सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1973-74 में 86,500 शिक्षित बेरोजगारों के लिये अतिरिक्त रोजगार अवसर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को 30.5 करोड़ रुपये के लागत की एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इतने बड़े राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त योजना को स्वीकार करने तथा इस योजना को लागू करने के लिए वित्तीय व्यवस्था करने को तैयार है ; और

(ग) योजना की मुख्य रुपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार को स्कीमों को दुबारा तैयार करने तथा संशोधित करने की सलाह दी गई है और इस संबंध में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि

5977. **श्री रामभगत पस्वान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह की जन संख्या में गत दशाब्दि में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। 1961-71 के दशक के दौरान अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या में 81.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) इसका कारण व्यापक रूप से भारत के अन्य राज्यों से लोगों का आव्रजन हो सकता है।

श्री कल्याण बसु के पासपोर्ट को जब्त किया जाना

5978. **श्री बी० बी० नायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री कल्याण बसु नामक एक व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान्। श्री कल्याण कुमार बसु द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन, अधिनियम, 1947 के

उपबंधों के कथित उल्लंघन के संबंध में प्रवर्तक निदेशालय द्वारा की गई जांच पडताल का कार्य प्रगती पर है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब श्री बसु से पूछताछ की जा रही थी, उसने निदेशालय के पास अपना पासपोर्ट जांच–पड़ताल के प्रयोजन से छोड़ दिया था। तदनन्तर, चीफ प्रेसिडन्सी मजिस्ट्रेट कलकत्ता, के आदेशों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उक्त मामले के सिलसिले में इस पासपोर्ट को अपने कब्जे में रख दिया गया है।

1973-74 में गुजरात में पिछड़े जिलों के विकास के लिये धनराशि का नियतन

5979. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात राज्य के केवल पिछड़े जिलों के विकास के लिये 1973-74 में, जिलावार, कुल कितनी धनराश निर्धारित की गई है?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है और किसी खास कार्यक्रमों/स्कीमों या क्षेत्रों के लिए अंकित नहीं की जाती। गुजरात सरकार ने विशेष स्कीमों के अन्तर्गत विशेष तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वार्षिक योजना 1973-74 में 3.26 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है। यह राशि उन क्षेत्रों में सामान्य योजना कार्यक्रमों पर होने वाले खर्चे के अलावा है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा को वित्तीय सहायता

5980. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने उस राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उस राज्य की मांगों की जांच कर ली है तथा उन्हें पूरा कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सहायता को किन क्षेत्रों और किन परियोजनाओं के लिए खर्च किया जायेगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

हरियाणा सरकार ने अपनी दक्षिणी रेगिस्तानी पट्टी को पिछड़ा क्षेत्र निर्धारित किया है, जिसमें महेन्द्रगढ़, हिसार जिले तथा गुड़गांव तथा रोहतक जिलों के कुछ भाग शामिल है। राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों का विकास करने के लिए कई बार योजना आयोग से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना की है। जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने राज्य को निम्नलिखित विधि से सहायता उपलब्ध की है:—

(1) हिसार तथा महेन्द्रगढ़ दोनों जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित कर दिये गये हैं अतएव वे वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्तीय सहायता स्वीकार करने के लिए पात्र हैं।

(2) महेन्द्रगढ़ जिले को औद्योगिक निवेशों के प्रति पूंजिगत निवेशों के कारण 10 प्रतिशत आर्थिक सहायता का अधिकारी घोषित कर दिया गया है।

(3) निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए योजना के बाहर 1972-73 के लिए 3.5 करोड़ रुपय स्वीकृत किये गये है जो कि मन्हेद्रगढ़ और हिसार जिलों को लाभ पहुचायेंगे :—

(क) इन्दिरा गांधी नहर .	1.5	करोड़ रुपये
(ख) बी० एन० चक्रवर्ती नहर	1.5	करोड़ रुपये
(ग) हांसी नहर का रेखांकन	0.5	करोड़ रुपये
जोड़ .	3.5	करोड़ रुपये

इसके अतिरिक्त निम्नांकित कार्यक्रमों के लिए हरियाणा सरकार को विशिष्ट सहायता की व्यवस्था की गयी है जिससे इस संबंध में भी सहायता मिलेगी —

अपात कालिन कृषि उत्पादन क्रम	428 लाख रुपये।

गुजरात में लघु उद्योगों के विकास के लिये निर्धारित की गई धनराशि

5981. **श्री वेकारिया** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973–74 के लिये गुजरात राज्य में, जिलवार, लघु उद्योगों के विकास के लिये कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : योजना आयोग ने गुजरात राज्य में ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास हेतु वर्ष 1973–74 के लिए कुल 120 लाख रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दे दी है। इसका आबंटन जिलेवार नहीं किया गया है।

Import of X-Ray Films

5982. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the requirements of X-ray films in the country;

(b) the number of X-ray films imported from foreign countries during the last three years alongwith the names of such countries; and

(c) the action being taken by Government for their indigenous production so that the country may not be dependent on foreign countries in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The current requirement of X-ray Films in the country is around 1.5 million sq. meters per annum.

(b) The number of X-ray Films and plates imported from foreign countries during 1970-71 to 1972-73 (upto Aug. 1972) is indicated below:

Country	1970-71		1971-72		1972-73 (up to Aug.'72)	
Belgium	174,000	Sq. m.	125,000	Sq.m	140,000	Sq.m
Czechoslovakia	117,000	,,	73,000	,,	99,000	,,
German Democratic Republic	428,000	,,	276,000	,,	203,000	,,
German Federal Republic	89,000	,,	235,000	,,	71,000	,,
Italy	358,000	,,	..		..	
Japan	40,000	,,	211,000	,,	37,000	,,
U. K.	739,000	,,	122,000	,,	346,000	,,
U.S.A.	86,000	,,	32,000	,,	7,000	,,
Hungary	71,000	,,	91,000	,,	..	
Others	18,000	,,	19,000	,,	Negligible	,,
TOTAL	2120,000	,,	1184,000	,,	903,000	,,

(c) M/s. Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd., Ootacamund are the only unit manufacturing X-Ray Film in the country, with an installed capacity of 1 million squaremeters per annum. They also convert imported Jumbo Rolls into X-ray Films. Their production during 1972-73 is estimated at 7,13,000 square meters. During the Fifth Plan Period, Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited propose to set up facilities for the manufacture of Medical X-Ray Film on Polyester base to the extent of 5 million square meters per annum, which is expected to be the demand of the country by the year 1980.

औद्योगिक विकास के लिये जम्मू और कश्मीर को सहायता

5983. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में औद्योगिक विकास संबंधी अपनी योजनाओं के लिये अधिक सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) राज्यों को केन्द्रीय सहायता वार्षिक योजना के आधार पर एक मुक्त ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है। वर्ष 1973–74 की राज्य सरकारों की वार्षिक योजना में औद्योगिक विकास के लिए 215 लाख रुपये की व्यवस्था है। 1973–74 की अवधि के लिए जम्मू तथा काश्मीर की विभिन्न विकास योजनाओं हेतु स्वीकृत कुल केन्द्रीय सहायता 34.21 करोड़ रुपये है।

Non-Utilisation of Funds for Welfare Schemes for Adivasis in Bastar (Madhya Pradesh)

5984. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the schemes worth Rs. 4 crores were sanctioned for the welfare of Adivasis in Bastar District of Madhya Pradesh, but not even one per cent of this amount has been spent so far; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (**Shri F. H. Mohsin**) **:** (a) and (b) The information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

आन्ध्र आन्दोलन का राज्य की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव

5986. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पृथकतावादियों के आन्दोलन से राज्य की अर्थव्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था की अनुमानतः कितनी हानी हुई ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जबकि यह एक वास्तविकता है कि आन्दोलनों के कारण आन्ध्र प्रदेश में राज्य के विभिन्न भागों की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है परन्तु क्षति का कोई संक्षिप्त अनुमान अभी नहीं लगाया गया है।

फिल्म्स डिवीजन द्वारा भारत की स्वतन्त्रता की 25 वीं वर्षगांठ का प्रचार

5989. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के फिल्म्स डिवीजन द्वारा भारत की स्वतन्त्रता की 25 वीं वर्षगांठ का उचित प्रचार नहीं किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) फिल्म प्रभाग ने भारतीय समाचार समीक्षाओं एवं वृत्तचित्रों के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता की 25 वीं जयन्ती का पर्याप्त प्रचार किया है। फिल्मों की एक सूची संलग्न है। ([**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०** 4719/73]

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर स्टालों का गिराया जाना

5990. श्री यमुनाप्रसाद मण्डल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने जनवरी, 1973 के महीने में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर बने स्टालों को गिरा दिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्टाल मालिकों को कोई पूर्व चेतावनी अथवा नोटिस दिये गये थे ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली प्रशासन के सहयोग से जनवरी, 1973 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पैदल पटरियों से अनधिकृत अतिक्रमण को हटाया। पटरियों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को अपना सामान पास के इलाके में किसी अन्य स्थान पर ले जाने का यथोचित नोटिस दिया गया था और परिवहन की भी व्यवस्था की गई थी।

बिहार के जिला मुंगेर के खुरना गांव में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा एक हरिजन को पीटा जाना

5992. **श्री एम० कत्तामुतु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 जनवरी, 1973 को बिहार में जिला मुंगेर में झांका थानान्तर्गत खुरना गांव में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा एक हरिजन को पीटा गया था ; और

(ख) इसके लिये जिम्मेदार ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच्० मोहसिन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Payment of Ex-Gratia Amount to Electricity Employees Working in N.D.M.C. and D.E.S.U.

5993. **Shri Hukam Chand Kachwai:**

Shri R. V. Bade:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether employees of Delhi Electric Supply Undertaking are being paid ex-gratia amount;

(b) whether it has been decided to pay ex-gratia amount to the Electricity Employee working in New Delhi Municipal Committee also; and

(c) if so, when the ex-gratia amount would be paid to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) and (b) Yes, Sir. The New Delhi Municipal Committee has decided to pay ex-gratia to the employees of Electricity Department of the New Delhi Municipal Committee having duties identical or fairly comparable with their counterparts in the Delhi Electric Supply Undertaking.

(c) The New Delhi Municipal Committee has decided to initiate action to determine eligibility of the employees so as to enable the disbursement to them by the time it is usualy done in the Delhi Electric Supply Undertaking.

विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्कियों की उपयोगिता के बारे में विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिती का प्रतिवेदन

5996. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ग्रुपों ने विद्युत उत्पादन के लिये पवन–चक्कियों की उपयोगिता के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या सिंचाई और पीने के लिये पानी पम्प करने के लिए भी पवन–चक्कियों का प्रयोग किया जा सकता है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार किया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई और पीने का पानी

पम्प करने में पवन-चक्कियों के प्रयोग की क्षमताओं के मूल्यांकन के हेतु एक विशेषज्ञ दल स्थापित किया है। इस विशेषज्ञ दल ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री अमृत भूषण गुप्त के मृत्यु दण्ड में परिवर्तन

5997. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अमृत भूषण, जो कि एक इंजीनियर तथा विद्वान हैं, के मृत्यु दण्ड में परिवर्तन संबंधी दया याचिका पर राष्ट्रपति द्वारा अभी विचार किया जाना है जैसा कि 6 मार्च, 1973 के हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) रांची के मानसिक रोगों के अस्पताल में उनका उपचार हो रहा है; और

(ग) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां श्रीमान्।

(ख) रांची में मानसिक बीमारियों के अस्पताल के एक भाग को कारावास अधिनियम, 1894 के अधीन एक विशेष कारावास के रूप में घोषित किया गया है और उसे उपचार होने तक वहां रखा गया है।

(ग) मृत्यु दण्ड प्राप्त बन्दी अमृत भूषण गुप्त की दया याचिका पर सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

पालघाट टाउन में टेलीफोन सब-डिव्हिजन

5998. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट टाउन में एक अतिरिक्त टेलीफोन सब-डिवीजन स्थापित करने के लिए डाक व तार के केरल सर्किल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक नया फोन सब-डिवीजन बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसका मुख्यालय पालघाट में होगा।

नारियल जटा बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध मामले

5999. **श्री एम० के० कृष्णन :**

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नारियल जटा बोर्ड के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध अपराध संख्या 1/73 के रूप में एक मामला दर्ज किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं ; और

(ग) क्या उन में से किसी अधिकारी को निलम्बित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बोर्ड के सचिव के विरुद्ध जाँच के लिये प्रारम्भिक जांच संख्या 1/73 के रूप में 12-1-73 को एक मामला दर्ज किया है। उसके विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मे० वाल्टर थामसन, बम्बई जिनका नाम अब मे० हिंदुस्तान थामसन हो गया है, प्रचार फर्म को कयर बोर्ड का अपना विज्ञापन सलाहकार नियुक्त करने में कम्पनी के साथ अनुचित पक्षपात किया है तथा जिसके फलस्वरूप बोर्ड को आर्थिक हानि उठानी पड़ी ।

(ग) जी, नहीं। प्रारम्भिक जाँच अभी चल रही है।

पांचवीं योजना में उत्तर प्रदेश के लिए कुल परिव्यय

6000. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में जो परिव्यय रखा गया था वह लोगों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत अपर्याप्त था ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या पांचवीं योजना में उत्तर प्रदेश के लिए परिव्यय की व्यवस्था करते समय सरकार का इस पहलू को ध्यान में रखने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया 965 करोड़ रुपये का परिव्यय राज्य की पिछड़ेपन की समस्या के अनुरूप नहीं है। किन्तु इस संबंध में निर्णय मुख्य मंत्रियों द्वारा सर्वसम्मति से तैयार किए गए केन्द्रीय सहायता के फार्मूले और राज्य द्वारा चौथी योजना के लिए जुटाए जाने वाले संसाधनों के आधार पर किया गया।

जैसा कि पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में बताया गया है, पांचवीं योजना में उत्तर प्रदेश सहित पिछड़े राज्यों पर अब विशेष ध्यान दिया जाएगा।

Setting up of Electronic Factories in Backward Areas

6001. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Electronics** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up electronic factories in the backward areas of the country;

(b) if so, whether any scheme has been formulated in this regard;

(c) if so, the names of the places selected in backward areas for setting up these industries; and

(d) if the scheme has not yet been formulated, the time by which it would be formulated and the basis on which places would be selected for setting up these industries ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) to (d) The Department of Electronics does not normally set up any factories by itself

but encourages public-sector companies and state undertakings to establish new units in Electronics. In this task, as well as in assessing applications for electronic items both in the organised sector as well as in the small-scale sector, the Department is taking special care to encourage the setting up of such units in the backward areas of the country. In determining backwardness, however, the Department keeps in mind the level of development of the Electronics industry in any particular region and support is given to new units in States and areas where such industry has not yet been fully developed. The Department is, also, of the view that a minimum level of infrastructural facilities is needed for the successful operation of any industrial venture.

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यों में संतुलन

6002. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों में असन्तुलन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विषमता को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य असंतुलन है जिसका कारण स्थलाकृति, अपेक्षातया अगम्यता, बुनियादी संरचना सुविधाओं का अभाव, संस्थागत संरचना का बहुत ही कम विकास, अपर्याप्त ध्यान तथा संसाधनों की स्थायी निधि जैसे अनेक अन्तः प्रभावी घटक है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी तथा अन्य क्षेत्रों के मध्य जो क्षेत्रीय असमानतायें हैं उनको दूर करने के लिए निम्नांकित कदम उठाये गये हैं :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में योजना परिव्यय का वितरण करते समय राज्य सरकार उनके पिछड़े-पन को में ध्यान में रखती है।

(ख) चौथी योजना अवधि में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता का आबंटन करने के लिए विशेष प्रकार की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, जिसके अन्तर्गत उन्हें 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाना था जबकि बाकी राज्य के लिए यह 30 प्रतिशत था।

(ग) पहाड़ी जिलों के लिए योजना व्यय निर्धारित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना परिव्यय अन्य क्षत्रों में न लगा दिए जाय।

(घ) राज्य सरकार ने पर्वतीय विकास निगम की स्थापना की है। संस्थागत वित्त की व्यवस्था करना तथा पहाड़ी क्षेत्रों में वाणिज्यिक परियोजनाएं आरम्भ करना इसका काम है।

(ङ) अल्मोड़ा में 1969 से एक बहुद्देशीय परियोजना आरम्भ की गई है। चुने हुए क्षेत्रों में उच्च उत्पादन देने वाली तथा अन्य महत्वपूर्ण किस्मों का कार्यक्रम आरम्भ करना इस परियोजना का एक उद्देश्य है। यह परियोजना सुधरी कृषि प्रणालियों में किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है।

(च) पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए योजना आयोग के सदस्य डा० बी० एस० मिन्हास की अध्यक्षता में योजना आयोग में एक निर्देशन समिति का गठन किया है। इस समिति द्वारा किए गये काम के परिणामस्वरूप, विद्यमान कृषि प्रक्रियाओं, फसल चक्र, कृषि उत्पादकता तथा बागबानी के संबंध में विश्वसनीय आंकड़े इकठ्ठे करने के लिये व्यवस्था की गई है। निर्देशन समिति के सुझाव पर अनेक अध्ययन/कार्यकारी दलों का गठन किया जा चुका है। इन दलों की रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(छ) अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार ने दो निगम गठित किए हैं जिन के नाम हैं पूर्वांचल विकास निगम तथा बुंदेलखंड विकास निगम। संस्थागत धन जुटाने तथा इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक परियोजनाएं शुरू करने की जिम्मेवारी भी इन की होगी।

(ज) 36 जिलों को "औद्योगिक दृष्टि से पिछडे" निर्धारित किया गया है और वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर धन प्राप्त करने के पात्र हैं। इनमें से छह जिले उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं। औद्योगिक कामों के लिए 10 प्रतिशत पूंजीगत इमदाद देने का जहां तक संबंध है बस्ती, बलिया, फैजाबाद, झांसी और रायबरेली के अलावा उत्तर प्रदेश के पहाड़ों से जिला अल्मोड़ा चुना गया है। न्यूनतम आवश्यकताओं के संबंध में इन क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है सरकार को उसकी जानकारी है और आशा है कि सामाजिक उपभोग की मदों के मामले में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विद्यमान असमानतायें पांचवी योजना के अन्त तक काफी कम हो जायेंगी। इस संबंध में पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकताओं का अलग से पता लगाया जा रहा है।

'चर्चा का विषय है' नामक कार्यक्रम के लिये लोगों को बुक करना

6003. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्टेशन से 'चर्चा का विषय है' नामक कार्यक्रम का प्रसारण कब से किया जा रहा है; और

(ख) उक्त कार्यक्रमों के लिए लोगों को बुक करने के बारे में क्या मापदण्ड है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) 15 जनवरी, 1972 से।

(ख) किसी कार्यक्रम के लिए व्यक्ति को बुक करने में आकाशवाणी का मार्ग निर्देशन करने वाली मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) किसी व्यक्ति विशेष का उसके अपने कार्यक्षेत्र/विशिष्टीकरण में स्थान।

(2) प्रसारण माध्यम की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से उसकी उपयुक्तता जैसे कि श्रोताओं के सम्मुख कुशलतापूर्वक अपने विचार प्रकट करने की क्षमता; स्वर की उपयुक्तता; ढंग आदि।

(3) व्यक्ति का उपलब्ध होना।

वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, चंडीगड़ तथा जालंधर में काम कर रहे कर्मचारी

6004. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, चण्डीगढ़ तथा जालन्धर में काम कर रहे कर्मचारियों के पदों के नाम क्या हैं; और

(ख) उन्हें अपने स्टेशनों पर वापिस न भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ख) निम्नलिखित कर्मचारी वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, दिल्ली से संचालन कर रहे हैं :—

(1)	कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव	1
(2)	प्रोडक्शन एसिस्टैंट (सीनियर ग्रेड)	3
(3)	जनरल एसिस्टेंट	2

इन कर्मचारियों का चण्डीगढ़/जलन्धर में तबादला करना प्रशासनिक कारणों से सम्भव नहीं हो सका है (मुख्यता स्थान तथा तकनीकी कर्मचारी)।

विवरण

1. चण्डीगढ़ (वाणिज्यिक प्रसारण सेवा) की स्वीकृत संख्या

नियमित पद

1	सहायक केन्द्र इंजीनियर	1	
2	अतिरिक्त केन्द्र निदेशक	1	
3	सीनियर सम्वाददाता	1	
4	समाचार सम्पादक	1	
5	सम्वाददाता	1	
6	सहायक समाचार सम्पादक	1	
7	कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव	3	इनमें से एक पद दिल्ली (वाणिज्यिक प्रसारण सेवा) में हैं।
8	सीनियर इंजीनियरी सहायक	4	
9	सीनियर मैकेनिक	1	
10	मैकेनिक	2	
11	ट्रान्समिशन एक्जीक्युटिव	4	
12	पुस्तकाध्यक्ष	1	
13	फील्ड रिपोर्टर	1	
14	लेखाकार	1	
15	स्टोअरकीपर	1	
16	लिपिक ग्रेड-1	2	

6—8 L. S. S./73

नियमित पद—क्रमश :	
17 स्टेनोग्राफर	3
18 लिपिक ग्रेड–2	4
19 मोटर ड्राइवर	2
20 चपरासी	4
21 फराश	1
22 चौकीदार	4
23 स्वीपर	1
24 माली	1
स्टाफ आर्टिस्टों के पद	
25 एनाउन्सर (मध्य ग्रेड)	9
26 जनरल एसिस्टेंट/नकलनवीस	2

2. जलन्धर (वाणिज्यिक प्रसारण सेवा) की स्वीकृत संख्या

नियमित पद	
1 ट्रान्समिशन एक्जीक्यूटिव	2
स्टाफ आर्टिस्टों के पद	
2 एनाउन्सर (मध्य ग्रेड)	9
3 जनरल एसिस्टेंट/नकलनवीस	2

3. वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, चण्डीगढ़/जलन्धर के लिए वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, दिल्ली में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या

स्टाफ आर्टिस्टों के पद	
1 प्रोडक्शन एसिस्टेंट (सीनियर ग्रेड)	3
2 जनरल एसिस्टैंट	2

बम्बई में साम्प्रदायिक दंगे

6005. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 मार्च, 1973 को बम्बई में दो साम्प्रदायिक दलों के बीच अपने विजय समारोह मनाने के दौरान झगडा हो गया ;

(ख) क्या इस दंग के फलस्वरूप पुलिस को गोली चलानी पड़ी और मौत हुई;

(ग) क्या कुछ साम्प्रदायिक शक्तियों ने साम्प्रदायिक दंगे कराने की कोई योजना बनाई थी; और

(घ) इन दंगों के वास्तविक कारण क्या थे और कौन-कौन शक्तियां इसके पीछे थीं और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :(क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मुसलिम लिग, जनसंघ तथा शिव सेना के समर्थकों ने बम्बई नगर निगम के चुनाओं में अपने अपने सफल उम्मिदवारों का अभिनन्दन करने के लिए दिनांक 11-3-73 को बम्बई के कुछ भागों में विजय जलूस निकाले थे। रास्ते में जलुस वालों ने एक दुसरे के विरुद्ध भड़काने वाले नारे लगाये जिसके कारण हिंसा की घटनायें हुई। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई। विशिष्ठ अपराधों के सम्बन्ध में मामले दर्ज किए गए हैं।

हरिजनों को तंग करने की घटनाओं की जांच करने के लिये गृह-सचिव का उत्तर देश का दौरा

6006. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

श्री विभूति मिश्र :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह सचिव ने अभी हाल में उत्तर प्रदेश का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों से ...जनों को तंग करने सम्बन्धी बढ़ती घटनाओं के बारे में बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनके निर्णय क्या है; और

(ग) क्या उन्हें निकट भविष्य में कुछ और राज्यों को भेजा जाएगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) गृह सचिव ने 27 फरवरी, 1973 को लखनऊ का दौरा किया था और पिछड़े वर्गों, भाषायी अल्प-संख्यकों, उर्दू को बढ़ावा देने और साम्प्रदायिक तनाव की समस्याओं समेत राष्ट्रीय एकता की अनेक समस्याओं के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। केन्द्रीय गृह सचिव ने सरकार की इस निति को दोहराया कि प्रशासन को समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। जब कभी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है जिसमें कमजोर वर्ग के लोग शिकार होते हैं, तो उन्होंने अत्याचार करने वालों के विरुद्ध सम्बन्धित प्राधिकारियों की ओर से कड़े दृष्टिकोण व कार्यवाही के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों पर यह भी दबाव डाला कि कानूनी तथा संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत उनको उपलब्ध निर्णय करने के अधिकार का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों के साथ निष्पक्ष व्यवहार होता है तथा समाज में उनकी कमजोर स्थिति के कारण उन्हें कोई असुविधा नहीं हो रही है।

राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के लोगों के हितों का संरक्षण करने में सतर्क और हरिजनों व अन्य कमजोर वर्गों को तंग करने के मामलों में कानून के अनुसार कार्यवाही करने की आवश्यकता के प्रति सजग है।

जब कभी केन्द्रीय गृह सचिव किसी राज्य का दौरा करते हैं, तो प्राय: इस प्रकार का विचार विमर्श किया जाता है।

शाखा डाकघरों के खोले जाने सम्बन्धी नियम

6007. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के नियमों के अनुसार शाखा डाकघर नही खोले जा सकते यदि मूल डाकघर जिनमें वे सम्बद्ध रहते हैं स्थायी न हो (विभागीय अथवा विभागेतर) ; और

(ख) क्या इस समय कोई ऐसे शाखा डाकघर है जो विभागेतर उप-डाकघर/उप डाकघर से सम्बद्ध हो और जो स्थायी नहीं है यद्यपि वे आत्म निर्भर हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) यदि प्रयोग के तौर पर काम कर रहे डाकघरों के वितरण क्षेत्र में नये डाकघर खोलन से प्रयोग की सामान्य अवधि के दौरान उसके स्थायी होने की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो ऐसे आजमाइशी डाकघरों के वितरण क्षेत्र में सामान्यत: नये डाकघर खोलने की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि यह कहा जा सकता है कि शाखा डाकघर खोलने के बाद उसे उसके लेखा डाकघर से सम्बद्ध कर दिया जाता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि लेखा डाकघर उसका मूल डाकघर ही हो।

(ख) जी हां।

1971 और 1972 के दौरान डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को दिया गया वेतन

6008. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 और 1972 के दौरान देश के सभी डाक तथा तार विभाग के सर्कलों में सर्कलवार तथा डाक तथा तार निर्देशालय और डाक तार तथा तार बोर्ड के कर्मचारियों को कुल कितनी राशि वेतन दिया गया ; और

(ख) इस अवधि में समयोपरी भत्ते को कितनी राशि की अदायगी की गयी।

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क)

(आकड़ें लाख रुपयों में)

वेतन बील

1971		1972	
डाक-तार बोर्ड	देश के सभी सर्किल और यूनिट (डाक-तार बोर्ड को छोड़ कर)	डाक-तार बोर्ड	देश के सभी सर्किल और यूनिट (डाक-तार बोर्ड को छोड़ कर)
1,15.0	1,24,07.0	1,18.0	1,38,91.0
(ख) समयोपरि भत्ता			
1.0	9,74.5	1.4	11,28.6

कुचबिहार के दिनहाटा सब-डिवीजन में सीमा सुरक्षा दल द्वारा एक मोटर कार का रोका जाना

6009. श्री श्री बी० के० दासचौधरी :

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को इस बात की जानकारी है कि लगभग छ: सप्ताह पहले सीमा सुरक्षा दल ने बंगला देश की सीमा पर दीनहाटा सब-डिवीजन, कुच बिहार, पश्चिम बंगाल में बंगला देश को जाती हुई एक मोटर कार को रोका था;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय को इस बात की जानकारी भी है कि उक्त कार में तस्करों का एक गिरोह तथा विदेशी राष्ट्रिकों सहित कथित उपद्रवी बैठे थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने व्यक्तियों तथा अन्य कथित अपराधियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 24 जनवरी, 1973 को एक कार जब वह दीनहाटा सब-डिवीजन, जिला कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) में गीतलदा की ओर जा रही थी तो सीमा सुरक्षा दल द्वारा रोखी गई थी। कार में बैठे हुए व्यक्तियों को कार समेत सिविल पुलिस को आवश्यक कार्यवाही के लिए सौंप दिया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार से मामले पर और तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

सीमा सुरक्षा दल के भूतपूर्व कमांडेंट का कूच बिहार शरणार्थी सेवा से संबंध

6010. श्री बी० के० दासचौधरी :

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी कर्मचारी अथवा पुलिस सुरक्षा दल के कर्मचारी द्वारा किसी प्राइवेट एजेन्सी विशेष कर ऐसी ऐजेन्सी जो विदेशी संस्था से संबद्ध हो, में सेवा निवत्ति के बाद रोजगार प्राप्त करने के लिये अनुमति लिया जाना आवश्यक है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कूच बिहार में कुछ वर्षों के लिए नियुक्त सीमा सुरक्षा दल के एक कमांडेन्ट के, कूच बिहार शरणार्थी सेवा, जिला कूच बिहार, पश्चिम बंगाल, जो कि एक विदेशी संगठन है, से अवैध सम्बन्ध थे और उसने सेवा निवृत्ति के बाद उक्त कुछ बिहार शरणार्थी सेवा के अधीन नौकरी स्वीकार की; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) केन्द्रीय सरकार के श्रेणी 1 के कर्मचारीयों के मामले में पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

(क) और (ख) तथ्य मालूम किए जा रह हैं। मामले में कोई कदम उठाने का प्रश्न प्रकट तथ्यों पर निर्भर करेगा।

Bihar Producers Producing Movies in Maithili, Bhojpuri, etc.

6011. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether any film producers of Bihar produced movies in Maithili and Bhojpuri;

(b) if so, their names;

(c) whether Government have provided them with any assistance for producing such type of films; and

(d) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b) Two films, one in Maithili and the other in Bhojpuri were certified in 1971. It is not known whether the producers of the films are from Bihar. The producers are Shri S. H. Munshi, (Producer of 'Kanyadaan' in Maithili) and Shri Lall, (Producer of 'Dher Chalak Jin Kara' in Bhojpuri).

(a) & (b) Applications are received by Film Finance Corporation for production of films in all languages, including Bhojpuri and Maithili. After the scrutiny of these applications, loans are given by the Corporation, strictly on mertis and not on the basis of the language in which the film is to be made.

दिल्ली में संगीत और नाटक प्रभाग के लिए भवन

6012. श्री शशि भूषण: क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कितने स्थानों पर संगीत और नाटक प्रभाग के कार्यालय है और वे कहां-कहां स्थित है; और

(ख) सरकार का विचार संगीत और नाटक प्रभाग के अभ्यासों और अन्य कार्यालयों के अन्य कार्य-कलापों के लिए पृथक भवन कब तक बनाने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) गीत तथा नाटक प्रभाग के कार्यालय दिल्ली में निम्नलिखित चार जगह स्थित हैं :—

1. 15/16 सुभाष मार्ग, दरयागंज, दिल्ली । :

2. महाराष्ट्र रंगायन, नूतन मराठी हायर सेंकंडरी स्कूल, पहाड़ गंज, नई दिल्ली ।

3. गन्धर्व महाविद्यालय भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।

4. रविन्द्र रंग शाला, अमर रीजरोड़, नई दिल्ली ।

(ख) उपर्युक्त क्रम संख्या (4) सरकारी भवन है तथा (1) सरकार द्वारा अलाट किया गया स्थान है । शेष स्थान गीत और नाटक प्रभाग ने सीधे ही किराये पर लिए हुए हैं । प्रभाग को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त स्थान उपलब्ध करने के विभिन्न प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

संगीत और नाटक प्रभाग द्वारा नाटकों का तैयार किया जाना

6013. श्री शशि भूषण : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान संगीत और नाटक प्रभाग में कितने नाटक तैयार किये गये ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : 1 अप्रैल, 1970 से 31 मार्च, 1973 तक की अवधी के दौरान गीत तथा नाटक प्रभाग में तैयार किए गए नाटकों की संख्या 174 है ।

जयपुर में ग्राम्य उद्योग परियोजना

60 14. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के पिछडे जिलो विशेषकर जयपुर जिले के आर्थिक पिछडेपन तथा अशिक्षित लोगों में बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुये, क्या सरकारने पांचवी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उस जिले के लिए ग्राम्य औद्योगिक परियोजना की व्यवस्था करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पाँचवी पंच वर्षीय योजना की अवधि में जयपुर जिले में ग्राम्य औद्योगिक परियोजना के लिए राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली और कलकत्ता के बीच दूर संचार लाइन का रुक जाना

6016. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली और कलकत्ता के बीच दूर संचार लाईन रुक गयी थी, यदि हां, तो खराब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार को उसके फलस्वरूप अनुमानत: कितनी हानि हुई; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की रुकावटों का निवारण करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां भूस्खलन और सड़क बनाने वाली पार्टियों द्वारा केबुलों को नुकसान पहुंचने के कारण केबुल में खराबियां आगई थीं जिनकी वजह से दूर संचार व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो गया था। एक मामले में तो उपद्रवी लोगों ने जबर्दस्ती रिपीटर बिल्डिंग खोली थी और संचार उपस्कर को नुकसान पहुंचाया था।

(ख) इस मार्ग पर जनवरी, 1973 से मार्च, 1973 तक संचार व्यवस्था औसतन प्रति माह 45 घंटे खराब रही। तथापि राजस्व व अन्य हानियों का सही सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि कई कालें सिर्फ देरी से लगी होंगी लेकिन रद्द नहीं की गई होंगी।

(ग) डाक-तार और सड़क निर्माण अधिकारियों के बीच सभी स्तरों पर निकट ताल-मेल बिठाया जा रहा है ताकि ऐसी खराबियां न होने पाएं। भूस्खलन के कारण होने वाली खराबियां तो अपरिहार्य हैं। ऐसे रिपोर्टरों की जिनकी देखभाल के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से सुरक्षा हो सके इसके लिए रिमोट डोर अलार्म लगाए जा रहे हैं। इन से ऐसे रिपीटर स्टेशनों में जिनकी देखभाल नहीं हो पाती किसी के जबरन प्रवेश करने पर इस की सूचना मुख्य रिपीटर स्टेशन में मिल जाया करेगी।

Opening of Telephone Exchange at Tikkar Simla, Himachal Pradesh

6017. **Shri Panna Lal Barupal :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the demand for opening of a Telephone Exchange at Tikkar in Simla, District of Himachal Pradesh; and

(b) if so, the time by which the said Exchange is proposed to be set up ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes.

(b) The Project is not financially viable. The case is under review. It is likely to take nearly 1½ years to commission the Exchange after it is decided to set up the exchange.

सरकार द्वारा की गयी तदर्थ नियुक्तियों पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा खेद प्रकट किया जाना

6018. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि संघ लोक सेवा आयोग ने सरकार द्वारा की गई तदर्थ नियुक्तियों पर खेद प्रकट किया है,

(ख) क्या जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के कारण और नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के बारे में आयोग को समय पर सूचना न भेजे जा सकने के फलस्वरूप प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो गई है; और

(ग) सरकार का ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे तदर्थ नियुक्तियां न करनी पड़ें ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) संघ लोक सेवा आयोग ने अन्य बातों के साथ साथ अपनी 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि की बाईसवीं वार्षिक रिपोर्ट के पैराग्राफ 41 में, जिसकी एक प्रतिलिपी पहले ही सदन के पटल पर रखी जा चुकी है, इस प्रकार से उल्लेख किया है :—

'तदर्थ नियुक्तियां करने और बिना पर्याप्त औचित्य के उनको चलाते रखने की किंचित आग्रहमूलक प्रवृत्ति, जन-शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं के मूल्यांकन में पर्याप्त सावधानी का अभाव और कुछ सेवाओं के नियन्त्रण प्राधिकारियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आयोग को समय पर सूचना न देना आदि ऐसे तथ्य हैं जो प्रशासन तन्त्र को अशक्त कर देते हैं और कार्मिक भर्ती की प्रक्रियाओं को दूषित करते हैं ।'

संघ लोक सेवा आयोग के प्रक्षणों को, जिनके सम्बन्ध में दो अलग-अलग विचार धाराएं नहीं हो सकती विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के ध्यान में लाया जा रहा है । आयोग के परामर्श के बिना की गई अनियमित नियुक्तियों के मामलों को भी समय समय पर सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के ध्यान में लाया जाता है ताकि वे ऐसी परिस्थितियों के बारे में जांच पड़ताल करें जहां पर ऐसी नियुक्तियां की गई थीं जिससे उनके ऊपर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए और जहां कहीं आवश्यक हो उपचारी कदम उठाए जाए ।

Talks of Prime Minister with Leaders Andhra and Telengana

6019. Shri Bibhuti Mishra :

Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister had talks with the Members of Parliament from Andhra and Telengana and various prominent leaders of the said areas in the first and second weeks of March, 1973; and

(b) if so, the outcome of the said talks ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) and (b) The Prime Minister has been meeting the Members of Parliament representing Andhra Pradesh and other leaders. These meetings have been in the nature of exchange of views on the various aspects of the complex problem arising out of the Mulki Rules issue.

नई दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र में पुरुष की अपेक्षा महिला कर्मचारियों की संख्या

6020. श्री लालजी भाई : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र में अधिकांश नौकरियों के लिये पुरुष उम्मीदवारों की अपेक्षा महिला उम्मीदलारों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र में विभिन्न पदों पर कितने पुरुष और कितनी महिला कर्मचारी कार्य कर रहें हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं । व्यक्तियों को कार्य को आवश्यकता के अनुसार चयन किया जाता हैं ।

(ख) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4720/73**]

कागज उत्पादों को उंचे दरों पर बेचना

6021. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के कागज बनाने वाले कुछ यूनिट अपने उत्पादकों को निर्धारित दरों से अधिक दरों पर बेच रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रथाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) मिल से निकलते समय के मूल्य सामान्यत: स्थिर ही रहे हैं कुछ फुटकर विक्रेता/डीलरों द्वारा अस्थाई और स्थानीय कमी के कारण अधिक मूल्य लेने की कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ख) वर्तमान में इस वस्तु पर कन्ट्रोल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु ऐसी स्थिति बनती है है तो उचित सुधारात्मक आभ्युपाय करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ।

पश्चिम बंगाल से गोला-बारूद को बरामदगी

6022. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा दल ने हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्रों में कई छापे मार कर पश्चिम बंगाल से भारी मात्रा में गोला-बारूद का पता लगाया है;

(ख) यदि हां तो कितना गोला बारूद का पता लगाया गया है; और

(ग) इस गोला-बारूद के स्त्रोत क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमन, सीमा सुरक्षा दल ने पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में छापे मार कर कुछ गोला बारुद बरामद किया था ।

(ख) (i) शस्त्र

.303 राइफल	3 संख्या
12 बोर गन	4 संख्या
पाइपगन	2 संख्या
बेनट	6 संख्या

(ii) गोलाबारुद/विस्फोटक पदार्थ

स्माल आर्मस गोलाबारुद . . .	2886 राउन्ड्स
12 बोर गन गोलाबारुद . .	427 राउन्ड्स
नं० 36 हेंड ग्रेड्स .	95 संख्या
माइन्स . .	4 संख्या
2"- मोर्टार एच० ई० बम्ब .	8 संख्या
3" मोर्टार एच०ई० बम्ब . .	10 संख्या
गन काटन स्लेब . . .	2 संख्या
प्लास्टिक एक्सप्लोसिव .	4 पकेट्स
डेटोनेट्र्स .	7 संख्या

(ग) राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना मांगी गई है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

Call Operators in Dehli Telephone Exchanges

6023. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Communications** be pleased to s te:

(a) whether Call Operators in Delhi Telephone Exchange are considered equivalent to Class III employees; and

(b) if so, the reasons for placing some of the Call Operators in Class III and some of them in Class IV on temporary basis ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) & (b) There is no cadre as Call Operators in the P. &. T. As such the question of its classification into Class III or IV does not arise.

Resentment among the residents of Krishna Nagar, Delhi 51 against the incharge Police Post

6024. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether resentment prevailed against the Incharge of Police Post of Krishna Nagar, Delhi-51, among the people of the area on the 8th March, 1973, because the said Police Post In-charge involved a youth in a false case ;

(b) whether that case was investigated by the Police Officers on the 11th March, 1973; and

(c) if so, the findings of the enquiry and the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) No, Sir. However, a complaint of wrongful arrest was received by the Inspector General of Police Delhi from some residents of Krishna Nagar regarding the arrest of two youths.

(b) Yes, Sir.

(c) The case against the two youths is under investigation, and an inquiry is being made into the complaint of wrongful arrest.

Cases Instituted by Delhi Administration under maintenance of Internal Security Act

6025. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of cases instituted by Delhi Administration under the Maintenance of of Internal Security Act during the last one and a half year (18 months);

(b) the names of the persons and institutions to which these cases relate; and

(c) the number of cases out of them withdrawn by Government (Administrations) indicating the circumstances thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) to (c) According to the information received from the Delhi Administration, a total of 64 persons had been ordered to be detained under the provisions of Maintenance of Internal Security Act during the period of 18 months ending on the 28th February, 1973. All these persons have been released and no one was actually in detention on that date. Details regarding the names of the persons detained and institutions to which these cases related are being collected and will be laid on the Table of the House.

Introduction of direct dialling of Telephone system in Kota, Rajastan

6026. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Communictions** be pleased to state:

(a) whether direct dialling telephone system is proposed to be introduced in Kota, Rajasthan in the current Plan ;

(b) if so, by what time; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes. It is proposed to set up an automatic exchange at Kota. Though it is included in the current plan, the actual commissioning of this exchange is likely to be in the year 1974-75.

(b) The building for the automatic exchange is under construction and equipment is also under supply. It is expected that the Exchange will be commissioned in 1975.

(c) Does not arise in view of replies to (a) & (b).

Construction of rest house, recreation room and inspection room over R.M.S. office, Jaipur

6027. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether action had been initiated a long time ago for construction of a rest house recreation room and inspection room over the R. M. S. office at Jaipur; and

(b) if so, the reasons for not completing the construction so far?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) Yes Sir.

(b) The Railways are not agreeing to provide us rest house, recreation room and inspection room facilities in the newly constructed RMS building at Jaipur. The Railways have, however, agreed to provide us accommodation in their parcel office building by shifting their Parcel office to another building which is under construction. All the amenities will be provided when the Railways ' Parcel office building is handed over to the P & T Department during 1973.

Expansion of instrumentation unit at Kotah

6028. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Government have any scheme for the expansion of instrumentation unit functioning in Kotah; and

(b) if so, the outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) Yes, Sir.

(*b*) In respect of their Kota Unit, apart from the objective of increasing the production of the existing items of manufacture from the present level of about 4 crores to the rated capacity of 9 crores, depending on market requirements, the Company have also under consideration certain new lines of manufacture such as Bell ows and Membranes, Unified Systems, Pollution Control Instruments and Controls at an estimated outlay of Rs. 440.00 lakhs.

Bellows and Membranes are essential components which are used in the instrument presently under manufacture at the Kota Unit. The manufacture of these key components is essential to attain greater degree of self reliance. These items will be manufactured with Soviet know-how.

The scheme of Unified sytems aims at rapidly updating the technology by obtaining the advantage of sophisticated technology, which will enable the Company to meet the stringent requirements of process control instrumentation in India in the post 1975 period as well as the export market, particularly in the Chemical and Fertilizer fields.

As industrialisation of the country progresses, pollution control will assume increasing importance. This is a potential field and the Company proposes to take up this item during 5th Plan period, to the extent possible through Research and Development efforts/collaboration wherever necessary.

Small building for R.M.S. office, Sawai Madhopur

6026. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether work cannot be carried on smoothly in the Railway Mail Service Office, Sawai Madl opur as its building is very small;

(b) whether several mail bags are kept outside the office and there is a danger of their being stolen; and

(c) if so, the action contemplated by Government?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) The existing accommodation in the office is short by only 16 sq. metres and this had not caused much inconvenience to the smooth working.

(b) Loose Parcels which could not be accommodated in the RMS Mail vans passing the place are occasionally kept in the verandah and such instances are very few. A departmental chowkidar is employed to guard the premises and ensure safety.

(c) The Railway authorities have been requested to provide a wooden trollies in the verandah.

पुलिस जनता सम्बन्ध सुधारना

6030. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुलिस-जनता सम्बन्धों को बेहतर बनाने के लिए, सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) पुलिस राज्य का विषय है किन्तु भारत सरकार ने भी देश में पुलिस-जनता के सम्बन्धों में सुधार करने के बहुत से उपाय किए हैं।

(ख) देश में पुलिस-जनता के सम्बन्धों में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) अपराध-विज्ञान फारेनसिक साइंस संस्थान, नई दिल्ली द्वारा पुलिस अधीक्षक के पद के अधिकारियों के लिये "पुलिस-समुदाय सम्बन्ध" पर विशेष स्थितिज्ञान पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। संसद्विज्ञों-विशषज्ञों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इन पाठयक्रमों में भाग लेने वालो को लेक्चर देने और विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। संस्थान द्वारा अब तक एक सप्ताह की अवधि में चार पाठ्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों में 82 पुलिस अधीक्षक भाग ले चुके हैं। आशा की जाती है कि इन पाठ्यक्रमों से भाग लेने वालों को जिस स्तर पर पुलिस-समुदाय सम्बन्धों में सुधार करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।

(2) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में विभिन्न राज्यों में अपराध निरोध सप्ताह आयोजित किये जाते हैं। इन सप्ताहों में पुलिस विभाग प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं। पुलिस के कार्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से नागरिकों को पुलिस स्टेशनों पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जनता को पुलिस को केवल उपलब्धियों के बारे में ही नहीं बल्कि उनकी कठिनाइयों और सीमाओं के बारे में भी सूचित करने के विशेष प्रयास किये गये हैं। अपराध को रोकने तथा उसका पता लगाने में नागरिकों का भी सहयोग प्राप्त किया जाता है।

(3) पुलिस की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने तथा प्रतिकारी उपाय सुझाने के लिए 1970 में पुलिस अनुसन्धान और विकास ब्यूरो स्थापित किया गया है। अपराध का पता लगाने में पुलिस की सहायता के लिए जनता की उदासीनता, 'पुलिस स्टेशनों पर अपराध की सूचना देना', 'प्रेस और पुलिस' आदि जैसे विषयों पर ब्यूरों में विशेष अध्ययन किये गये हैं। ब्यूरो द्वारा 'छात्रों तथा श्रम के प्रसंग के साथ पुलिस-जनता सम्बन्धों' पर भी एक अध्ययन किये जाने का प्रस्ताव है।

इन अध्ययनों के आधार पर राज्यों से एक ऐसा वातावरण पैदा करने के विभिन्न उपाय करने का अनुरोध किया जाता है जिससे पुलिस और जनता के बीच और अच्छे सम्बन्ध हो सकें।

(4) कुछ राज्यों में पुलिस और जनता के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध कायम करने के लिये जन-सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

हाल ही में भारत सरकार ने पुलिस महा निरीक्षक के उन कार्यालयों में जन-सप्पर्क अधिकारियों की नियक्ति करने के वास्ते राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है जहां इस समय वे नहीं हैं।

(5) भारत सरकार ने 1971 में एक पुलिस प्रशिक्षण समिति नियुक्त की थी। 'पारस्परिक आस्था, विश्वास और सहयोग पर आधारित पुलिस बल और जनता के बीच सम्बन्धों में सुधार' लाने के लिये उपायों का सुझाव देना समिति का एक विचारार्थ विषय है। समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है तथा भारत सरकार पुलिस-जनता के सम्बन्ध पर समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों की राज्यों के परामर्श से जांच कर रही है।

नई दिल्ली नगर पालिका की बिजली, जल और सफाई संबंधी सेवाएं

6031. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका की बिजली, जल और सफाई सम्बन्धी सेवाएं हाल ही में अनिवार्य सेवाएं घोषित की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) दिल्ली संघ राज्य के प्रशासक (उप राज्य पाल, दिल्ली) ने नई दिल्ली नगरपालिका की बिजली, पानी और सफाई सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में व्यक्तियों का नियोजन भारत सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 119 के उप नियम (1) के उपबन्धों की सीमा में लाने की घोषणा की क्योंकि उनके विचार में इन सेवाओं को बनाये रखना सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य था। इन सेवाओं को अनिवार्य घोषित करने का मुख्य कारण यह था कि 8–3–1973 से नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों की आम हड़ताल थी और इन सेवाओं में गतिरोध पैदा होने की सम्भावना थी।

पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाने के लिए जिला योजनाएं तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल को सहायता

6032. **श्री गदाधर साहा :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाने के लिए जिला योजनाएं तैयार करने हेतु पश्चिम बंगाल को कितनी सहायता दी गई है;

(ख) क्या राज्य के पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाने के लिए जिला योजनाएं तैयार करने हेतु योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल को सहायता देने की पेशकश की है; यदि हां, तो इस कार्य के लि अब तक कितनी सहायता दी गई है: और

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य के किन किन पिछड़े जिलों के लिए जिला योजनाएं तैयार की है और तैयार की गई जिला योजनाओं की मुख्य रूपरेखा क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों को जिला योजनाएं बनाने, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में, रीति विधान सम्बन्धी सहायता देने की पेशकश की है। इस सम्बन्ध में सभी राज्यों को जिला योजनाएं बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध करा दिए गए हैं।

योजना आयोग ने एक केन्द्रीय सहायता स्कीम भी शुरू की है, जिसके अन्तर्गत राज्यों को उनके द्वारा राज्य योजना तन्त्र को सुदृढ करने के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय का दो-तिहाई व्यय दिया जाएगा। योजना आयोग द्वारा सुझाई गई योजना विभागों को सुदृढ़ करने की रीति में राज्य स्तर पर एक जिला/क्षेत्र योजना यूनिट की स्थापना भी शामिल है, जिसका कार्य जिला प्रशासन को विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में जिला योजनाएं तैयार करने में सहायता प्रदान करना है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार से अभी तक जिला योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

जनगणना के आधार पर भारत में भिखारियों की संख्या

6033. **श्री गदाधर साहा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने भिकारी है ; और

(ख) भिखारियों की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1961 की जनगणना में अपने आपको भखारी, आवारा इत्यादि घोषित करने वाले व्यक्तियों की संख्या 8,61,793 थी। 1971 की जनगणना की अब तक उपलब्ध तत्सम्बन्धी संख्या 1 प्रतिशत नमूना आंकड़ों के अनुमान से 7,47,397 है।

(ख) भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर में सीमेंट और कागज की लुगदी उद्योग

6034. **श्री एन० टोम्बी सिंह** :

श्री दशरथ देव : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में सीमेंट और कागज की लुगदी उद्योगों की स्थापना करने के लिए मनीपुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मंजूरी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) मणिपुर सरकार ने राज्य में लुगधी और कागज एवं सीमेंट संयन्त्र की स्थापना करने के बारे में प्रस्ताव किया था। सीमेंट संयन्त्र के लिए संभाव्यता रिपोर्ट भारत के सीमेंट निगम द्वारा तैयार की गई थी। संभाव्यता रिपोर्ट में प्रतिदिन 50 मी० टन की क्षमता वाले संयन्त्र की स्थापना की व्यवस्था है जिसकी अनुमानित लागत 170.30 लाख रुपये होगी। रिपोर्ट की तकनीकी आर्थिक जांच से पता चला है कि मणिपुर में सीमेंट संयन्त्र आर्थिक रूप से जीव्य नहीं रहेगा इसलिय इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया। 19 अक्तूबर, 1972 को मणिपुर सरकार को भी तदनुसार सूचित कर दिया है।

लुगदी तथा कागज संयन्त्र के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और विभिन्न अभिकरणों के परामर्श से सरकार उसकी जांच कर रही है। परियोजना रिपोर्ट में प्रतिदिन 200 मी० टन क्षमता वाले लुगदी और कागज संयन्त्र की व्यवस्था है जिसकी अनुमानित लागत 35 से 40 करोड़ रुपये तक होगी।

बिजली की कमी के कारण आकाशवाणी, इम्फाल की पूर्ण क्षमता का उपयोग न किया जाना

6035. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिजली की सप्लाई की कमी के कारण आकाशवाणी, इम्फाल अपनी 50 किलोवाट की पूर्ण क्षमता का उपयोग, विशेष अवसरों को छोड़कर नहीं कर सकता है जिससे इसके श्रोताओं में भारी असंतोष और रोष की भावना उत्पन्न हो रही है; और

(ख) यदि हां तो, इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) जुलाई, 1972 तक बिजली की सप्लाई के कारण व्यवधान अधिक थे। तब से स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। तथापि, बिजली की पूर्णतया विश्वसनीय तथा स्थाई सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसमिटर के लिए बिजली सप्लाई के एक अलग फीडर की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

इम्फाल में स्वचालित एक्सचेंज

6036. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इम्फाल में वर्तमान एक्सचेंज के स्थान पर स्वचालित एक्सचेंज बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। यह प्रस्ताव है कि इम्फाल के मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज की जगह एक आटोमैटिक एक्सचेंज स्थापित कर दिया जाए।

(ख) आई०टी०आई० के वर्ष 1974–75 के उत्पादन-कार्यक्रम में इस एक्सचेंज के लिए उपस्कर के उत्पादन का कार्य अलाट कर दिया गया है। आशा है कि वित्तिय वर्ष 1976–77 के दौरान प्रारम्भ में 1500 लाइनों की क्षमता वाला एक्सचेंज चालू हो जाएगा।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में दिए गए उत्तरों को मद्देनजर रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण

6037. **श्री टी० सोहन लाल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त करने के लिए आरक्षण को क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां तो, स्वास्थ्य विभाग के आयूर्वेदिक और यूनानी शाखा में (द्वितीय श्रेणी) वैद्यों के कितने पद हैं और इन संगठनों में गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) (i) दिल्ली प्रशासक के अन्तर्गत वैद्य (द्वितीय श्रेणी) का कोई पद नहीं है।

(ii) दिल्ली नगर निगम में गत तीन वर्षों (1970, 1971 और 1972) में वैद्यों (द्वितीय श्रेणी) के 14 पद भरे गए हैं। इनमें से एक पद अनुसूचित जाति द्वारा भरा गया है। ये पद वरीयता और अर्हताओं के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों से तदर्थ आधार पर भरे गए हैं। अनुसूचित जाति का उम्मीदवार ही, जो वरीयता के अनुसार अर्हताएं पूरी करता था, पद पर नियुक्त किया गया था।

(iii) नई दिल्ली नगर पालिका में आयुर्वेदिक वैद्यों के पांच पद हैं। गत तीन वर्षों में केवल तीन पदे भरे गये थे जिनमें से एक पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित किया गया था। अनसूचित जाति के केवल एक उम्मीदवार ने पद के लिए आवेदन पत्र दिया था और चूंकि वह निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करता था अत: उस पर विचार नहीं किया गया।

नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस

6038. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री बोनस के भुगतान के बारे में नारियल जटा बोर्ड की बैठक के बारे में 15 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 4567 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने के लिए सरकार ने इसे वित्तीय मंजूरी देने के बारे में कोई अंतिम निर्णय कर लिया है,

(ख) क्या काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, और

(ग) यदि हां, तो नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस न देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) कायर बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने का प्रश्न अभी भी सरकार के विचाराधीन है। कायर बोर्ड के पात्र कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है।

लघु यूनिटों के लिए सुविधायें

6039. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 1973 के कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 'हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड' में "स्माल यूनिट्स कान्टीन्यू टु क्राई फार फेसिलिटीज (लघु यूनिटों की सुविधाओं के लिए लगातार पुकार)" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) लघु औद्योगिक एककों को कच्चा माल तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने में निरन्तर वृद्धि हो रही है। स्थिति में और सुधार करने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं।

सी० आई० ए० की गतिविधियां

6040. **श्री एस० एम्० बनर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) देश भर में सी० आई० ए० की गतिविधियाँ समाप्त करने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या उक्त एजेंसी से धन प्राप्त करने वाले संसकृत संगठन भी बन्द कर दिये जाएंगे और यादि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ऐसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखती है। किन्तु सरकार को जो सूचना है उसका अथवा अमरीकी गुप्तचर विभाग समेत विदेशी गुप्तचर संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिये क्या किया जाता है उसका ब्यौरा देना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों पर नियंत्रण के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 558, दिनांक 22 फरवरी, 1973 को विदेश मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सदन को यह भी जानकारी है कि भारत में स्थित एशिया फाउन्डेशन कार्यालय को केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अन्तर्गत 1968 में किन कारणों से बन्द किया गया था। किसी भारतीय सांस्कृतिक संगठन को सी० आई० ए० से धन प्राप्त करने की सरकार को कोई निश्चित सूचना नहीं है।

परमाणु शक्ति संयंत्रों में बिजली का उत्पादन

6041. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के परमाणु शक्ति संयंत्रों में से प्रत्येक की बिजली उत्पादन की क्षमता और वास्तविक उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्यमान संयंत्रों का विस्तार करने अथवा नए संयंत्र स्थापित करने का है, यदि हां, तो उनके प्रस्तावित स्थापना-स्थल कौन-कौन से है और उनकी क्षमता क्या होगी ;

(ग) किन अन्य तरीकों से परमाणु शक्ति का प्रयोग असैनिक कार्यो के लिए करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या परमाणु शक्ति के उत्पादन, परिवर्तन तथा प्रयोग की पूर्ण जानकारी के लिए भारत को किसी अन्य देश पर निर्भर रहना पड़ता है ; और यदि हां, तो किन देशों पर किस सीमा तक ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) इस समय केवल तारापुर में 420 मैगावाट क्षमता का एक परमाणु बिजलीघर बिजली पैदा कर रहा है : इस बिजलीघर से उत्पन्न हुई बिजली की वार्षिक मात्रा निम्नलिखित प्रकार से है :—

वर्ष	पैदा हुई बिजली (यूनिटों में)
1969 (1 अप्रैल, 69 अर्थात बिजली घर के चालू होने की तिथी से)	785.867 मिलियन
1970	2177.533 मिलियन
1971	1789.990 मिलियन
1972	870.411 मिलियन
1973 (फरवरी, 1973 तक)	322.632 मिलियन

(ख) दो अन्य परमाणु बिजलीघर राजस्थान तथा तमिलनाडु में बनाये जा रहे हैं। और बिजलीघर लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) परमाणु ऊर्जा के विभिन्न शान्तिमय उपयोगों का वर्णन परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्षे 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इससे सम्बन्धित कार्यो को आगे जारी रखने की योजना है।

(घ) जी, नहीं।

1 अप्रैल, 1973 के बाद बंगला देश शरणार्थी सहायता डाक टिकटों का प्रयोग

6043. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1973 के बाद बंगला देश शरणार्थी सहायता डाक-टिकटों का प्रयोग डाक-कार्यों के लिए किया जा सकेगा; और

(ख) यदि नही, तो क्या उन व्यक्तियों को जिनके पास ऐसे डाक-टिकटें हैं, टिकटों की कीमत वापिस की जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। डाक वस्तुओंपर लगाए जाने वाले 5 पैसे के शरणार्थी सहायता कर के ऐसे टिकट जो खराब नहीं हुए हैं और ऐसे अंतर्देशीय पत्र कार्ड और एयरोग्राम जिन पर शरणार्थी सहायता कर के टिकट एम्बास किये हुए है, वापस करके उनके बदले 30 सितम्बर 1973 तक साधारण डाक-टिकट या नकद पैसे लिए जा सकते है।

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा डालमिया सीमेंट ग्रुप से बकाया राशि की वसूली

6044. **श्री सतपाल कपूर :** या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम को दालमिया सीमेंट ग्रुप से भाड़े के रूप में कुछ धनराशि वसूल करनी है ;

(ख) यदि हां, तो 28 फरवरी, 1973 को कितनी धनराशि वसूल की जानी थी और उसकी ओर इतनी अधिक बकाया धनराशि कैसे एकत्र हो गई ; और

(ग) धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) मैं० डालमिया दादरी सीमेंन्ट कम्पनी ने सीमेन्ट विनियमन लेखों में 28-2-1973 को उन पर देय लगभग 136.28 लाख रुपये की राशि अब तक अदा नहींकी है जिसका कारण यह है कि सीमेन्ट नियन्त्रण आदेश की वैदयता को चुनौती देने वाली याचिका पर, जिसके अधीन उपर्युक्त राशि अदा की जानी है, दिल्ली उच्च न्यायालय दवारा अभी अन्तिम रूप से निर्णय किया जाना है।

(ग) भुगतान की राशि की उगाही के लिये विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा रहा है।

एक टेलीफोन एक्सचेंज में रजिस्टर हुए उम्मीदवार के नाम का दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में बिना वरिष्ठता खोये अन्तरण

6045. **श्री सतपाल कपूर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक व्यक्ति जिसने टेलीफोन के लिए किसी एक टेलीफ़ोन एक्सचेंज में अपना नाम रजिस्टर कराया हुआ है, बाद में अपना निवास बदलने पर नये क्षत्र के टेलीफोन एक्सचेंज में, अपना रजिस्ट्रेशन बदलवा सकता है ;

(ख) क्या रजिस्टर्ड व्यक्ति को वरिष्ठता में इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता और नये टेलीफोन एक्सचेंज में उसको वरिष्ठता मूल रजिस्ट्रेशन को तिथि से हो रखी जाती है; और

(ग) क्या ऐसे भी कुछ मामल है, जिनमें बरिष्ठता को बहाल नहीं किया गया है जबकि 1972 में जोर बागमें रजिस्टर्ड व्यक्तियों को कनाटप्लेस (नई दिल्ली) टेलीफोन एक्सचेंज में तबदील कराया है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वरिष्ठताको बहाल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। बशर्ते कि दोनों एक्सचेंज एक हो टेलीफोन प्रणाली के भाग हों और यह भी शर्त है कि टलीफोन के लिए जिस पार्टी का नाम दर्ज है, उसके नाम और संघटन में कोई परिवर्तन न हुआ हो।

(ख) जी हां। वरिष्ठता में कोई अन्तर नहीं पड़ता।

(ग) जी नहीं।

केरल के पालघाट नगर में डाक-तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

6046. श्री ए० के० गोपालन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पाल घाट नगर में डाक और तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) 33 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए मंजूरी–आदेश जारी कर दिए गए हैं और टेंडर पहले ही मांगें जा चुके हैं। वर्ष 1974–75 के दौरान इस कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है।

कालीकट (केरल) में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

6047. श्री ए० के० गोपालन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट (केरल) में एक और टेलीफोन एक्सचेंज को स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यह कब तक चालू हो जायगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। मौजूदा एक्सचेंज को इमारत में एक और मंजिल का निर्माण हो रहा है। ऐसा प्रस्ताव है कि नई मंजिल पर एक दूसरा एक्सचेंज यूनिट स्थापित किया जाए।

(ख) नए यूनिट में प्रारम्भ में 900 लाइनें स्थापना करने का प्रस्ताव है। बाद में इस में 600 लाइनें और बढ़ा दी जाएंगी। आशा है पहली 900 लाइनें मार्च 1974 तक चालू हो जाएंगी।

(ग) उपर (क) और (ख) में दिए गए उत्तरों को मद्‌देनजर रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र में मौसम विज्ञान अनुसन्धान के लिए अधिक सुविधाओं की व्यवस्था

6048. **श्री वयालार रवि :** क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र में मौसम विज्ञान अनुसन्धान के लिए सुविधाओं को बढ़ाने का है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है;

(ख) क्या मौसम को प्रभावित करने वाले जटिल कारणों को समझने के लिए समुद्र के बीच विमानों और पोतों का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर राज्य में राजनीतिक दलों द्वारा अनुच्छेद 370 का उत्पादन करने की मांग

6049. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री के० लकप्पा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में कुछ राजनीतिक दलों ने अनुच्छेद 370 का उत्पादन करने की मांग की है;

(ख) क्या आल इण्डिया जम्मू एण्ड कश्मीर आवामी ऐक्शन कमेटी के अध्यक्ष ने भी यही मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान्। सम्भवतः भाग (ख) में माननीय सदस्यों का संकेत आल जम्मू एण्ड कश्मीर न्यू अवामी ऐक्शन कमेटी के अध्यक्ष की ओर है।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 370 उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदनपत्रों का निपटारा करने में विलम्ब

6050. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसो के लिए आवेदनपत्रों का निपटारा करने में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को दूर करने के लिए कुछ उपाय किये हैं ;

(ख) क्या विदेशी सहयोग और पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति दिए जाने के स्तर सहित औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर विलम्ब होता है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न अधिकारियों को अनुदेश दिए हैं जिन में लाइसेंस देने की प्रक्रिया और लाइसेंस देने के संबंध में प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी; और

(घ) क्या विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि यह प्रक्रिया संतोषजनक रूप से प्रभावकारी सिध्द नहीं हुई है, और यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) : सरकार औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों को निबटाने तथा अन्य स्वीकृति सम्बन्धी क्रियाविधियों की निरन्तर समीक्षा करती रही है । इस प्रकार की स्वीकृति में लगनेवाले समय में कमी करने के लिये आवेदन–पत्रों की छानबीन करने की विभिन्न आवस्थाओं के लिये समय सीमा निर्धारित कर दी गई है । विलम्ब कई कारणों से होता है जिनका इस समय प्रणालीबद्ध तरीके से अध्ययन किया जा रहा है निर्णय करने की प्रक्रिया में प्रत्येक अवस्था के मूल कारण की समीक्षा की जा रही है ।

पूर्वी क्षेत्र में टेलीविजन सेवा के लिए उपग्रह

6051. श्री अर्जुन सेठी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के पूर्वी क्षेत्र के लोगों को टेलीविजन की सेवा उपलब्ध कराने के लिये एक उपग्रह छोडना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप रेखा क्या है और यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) टेलीविजन सेवा उपलब्ध करने के लिये, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग उपग्रहों का होना जरुरी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"बुलेटिन बाई दि इन्टरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी" में प्रकाशित लेख

6052. श्री अर्जुन सेठी : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "बुलेटिन बाई दि इन्टरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी" में प्रकाशित उस लेख की ओर दिलाया गया है कि जिसमें यह बताया गया है कि शताब्दी के अन्त तक भारत की परमाणु ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 4.3 करोड किलोवाट हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक उत्पादन क्षमता, विद्युत ग्रिड की क्षमता एवं परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं उपयुक्त रहने की अवस्था में यह लक्ष पूरा होने की आशा है।

आन्ध्र प्रदेश शराब काण्ड संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन

6053. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश शराब काण्ड की जांच करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या उन्होंने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) 23-2-1973 के आन्ध्र प्रदेश के सूर्यपेट कस्बे में शराब काण्ड की जांच करने के लिये जांच आयोग अधिनियम 1952 अन्तर्गत राजस्व बोर्ड, आन्ध्र प्रदेश के प्रथम सदस्य श्री ए० कृष्णास्वामी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। आयोग को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये दो माह का समय दिया गया है।

नैशनल फ्रन्ट आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स की गतिविधियां

6054. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "नेशनल फ्रन्ट आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स" नामक एक संगठन की जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है सन्दिग्ध गतिविधियों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इस आशय के भी समाचार मिले है कि उक्त संगठन को विदेशी स्त्रोतों से बहुत धन मिल रहा है ; और

(ग) क्या नेशनल फ्रन्ट आफ इण्डियन ट्रेड युनियन के कार्यकलापों की कोई जांच की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने नेशनल फ्रन्ट आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स कलकत्ता की गतिविधियों के बारे में एक अभ्यावेदन देखा है।

(ख) और (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

डाक-तार अधिकारियों द्वारा "एस० टी० डी०" सेवा का कथित दुरुपयोग

6055. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा टेलीफोनों पर व्यय में किफायत-कार्यालय तथा घरेलू टेलीफोनों में एस० टी० डी० सुविधा न रहने संबंधी अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 14(71)–ई० को आई०/71 दिनांक 5 अक्तूबर, 1972 के द्वारा दी गई हिदायतों जैसी कोई, हिदायतें उनके मंत्रालय द्वारा भी तार तथा टेलीफोन विभागों के अधिकारियों के मार्ग दर्शन के लिये जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो क्यों; और

(ग) डाक–तार विभाग के अधिकारियों के टेलीफोनों से निजी एस० टी० डी० कालों द्वारा इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है, विशेषकर जब कि इन कालों पर भुगतान न करके उनका लेखा–पुस्तकों में समायोजन कर दिया जाता है ?

संचार मंत्री (श्री हैमवती नन्दन बहुगुणा : (क) वित्त मंत्रालय के तारीख 14–10–1971 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ–14(17)–ई० (को–आई)/71 के आधार पर डाक–तार महानिदेशालय ने विभाग के कार्यालयों तथा घरों में लगे सर्विस टेलीफोन कनेक्शनों पर से उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा हटाने के बारेमें विस्तृत हिदायतें फरवरी, 1972 में जारी कर दी थीं।

(ख) इस कार्यालय के तारीख 22–2–1972 के पत्र संख्या 4–12/71 पीं० एच० ए० के संबंधित उद्धरण अनुबंध में दिए जा रहे है।

(ग) घरों पर दिए गए सर्विस टेलीफोन कनेक्शनों के मामले में डाक–तार. विभाग ने वित्त मंत्रालय द्वारा सुझाए गए कदमों से भी अधिक कड़े कदम उठाए हैं। अराजपत्रित अधिकारियों के घरों में दिए गए सभी सर्विस टेलीफ़ोन कनेक्शनों से उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा अनिवार्य रूप से हटा दी गई है।

विवरण

अनुबंध

डाक–तार महानिदेशालय के तारीख 22–2–72 के पत्र संख्या 4–12/71–पी० एच० ए० का उद्धरण

* * *

2. किफायत के बतौर जिन एक्सचेंजों में सीधी डायलिंग पर रोक मौजूद है अथवा उपलब्ध होती है वहां सभी एक्सचेंजों में अधिकतर डाक–तार सरकारी कनेक्शनों पर सीधी डायलिंग पर रोक लगाने का अभी निर्णय किया गया है। ऐसे एक्सचेंजों में सभी सरकारी कनेक्शनों से मंडल इंजीनियर तार/प्रवर डाकघर अधीक्षक अथवा उनके समकक्ष अधिकारियों के नीचे वाले अधि–कारियों के लिए सीधी डायलिंग पर रोक लगादी जाए। सरकारी कनेक्शनों में तार घरों, टेलीफोन एक्सचेंजों, डाकघरों आदि में लगे कनेक्शन भी शामिल होंगे।

3. रिहायशी कनेक्शनों के बारे में राजपत्रित अधिकारियों के नीचे के कमचारियों को दिये गए कनेक्शनों से और निवेदन करने पर राजपत्रित अधिकारियों के कनेक्शनों से सीधी डायलिंग पर रोक लगा दी जाए।

4. उक्त पैरा 2 में उल्लिखित सामान्य नीति का अपवाद बहुत ही विशेष मामलों में कार्यालय अध्यक्षों (निर्देशक के पद से नीच नहीं) द्वारा किया जा सकता है जो कि इस बात का कारण लखित रूप में दर्ज करेंगे कि विशिष्ठ मामलों में सरकारी हित में सीधी डायल सुविधा की अनुमति देना क्यों जरूरी था। प्रत्येक मामले में कारणों को दर्ज करके जिन मामलों में अपवाद बरता गया हो उनकी सूची डाक–तार महानिर्देशक (पी० एच० ए० अनुभाग) को भिजवाई जाए। सीधी डायल पर रोक लगे कनेक्शनों से हमेंशा की तरह ट्रंक सेवा अर्थात् हस्तचल ट्रंक एक्सचेंज की मार्फत उपलब्ध होगी।

कुचबिहार पश्चिम बंगाल में सीमेंट का कारखाना

6056. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में कूच बिहार में एक सीमेंट का कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस दिए जाने की कोई योजना भी है,

(ख) यदि हां, तो योजना की रुपरेखा, प्रस्तावित पूंजीनिवेश और रोजगार संभावनाय क्या हैं और सरकार द्वारा इस पर स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी, और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त योजना को स्वीकृति देने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) मेघालय सरकार से जारो पहाडियां/कुच बिहार में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक संयुक्त उपक्रम के रुप में सिमंट का एक कारखाना लगाने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। इस योजना पर 17 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जानी है। करीब 900 आदमियों को विभिन्न श्रेणियों में रोजगार मिलने की सम्भावना है। वभिन्न प्राधिकरणों के परामर्श से आवेदन पत्र पर विचार बिमर्श किया जा रहा है।

कूच-बिहार, पश्चिम बंगाल में सिग्रेट का कारखाना

6057. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य के कुच बिहार में सिग्रेट का कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस देने का अनुरोध मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का रुपरेखा प्रस्तावित पूंजी निदेश तथा रोजगार को संभावनाएं क्या हैं और इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :(क) और (ख) : सिगरेट बनाने हेतु कुच बिहार जिले में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए हाल ही में एक कंपनी का जिसमें विदेशी निवेश है, पश्चिम बंगाल सरकार से सिद्धान्तरुप में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि विदेशी निवेश और इस उद्योग में विदेशी कंपनियों की प्रधानता तथा इस उद्योग को दी जाने वाली प्राथमिकता को ध्यान में रखत हुए प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जा सकता। फिर भी उन्हें सूचित कर दिय गया है कि राज्य सरकार द्वारा स्वींकृत रूप में किसी अन्य प्रायोजित प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

देश को विभिन्न आन्तरिक खतरों का मुकाबला करने के लिए "सिविल फोर्स"

6058. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश की सुरक्षा को विभिन्न आन्तरिक खतरों का मुकाबला करने के लिए शक्तिशाली 'सिविल फोर्स' की स्थापना करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Draft of Fifth Plan

6059. **Shri Hukam Chand Kachwai** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether final draft of the Fifth Plan has since been prepared; and

(b) if not, the time by which it is likely to be prepared

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia :
(a) Draft of the Fifth Five Year Plan is under preparation.

(b) By the end of September, 1973.

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी

6060. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :**

श्री रानेन सेन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत और अन्य एशियाई देशों के बारें में समाचार एक पक्षीय अथवा पश्चिम का पक्ष लिए हुए होते हैं क्योंकि पश्चिमी देशों में स्थित विश्व समाचार एजेंसियों का ही रशिया में प्रभुत्व है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्य एशियाई देशों के सहयोग से एक अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी बनाने का कोई प्रयास किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसमें कितनी सफलता मिली है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार एशिया के विकासशील देशों के बीच भारतीय समाचार एजेन्सीयों तथा सम्बन्धित देशों की समाचार एजेन्सीयों के बीच द्विपक्षीय प्रबन्धों के माध्यम से सूचना के ओर अधिक प्रसार के प्रयत्नो को वांछनीय समझती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिंसा को दबाने के लिए जन सम्पर्क के माध्यमों का उपयोग

6061. श्री राजदेव सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता और नीति निर्माताओं के बीच प्रभावकारी सम्पर्क के विभिन्न साधन स्थापित करने और उन्हें बनाये रखकर हिंसा को दबाने के लिए जन सम्पर्क-माध्यमों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है ;

(ख) क्या लोकतांत्रिक जीवन पद्धति का प्रचार ही मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्य था ; और

(ग) क्या जनता को महत्वपूर्ण मामलों और नीतियों का सही मूल्यांकन प्रदान करने और लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण जीवन पद्धति के लिए उनके विचार और उनकी सहानुभूति प्राप्त करने में जन सम्पर्क के माध्यम बुरी तरह विफल रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) इस प्रयास में जन सम्पर्क माध्यम एक महत्वपूर्ण साधन है।

(ख) लोकतान्त्रिक जीवन पद्धति का प्रचार करना माध्यम का एक मुख्य उद्देश्य है।

(ग) जी, नहीं ।

डेनमार्क में "थिंकिंग फ्राइंग पैन" का अविष्कार

6062. श्री राजदेव सिंह : क्या विज्ञान और **प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डेनमार्क के कार्ल क्रोयर ने, जो विश्व के सब से धनाढय अनुसंधानकर्ता हैं, "थिंकिंग फ्राइंग पैन" का अविष्कार किया है जो बिना हाथों के प्रयोग के सभी चीजें पका सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस अविष्कार से लाभ उठाना उचित समझती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में जानकारी प्राप्त करके इसका विकास देश में ही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आवश्यक सूचना संकलित की जा रही है। वर्तमान स्थिति में इस आविष्कार को **देश** में ही विकसित करने का प्रश्न नहीं उठता।

दूर संचार विंगों के राजपत्रित अधिकारियों को दिये गये लाभ

6063. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार विंगों के राजपत्रित अधिकारियों को कुछ अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) दूर संचार विंगों के राजपत्रित अधिकारी भी वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वे ही अनुषंगी लाभ जसे कि मकान

किराया भत्ता, शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं आदि पा रहे है जो केन्द्रीय सरकार के दूसरे राजपत्रित अधिकारी पा रहे हैं।

टेलीफोन प्रयोगकर्ताओं से बकाया राशि की वसूली

6064. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **सन्चार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी राज्यों में, राज्यवार, टेलीफोन प्रयोगकर्ताओं से कुल कितनी राशि वसुली के लिए बकाया है,

(ख) उनसे बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, और

(ग) बकाया राशि अब तक क्यों वसूल नहीं की जा सकी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) तारीख 1-1-1973 को देश के सभी राज्यों में टेलीफोन उपभोक्ताओं से कुल मिलाकर 680.78 लाख रुपये की रकम वसूल करनी बाकी थी। डाक-तार सर्किलों/जिलों के अनुसार बकाया रकमों के ब्यौरे अनूबन्ध में दिए गए हैं। बकाया रकमों के राज्यवार आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जिन उपभोक्ताओं के नाम टेलीफोन की रकम बकाया हो जाती है (छूट प्राप्त श्रेणियों के टेलीफोनों को छोड़ कर, उनके टेलीफोन काट दिए जाते हैं। बकाया रक़म की वसूली के लिए लिखा पढ़ी कर के और व्यक्तिगत स स्थापित कर के प्रयास किए जाते हैं। जिन प्राइवेट उपभोक्ताओं के टेलीफोन कनेक्शन काट दिए जाते हैं, उनके मामले में जहां कहीं आवश्यक होता है कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(ग) डाक-तार विभाग टेलीफोन उपभोक्ताओं को टेलीफोन सेवा क्रेडिट के आधार पर देता है। यह क्रेडिट इस तरह होता है कि उपभोक्ताओं को प्रभार पूर्व अदा किए बिना स्थानीय और ट्रंक काल करने की अनुमति दी जाती है और उनके चार्ज की वसूली बाद में की जाती है। वस्तुतः न कालों की कोई सीमा भी निश्चित नहीं है। अतः ऐसे विभाग में जहां टेलीफोन कालों के बल टेलीफोन काल करने के बाद बनाने की पद्धति प्रचलित हो, कुछ रकम का बकाया पड़ जाना अपरिहार्य है।

विवरण

अनुबन्ध

बकाया टेलीफोन राजस्व

सर्किल/टेलीफोन जिलों के नाम	(रक्कम लाख रूपयों में) तारीख 30-9-72 तक जारी किए बिलों की तारीख 1-1-1973 को बकाया रकम
आन्ध्र सर्किल	4.62
आसाम सर्किल	79.97
बिहार सर्किल	33.69
मध्य प्रदेश सर्किल	47.67
महाराष्ट्र सर्किल	12.36

विवरण

अनुबन्ध

बकाया टेलीफोन राजस्व

	(रक्कम लाख रुपयों में) तारीख 30-9-72 तक जारी किए बिलों की तारीख 1-1-1973 को बकाया रकम
गुजरात सर्किल	7.47
जम्मू और कश्मीर सर्किल	32.23
केरल सर्किल	3.32
तमिलनाडु सर्किल	2.57
मैसूर सर्किल	2.08
उड़ीसा सर्किल	13.08
पंजाब सर्किल	12.856
राजस्थान सर्किल	8.34
उत्तर प्रदेश सर्किल	48.67
पश्चिम बंगाल सर्किल	58.90
कलकत्ता जिला	47.30
दिल्ली जिला	106.84
बम्बई जिला	107.18
मद्रास जिला	4.73
हैदराबाद जिला	2.20
बंगलूर जिला	2.66
अहमदाबाद जिला	4.05
पूना जिला	2.60
कानपुर जिला	11.25
नागपुर जिला	6.48
पटना जिला	9.84
जयपुर जिला	7.83
योग	680.78

उत्तर प्रदेश में भाभा परमाणु ऊर्जा संस्थान केन्द्र की स्थापना

6065. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, उत्तर प्रदेश के बरेची जिले में भाभा परमाणु ऊर्जा संस्थान का एक केन्द्र स्थापित करने का है ; यदि हां, तो यह केन्द्र कहां स्थापित किया जाएगा ;

(ख) यह केन्द्र कब तक चालू हो जाएगा ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोर्ट ब्लेयर के स्कूलों में भाषा

6066. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 की जनगणना के अनुसार पोर्ट ब्लेयर में दूसरी भाषा तमिल है ;

(ख) क्या इस द्वीप में तमिल केवल पांचवे दर्जे तक ही पढ़ाई जाती है ;

(ग) क्या पोर्ट ब्लेयर में तमिल शिक्षा संरक्षण समिति ने सरकार से बंगाली, हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के साथ तमिल को भी शामिल करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) पोर्ट लेयर के भाषा संबंधी आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्राथमिक अवस्था में शिक्षा पहले ही मातृभाषा के माध्यम से दी जा रही है। द्वितीय अवस्था के दौरान तृतीय भाषा के रूप में तमिल समेत मातृभाषा के अध्ययन के लिये भी सुविधायें उपलब्ध हैं।

(ग) यह मांग की गई है कि द्वितीय अवस्था में तमिल भी शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए।

(घ) मामला विचाराधीन है।

(आई० एस० आर० ओ०-एन०ए०एस०ए० संयुक्त प्रयोग या भारतीय अन्तरिक्ष में अमरीकी गुप्तचर व्यवस्था) शीर्षक से समाचार

6067. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 मार्च, 1973 के 'ब्लिटस' में "आई० एस० आर० ओ०-एन० ए० एस० ए० संयुक्त प्रयोग या भारतीय अंतरिक्ष में अमरीकी गुप्तचर व्यवस्था" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) उसमें दिया गया विवरण तथ्यतः सही नहीं है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के हार्बर मास्टर द्वारा गैर-सरकारी स्वामित्व वाले जहाजों और मोटर-नावों की गतिविधियों पर नजर रखना

6068. श्री भागवत झा आजाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के हार्बर-मास्टर द्वारा सभी गैर-सरकारी स्वामित्व वाले जहाजों-और मोटर-नावों तथा उनकी गतिविधियों का रिकार्ड रखा जाता है ताकि देश के इन सुदूर पत्तनों में राष्ट्रीय हित को हानि पहुंचाने वाले शत्रु-एजेंटों से बचा जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो 'रानी' नाम की मोटर-नाव का अतापता क्या है जिसे अन्दमान टिम्बर इंडस्ट्रीज ने इसके भूतपूर्व मालिक पोर्ट ब्लेयर के प्लांटर सुभान अली से खरीदा था ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) अंदमान प्रशासन ने जलयान "रानी" सम्बन्धी जांच शुरू कर दी है।

अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद

6069. श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ राज्यों के सीमा विवाद अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और ये विवाद कब तक हल कर दिए जाएंगे ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) इस समय चल रहे तीन अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों का सम्बन्ध (i) असम-नागालैण्ड सीमा (ii) पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के बीच की सीमा और (iii) महाराष्ट्र व मैसूर तथा मैसूर व केरल के बीच की सीमा से है। सरकारने असम-नागालैण्ड सीमा सम्बन्धी तथ्यों का पता लगाने व किसी समायोजन की आवश्यकता के लिए और एक स्वीकृत हल निकालने के बारे में भी एक सलाहकार नियुक्त किया है। उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है। अन्य दो विवादों के सम्बन्ध में परस्पर मान्य समाधान करने की दृष्टि से संबंधित मुख्य मंत्रियों के बीच सहमति के सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है। ऐसे विवादों के समाधान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना वास्तव में कठिन है।

राज्यों द्वारा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन बन्दी बनाये गये व्यक्तियों के मामलों को केन्द्रीय सरकार को दी गई सूचना

6070. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने संबन्धी अधिनियम के अधीन बन्दी बनाए गए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं भेजती हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में एसे मामलों की राज्यवार संख्या क्या है ; और

(ग) क्या मंत्रालय इन मामलों पर पुनर्विचार करता है और अधिकारों के दुरूपयोग के किसी मामले में मंत्रालय सम्बद्ध राज्य सरकार को क्या सलाह देता है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमन्। आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण, अधिनियम, 1971 की धारा 3(4) की अपेक्षा के अनुसार राज्य सरकारें उनके द्वारा दिए गय अथवा अनुमोदित किए गये नजरबन्दी के आदेशों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को ऐसी रिपोर्ट भेजती हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के अधीन उपलब्ध शक्तियों के दुरुपयोग के कोई उदाहरण गृह मंत्रालय में समीक्षा करते समय ध्यान में नहीं आए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गये ह कि आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम सभी प्राधिकारियों को संविधान तथा अधिनियम की अपेक्षाओं की पूर्ण रूप से जानकारी है और इन शक्तियों को प्रयोग करते समय सभी अपेक्षाओं का पूर्णरूप से पालन होता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह भी अनुरोध किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेटों व पुलिस आयुक्तों द्वारा जारी किए गये नजरबन्दी के आदेशों का अनुमोदन करते समय उन्हें स्वयं को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए कि कानून तथा संविधान की अपेक्षाएं पूर्ण रूप से पूरी की गई हैं ।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	1972 में नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या	
1.	आन्ध्र प्रदेश	73	
2.	असम	104	
3.	बिहार	8	
4.	गुजरात	36	
5.	हरियाणा	2	
6.	जम्मू व कश्मीर	70	(1-11-1972 तक)
7.	हिमाचल प्रदेश	7	
8.	केरल	15	
9.	मध्य प्रदेश	55	
10.	महाराष्ट्र	37	
11.	मैसूर	3	
12.	उड़ीसा	1	
13.	पंजाब	98	
14.	राजस्थान	7	
15.	त्रिपुरा	36	
16.	उत्तर प्रदेश	28	
17.	पश्चिम बंगाल	3137	
18.	दिल्ली	20	(केन्द्र सरकार द्वारा नजरबन्द 4 नागाओं समेत)
19.	गोवा, दमन व दीव	1	
20.	मिजोरम	1	

उपरोक्त अवधि में शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में कोई ऐसी नजरबन्दी नहीं की गई थी।

टार्चों के खोलों के निर्माणपर नियंत्रण

6072. **श्री गनेन सेन :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री मेसर्स यूनियन कार्बाइड द्वारा लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन करने के बारे में 31 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 8179 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टार्चों के खोल बनाने के बारे में कोई नियंत्रण है;

(ख) क्या सरकार ने पीतल की चादरों के निर्माताओं को निदेश दिए हैं कि वे टार्च निर्माताओं को पीतल की चादरें सप्लाई न करें;

(ग) क्या सरकार ने दिनांक 17 जुलाई, 1970 के पत्र द्वारा यूनियन कार्बाइड के लिए 465 टन का कोटा नियुक्त किया था;

(घ) क्या यूनियन, कार्बाइड ने वर्ष 1970 तथा 1971 में क्रमशः 600 एवं 677 टन पीतल की चादरें ली थी; और

(ङ) यदि हां, तो मेसर्स यूनियन कार्बाइड के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) एक अनौपचारिक व्यवस्था के अनुसार संगठित क्षत्र के फ्लेशलाइट केसों के दो प्रमुख उत्पादक निश्चित सीमा से अधिक फ्लेश लाइट केसों का उत्पादन नहीं कर सकते।

(ख) जी, हां। ये अनुदेश 1969 में जारी किये गये थे और 1970 में हटा लिए गये।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) पीतल के फ्लेश लाइट केसों की क्षमता के लिए 465 मी० टन का कोटा निश्चित किया गया था। पीतल का उपयोग स्विचों और तालों के लिए भी किया जाता है जबकि टार्चें प्लास्टिक एल्युमीनियम और इस्पात की भी बनाई जाती हैं इनके लिए आवश्यक पीतल की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। इन अतिरिक्त आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए 1970 और 1971 में पीतल की खपत से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने अनुमत उत्पादन से पीतल की टार्चों का उत्पादन किया है।

भारत में सोवियत सहायता से चल रही परियोजनाओं सम्बन्धी स्कैचकीव रिपोर्ट

6073. **श्री पी० के० देव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में सोवियत सहायता से चल रही परियोजनाओं सम्बन्धी स्केच-कीव रिपोर्ट सोवियत संघ से प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या बातें कही गईं हैं और कौन-कौनसी सिफारिसें की गई हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी के विशाखापत्तनम केन्द्र में उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर

6074. श्री के० रामाकृष्णा रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विशाखापत्तनम केन्द्र में उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ट्रांसमीटर कब तक कार्य प्रारम्भ करेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1975-76।

आकाशवाणी के कडप्पा केन्द्र से दिन के समय के प्रसारण

6075. श्री के० रामाकृष्णा रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कडप्पा आकाशवाणी केन्द्र से दिन के समय भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : जी, नहीं। किन्तु 1973 की समाप्ति से पूर्व इस केन्द्र द्वारा ऐसा किए जाने की संभावना है।

तदर्थ पदों पर कार्य कर रहे अनुसंधान अधिकारियों/सहायक निदेशकों को भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा में सम्मिलित करना

6076. श्री के० रामाकृष्णा रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 से तदर्थ पदों पर कार्य करने वाले अनुसंधान अधिकारियों/सहायक निदेशकों की संख्या कितनी है जिन्हें भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ख) क्या अस्थाई मंजूरी के आधार पर इन अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन मिल रहा है; और

(ग) क्या पांच वर्ष से सेवा कर रहे ऐसे अधिकारियों को, यदि आवश्यक हो तो उनके भर्ती नियमों में संशोधन करके, भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा में नियमित रूप से शामिल करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) 31-12-1966 की अवधि से या उससे पूर्व भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-IV के पदों में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे अधिकारियों की संख्या, और जिन्हें किसी भी सेवा में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्रमशः 39 तथा 34 है।

(ख) अधिकारियों की निरन्तर स्थानापन्नता के सभी मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से नियत कालिक अन्तराल में अनुमोदन मांगा जाता है और ऐसे अनुमोदन के प्राप्त होने पर मंजूरियां भी जारी की जाती हैं। तथापि, कुछ मामलों में अधिकारियों को अपने वेतनों को नियमित रूप से लेने में अवरोध उत्पन्न हुए हैं, जबकि यह राशि उन्हें दी जानी थी। जब कभी ऐसे अवरोध उत्पन्न होते हैं, कार्मिक विभाग द्वारा वेतनों के भुगतान करने के सम्बन्ध में विशेष प्रयत्न किए जाते हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्।

एकाधिकारी गृहों से ओद्योगिक लाइन्ससों के लिए आवेदनपत्र

6077. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 मार्च, 1972 से 13 मार्च 1973 तक की अवधि के बीच उनके मंत्रालय को नये औद्योगिक संयंत्रों अथवा योजनाओं अथवा परियोजनाओं के लिए लाइसेंस हेतु कितने नये आवेदन पत्र दिए गए ।

(ख) उनमें से कितने मंजूर किए गए हैं और वे योजनायें क्या हैं, और उद्यमकर्त्ता कौन कौन हैं ; तथा

(ग) कितने लाइसेंसों पर अभी विचार होना है और उनमें से कितने एकाधिकारी गृहों से हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) आंकड़े कैलेन्डर वर्ष के अनुसार ही रखे जाते हैं । वर्ष 1972 में नये उपक्रम स्थापित करने के लिए 1673 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे । इन आवेदन में से 97 आशयपत्र तथा 9 लाइसेंस जारी किए गये । जारी किए गए लाइसेंसों और आशयपत्रों का ब्यौरा नियमित रूप से "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिज" "इम्पोर्ट लाइसेंसिज और एक्सपोर्ट लाइसेंसिज", "साप्ताहिक इण्डियन ट्रेड जर्नल" तथा मासिक "जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किए जाते हैं । इन प्रकाशनों की प्रतियाँ नियमित रूप में संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।

(ग) उपरिलिखित 1673 आवेदनपत्रों में से 1-1-73 को 1297 आवेदनपत्र विचाराधीन थे तथा इनमें से 11 आवेदनपत्र औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन में परिभाषित बड़े औद्योगिक गृहों से प्राप्त हुए हैं ।

रेडियो आइस्टोप्स का विस्तृत प्रयोग

6078. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेडियो आइस्टोपस के व्यापक प्रयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस सम्बन्ध में जो विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनका विवरण परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन में, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, दिया गया है ।

हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना

6079. **श्री प्रताप सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 1973-74 के लिए अपनी वार्षिक योजना केन्द्रीय सरकार को भेज दी है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार ने वर्ष 1973-74 के लिए 30.38 करोड़ रुपये के योजना प्रस्ताव भेजे थे, जिनके बदले में योजना आयोग द्वारा 30.58 करोड़ रुपये की एक योजना की स्वीकृति दे दी गई है ।

30.58 करोड़ रुपये की योजना के लिए क्षेत्रवार परिव्यय इस प्रकार है :–

	(करोड़ रुपये)
1. कृषि तथा सम्बन्धित कार्यक्रम जिनमें कि सहकार, सामुदायिक विकास तथा पंचायतें शामिल हैं ।	9.35
2. सिचाई तथा बिजली . .	4.75
3. उद्योग तथा खनिज .	1.64
4. यातायात तथा संचार	7.69
5. समाज सेवाएं . . .	6.89
6. विविध	0.26
	30.58

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Publication of a Book Entitled 'Adhunik Bharat Ke Nirmata'

6080. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether work in regard to publication of a book entitled 'Adhunik Bharat Ke Nirmata' (the builders of Modern India), was undertaken during last two years and if so, the aims and objects thereof and the expenditure incurred thereon in 1971 and 1972, separately; and

(b) the names of great personalities whose lives have been published therein and the number of copies of the books sold, so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) It was decided in April 1957 to publish, in the series 'Builders of Modern India', biographies of eminent persons who have been responsible for our national renaissance and attainment of Independence. The expenditure incurred on the scheme during 1971 and 1972 is given below :

1971	1972
Rs.	Rs.
78,195	22,930

(b) Names of Eminent personalities whose Biographies in the series "Builders of Modern India" have been brought out so far and the number of copies sold :

Name of Person	No. of copies sold
1. Annie Besant	316
2. Ashutosh Mukherji	1,133
3. Badruddin Tyabji	743
4. Bhula Bhai Desai	2,018

	Name of Person	No. of copies sold
5.	C. Sankaran Nair	2,358
6.	C. F. Andrews	563
7.	Dada Bhai Naoroji	10,270
8.	Desh Bandhu C. R. Das	10,672
9.	Desh Priya Jitendra Mohan Sen Gupta	2,068
10.	Dewan Rangacharlu	1,561
11.	Dhondo Keshav Karve	788
12.	Gandhiji: His Life and Thought	5,851
13.	Gopal Krishna Gokhale	5,176
14.	G. Subramaniam Iyer	1,742
15.	Ishwar Chandra Vidya Sagar	4,189
16.	Jamshetji Tata	1,095
17.	Kasturi Ranga Iyengar	3,331
18.	Lok Manya Bal Gangadhar Tilak	6,940
19.	Motilal Nehru	4,358
20.	M. Vishvesvaraya	158
21.	Mahadev Govind Ranade	837
22.	Fherozeshah Mehta	1,171
23.	P. S. Sivaswamy Iyer	1,043
24.	Rajendra Prasad	1,736
25.	Ramesh Chandra Dutta	1,848
26.	Rabindra Nath Tagore	406
27.	Sir Sayad Ahmed Khan	2,600
28.	Surendra Nath Banerjee	2,147
29.	Sachidananda Sinha	1,113
30.	S. Srinivasa Iyengar	454
31.	V. S. Srinivasa Sastri	1,854
32.	Madan Mohan Malviya	491
33.	Thakkar Bapa	1,263

Legislation against 'Peet Patrakarita' (Yellow Journalism)

6081. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government was drawn to the editorial note 'Peet Patrakarita' (Yellow Journalism) in daily 'Hindustan' dated the 8th November, 1972 and if so, Government's reaction thereto; and

(b) whether Government propose to take any drastic step to check yellow journalism and enact necessary legislation therefore and if so, the time by which it would be enacted and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b) The Government has noted the editorial. It gives no encouragement to yellow journalism.

In selecting newspapers and periodicals for Central Government advertisements, the publications, adherence to accepted norms and standards of journalistic ethics is taken into consideration. Advertisements are withheld from newspapers and periodicals which offend accepted conventions of decency and morals. There is, however, no proposal for promoting any special legislation as legal remedy is already available against character assassination and blackmailing.

Government stands committed to the freedom of Press. Government policy to delink ownership of newapapers from Industrial houses is meant to enlarge the freedom of Press and to give real meaning to it by removing pressures of such interest groups.

Organisations and Projects for National Integration

6082. Shri N. C. Daga : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether provision was made for financial assistance to voluntary organisations for research projects and other activities connected with national integrations during 1970, 1971 and 1972;

(b) if so, the year-wise amounts; and

(c) the money spent on each of the programmes ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) Yes Sir, A provision of Rs. 4,90,000/- was made during the year 1970-71, Rs. 3,75,000/- during the year 1971-72 and Rs. 3,00,000/- during the year 1972-73 in the Home Ministry's Budget.

(c) A statement indicating the amount sanctioned on each programme attached. **[Placed in LibrarySee No. L.T. 4721/73]**

डाक अनुसन्धान और विकास केन्द्र की स्थापना

6083. श्री ई० वी० विखे पाटिल :

श्री डी० बी० चन्द्र गोड़ा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित डाक अनुसंधान तथा विकास केन्द्र और प्रादेशिक वर्कशापों की स्थापना कहां कहां पर की जायेगी,

(ख) क्या अनुसंधान केन्द्र की स्थापना विदेशी सहायता से की जायेगी, और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता प्राप्त होने की संभावना है और किन देशों से?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा : (क) एक अनुसंधान संगठन के तौर पर डाक अनुसंधान एंव विकास केन्द्र को स्थापित करने का प्रस्ताव है, लेकिन यह संगठन किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा इसका अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। चार क्षेत्रों के लिए चार क्षेत्रीय कर्मशालाएं हैदराबाद, राउरकेला, नासिक और गाजियाबाद में अस्थायी रूप से खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इन स्थानों में अन्य

सुविधाएं उपलब्ध हों। तथापि जब प्रोजेक्टों को अंतिम रूप से स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद ही स्थानों के बारे में अंतिम रूप से फैसला किया जाएगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पांचवीं योजना के दौरान गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

6084. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री बेकारिया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से पांचवीं योजना के दौरान राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संबंध में कोई योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं योजना के दौरान राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संबंध में योजना आयोग को अभी तक गुजरात सरकार से कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

1970-71 में बताई गई फिल्में

6085. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में 1970 और 1971 के दौरान वर्ष-वार तथा भाषा-वार कितनी फिल्मों का निर्माण हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : 1970 तथा 1971 के दौरान निर्मित फिल्मों (लम्बी तथा छोटी दोनों प्रकार की फिल्मों) की भाषा-वार संख्या इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	भाषा	1970 के दौरान फिल्मों की संख्या		1971 के दौरान फिल्मों की संख्या	
		35 मिली मीटर	16 मिली मीटर	35 मिली मीटर	16 मिली मीटर
1	हिन्दी	421	5	459	5
2	हिन्दुस्तानी	15	..	25	..
3	भोजपुरी		..	1	..
4	उर्दू	6	1	7	..
5	पंजाबी	7	..	7	2
6	मराठी	68	2	69	2
7	गुजराती	41	1	46	

क्रम संख्या	भाषा	1970 के दौरान फिल्मों की संख्या		1971 के दौरान फिल्मों की संख्या	
		35 मिलीं मीटर	16 मिली मीटर	35 लिली मीटर	16 मिली मीटर
8	सिन्धी . .	..	..	1	..
9	कोंकणी . . .	2	..	1	..
10	अंग्रेजी . . .	475	8	457	22
11	फ्रांसीसी में हिन्दी उपशीर्षक .	1	..	..	..
12	मैथिली . . .	..	..	1	..
13	छत्तीसगढ़ी .	..	..	1	..
14	तमिल . . .	175	..	172	2
15	तेलुगु . . .	114	..	151	..
16	कन्नड़ . . .	59	..	53	1
17	मलयालम . .	56	..	71	1
18	थाई . . .	..	..	2	..
19	बंगला . . .	92	5	86	..
20	उड़िया . . .	3	3	7	..
21	फारसी . . .	..	..	..	..
22	कश्मीरी . . .	..	..	..	..
23	नेपाली . . .	2	..	..	..
24	अरबी . . .	..	..	1	..
25	अवाक या केवल संगीत सहित	22	5	30	1
26	असमिया . .	10		12	..
27	तुलु . . .	..	..	2	..

भारत में सीमेंट के चालु कारखाने

6086. **श्री बेकरिया** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में राज्य वार सीमेंट के चालु कारखानों की संख्या क्या है और उनका वार्षिक उत्पादन क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०4722/73]

1972 में बनाई गई फिल्में

6087. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भारत में 1972 के दौरान कितनी फिल्मों का निर्माण हुआ ;

(ख) सेन्सर बोर्ड द्वारा कितनी फिल्में पास की गई ; और

(ग) कितनी फिल्में पास नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 1746।

(ख) 1736।

(ग) दस फिल्मों को प्रमाणपत्र देने से इंकार किया गया, क्योंकि वे सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के विरूद्ध थी या हिंसा के दृश्यों से भरपूर थी।

Views of Members of Parliament on the Programme to create Employment opportunities

6089. **Shri Jagdish Narain Mandal:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether views of Members of Parliament were taken on the programme chalked out for increasing employment opporunities during the next year;

(b) if not, the reasons therefore; and

(c) whether Government propose to give certain quota of jobs and funds to each Member of Parliament for providing employment to the unemployed ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) Hon'ble Members of Parliament are always consulted on all policy matters. Views expressed by the Members at various levels are always borne in mind while formulating the programmes. The schemes on employment are discussed with concerned State Governments and Ministries and they are formulated in accordance with the policies.

(c) No, Sir.

निजाम हैदराबाद की प्राइवेट एस्टेट के कर्मचारियों से अभ्यावेदन

6090. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजाम आफ हैदराबाद प्राइवेट एस्टेट के कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रबंधकों द्वारा उनकी पेन्शन को "खजाना आफ एस्टेट" से एक धमार्थ ट्रस्ट को स्थानान्तरित किया जा रहा है जिससे उन्हें "हुस्ने खिदमत" के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या पेन्शन प्राप्त कर्ताओं को इससे दान पर निर्भर रहना होगा और वे अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे ; और

(ग) क्या सरकार ने पेंशन प्राप्त कर्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) सरकार को "खजाना आफ एस्टेट" के "धमार्थ ट्रस्ट" को हस्तांतरित करने में एस्टेट के प्रबन्धकों के विरुद्ध निजाम की प्राईवेट एस्टेट के पदच्युत

कर्मचारियों तथा पेंशन प्राप्तकर्ताओं की संख्या की ओर से हैदराबाद के भूतपूर्व निज़ाम को सम्बंधित अभ्यावेदन की एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। क्योंकि नियोजन प्राईवेट है, अतः सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा स्थापित करना

6091. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली लोक सभा की अवधि के दौरान गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने और 1943 में स्वतन्त्र भारत सरकार के अध्यक्ष के रूप में अन्दमान सेल्युलर जेल सहित जिसे उन्होने भारत का बस्टाईल कहा था, अन्दमान द्वीपसमूह की उनकी यात्रा की स्मृति में अन्य उपयुक्त उपाय करने का निश्चय किया था ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये कुछ धनराशि भी आवंटित की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उसके पश्चात उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार ने पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाने का निश्चय किया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए 2.479 लाख रूपये की व्यवस्था की गई थी। ललित कला एकादमी, नई दिल्ली से प्रतिमा के लिए एक उपयुक्त ड़िजाइन को अन्तिमरूप देने का अनुरोध किया गया था। पेरिस के पलस्तर में प्रतिमा का स्केल माडल तैयार करने के लिए तीन कलाकारों को 5–5 हजार रुपये देने का भी निर्णय किया गया था।

संसद् सदस्यों के दल द्वारा अंडमान सेल्यूलर जेल का दौरा

6092. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों का एक दल अण्डमान सेल्युलर जेल का दौरा करने और विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा अन्डमान द्वीप समूह में निर्वासित किये गय क्रान्तिकारियों और शहीदों के स्मारक के रूप में सेल्युलर जेल के संरक्षण हेतु उपाय सुझाने के विचार से अन्डमान द्वीपसमूह में भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो दल द्वारा दिये गये सुझावों की रूपरेखा क्या है ?

(ग) क्या सरकार ने संसद सदस्यों के दल द्वारा दिये गये सुझावों की जांच कर ली है और उन्हें स्वीकर कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन सुझावों के कार्यान्वियन के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

20 से 28 अक्तूबर, 1969 तक की अवधि में 12 संसद सदस्यों के दल द्वारा अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह के दौरे का प्रबंध इच्छुक संसद सदस्यों के एक दल को पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल को देखने का अवसर देने के उद्देश्य से किया गया था। सेल्यूलर जेल को सुरक्षित रखनें अथवा किसी अन्य मामले पर कोई सुझाव देने का दल से कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया गया था। एक सदस्य ने सेल्यूलर जेल को सुरक्षित रखने तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साथ इन द्वीप समूहों के संबंध को स्मारक का रूप देना और इन द्वीपीय समूहों में बसे विस्थापितों की समस्याओं पर भी विचार करने के लिये अपने सुझावों की मसौदा टिप्पणी भेजी। सदस्य के ऐसे सुझाव पर संसदीय मामलों के विभाग ने कोई अतिरिक्त सुझाव अथवा विकल्प लेने

के लिये, जैसा भी हो "मसौदा" टिप्पणी को दल के अन्य सदस्यों को परिचालित किया। संसदीय मामलों के विभाग ने सूचित किया है कि अब तक केवल चार सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। अन्य सदस्यों से कोई उत्तर नहीं मिला है।

किन्तु यह उल्लेखनीय है कि पोर्ट ब्लेयर में केन्द्रीय मीनार और सेलुलर जेल के वर्तमान तीन खण्डों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने का निश्चय पहले ही कर लिया गया है।

पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति लगाने के लिए भी एक निर्णय किया गया है।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन

6093. **श्री समर गुह :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 के दौरान औद्योगिक उत्पादन संतोषजनक वृद्धि हुई थी और पश्चिम बंगाल में वर्ष 1972-73 के प्रथम भाग में यह गति कायम रही थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उत्पादन की विकास दर क्या थी ;

(ग) कच्चे माल की कमी और अनियमित सप्लाई तथा बिजली संकट का औद्योगिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(घ) औद्योगिक उत्पादन की संतोषजनक विकास दर के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) प० बंगाल में 1970-71 और 1972 की अवधि में कुछ प्रमुख उद्योगों में हुए उत्पादन को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4723/73]

(ख) ठीक ठीक विकास दर कर सुनिश्चय कर सकना सम्भव नहीं है क्योंकि इन उद्योगों का विशेषकर प० बंगाल के उद्योगों का मापक रेखाचित्र अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस्पात की कमी के कारण अनेक उद्योगों के उत्पादन में कमी आई है लेकिन यह अनेक कारणों में से केवल एक कारण रहा है। अनेक एककों पर अन्य कारणों जैसे कार्यशील पूंजी की न्यूनता और अथवा संकटग्रस्त श्रमिक सम्बन्धों का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बिजली में हाल में हुई कटौती के कारण उत्पादन पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) पुन: अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करने में तथा औद्योगिक उत्पादन में प० बंगाल सरकार द्वारा स्वीकार किए गए सोलह सूत्री कार्यक्रम तथा औद्योगिक पुर्नगठन निगम, भारत द्वारा दी गई सुनिश्चित सहायता का विशेष हाथ रहा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा बन्द पड़े अनेक इन्जीनियरी एककों को (उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम) के अधीन अपने हाथ में लिए जाने के फलस्वरूप अनेक एककों को पुर्नजीवित किया गया है।

Proposal for opening D.G.T.D. Branches in Bihar

6094. **Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether D.G.T.D. has no offices in the main steel producing State of Bihar; and

(b) if so, the reasons therefor and when its offices are likely to be opened in the said State ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri. C. Subramaniam) : (a) There are no offices of the D.G.T.D. in the State of Bihar or in any other State.

(b) As the functions of the D.G.T.D. are mainly advisory and developmental and cover the entire industrial field, necessity for regional offices have not been felt.

Shortage of Cement in Delhi

6095. Shri Shivkumar Shastri : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statement made by the Executive Councillor Shri O. P. Bahal, published in the Hindustan (Hindi) dated the 7th March, 1973 to the effect that even half of the demand of cement in Delhi could not be met from the supply received during the preceding month;

(b) whether it has adversely affected the public life; and

(c) if so, the steps being taken by Government to ensure full supply of cement ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). There is at present a shortage in the availability of cement due to loss of production as a result of:

(a) General labour strike from the 17th August, 1972 to 29th August, 1972;

(b) The power cuts imposed by the State Electricity Boards in Haryana, Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, Mysore, Uttar Pradesh and Rajasthan;

(c) Mechanical break-down and the disturbed conditions in Andhra Pradesh which have affected the movement.

The expected loss of production on account of all these factors is about 4 lakhs tonnes per month.

So far as Delhi region is concerned, the despatches to Delhi have steadily been increasing from year to year since 1965 but the demand has grown at a faster pace. The supply position in Delhi suffered a set back for the reasons indicated above. Whenever scarcity conditions are reported special programmes are drawn up in consultation with the Railways for rushing supplies in rake loads. In order to meet the immediate requirements of Delhi, an additional quantity of 10,000 tonnes of cement was despatched to Delhi by the 13th March, 1973 and has since arrived. To ensure equitable supply, the Delhi Administration have also issued an order under the Essential Commodities Act on the 12th July, 1972 by which they control the actual sale of cement by each stockist.

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए योजना

6096. श्री प्रताप सिंह : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1973–74 में राज्य में लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास के संबंध में कोई योजना प्रस्तुत की है,

(ख) यदि हाँ, तो योजना की रुपरेखा क्या है और इसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश की 1973–74 के बड़ें, मध्यम और लघु उद्योगों के विकास की वार्षिक योजना के प्रस्तावों पर योजना आयोग में विचार हुआ था। लघु क्षेत्र की योजनाओं में राज्य सहायता उद्योग अधिनियम के अधीन सहायता तथा अन्य राज्य वित्तीय संस्थानों जैसे राज्य लघु उद्योग विकास निगम, औद्योगिक सहकारी समितियां और औद्योगिक बस्तियाँ आदि से ऋण दिया जाना शामिल है। बड़े और मध्यम उद्योगों की योजनाओं में नहान कारखाने का आधुनिकीकरण और विस्तार, हिमचल प्रदेश द्वारा नई परियोजनाएं हाथ में लिया जाना, खनन और औद्योगिक विकास निगम, एक सीमेंट कारखाने की स्थापना, दानेदार उर्वरक कारखाना, तकली-एकक परियोजना ऊनी, वस्त्र कारखाना और शराब निकालने के कारखाने आदि शामिल हैं।

लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु दिये जाने वाले प्रोत्साहनों में राज्य सहायता उद्योग अधिनियम के अधीन उदार रूप से ऋण देना, उधार देन वाले संस्थानों से रियायती ब्याज दर पर ऋण तथा इसी प्रकार के प्रोत्साहन बड़े और मध्यम उद्योगों को दिये जाते है। इसके अतिरिक्त राज्य के चुने हुये जिलों में औद्योगिक एककों के पूंजी निवेश पर 10 प्रतिशत की केन्द्रीय राज सहायता दी जाती है।

वर्ष 1973-74 के लिये योजना आयोग ने बड़े और मध्यक उद्योगों तता ग्रामीण लघु उद्योगों के लिए निम्नलिखित परिव्यय की स्वीकृति दी है :–

(रुपये लाख में)

बड़े और मध्यम उद्योग	ग्रामीण और लघु उद्योग
95	61

हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

6097. **श्री प्रताप सिंह** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में 1973–74 में सरकारी क्षेत्र में कुछ कारखाने स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) पोंटा (हिमाचल प्रदेश) में सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया का 1,178 लाख रुपये की अनुमानित लागत से प्रतिवर्ष 2 लाख मी० टन की क्षमता वाला सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस पर प्रारम्भिक कार्यवाही वर्ष 1973–74 में की जायेगी। वास्तविक उत्पादन चार से पाँच वर्ष के अवधि में होना प्रारम्भ होगा।

Dharna by Jan Sangh people in front of the residence of Prime Minister

6098. **Shri Hukum Chand Kachhwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Bhartiya Jan Sangha people of Delhi had staged a dharna in front of the residence of the Prime Minister in Delhi in January, 1973;

(b) if so the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) Some workers of the Delhi Pradesh Jan Sangh staged a 'dharna' outside the Prime Minister's residence on 14th January 1973. The dharna was against the rise in prices and the non-availability of certain essential commodities through fair-price shops. The Jan Sangh workers also presented a memorandum on the subject. A copy of the memorandum was forwarded to the Department of Internal Trade (now under the Ministry of Commerce).

डा० मेहताब और श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध जाँच

6099. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने डा० मेहताब और श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध कुछ आरोपों की जाँच के लिये अब तक तीन जाँच आयोग नियुक्त किये हैं, अर्थात् सरजू प्रसाद आयोग, मधोलकर आयोग और खन्ना आयोग;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने उक्त आयोगों के निष्कर्षों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार उन्हें कार्यान्वित करने के लिये अब तत्काल कार्यवाही करने की सोच रही है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा खन्ना जांच आयोग को, श्री बीजु पटनायक तथा अन्य के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए, वर्ष 1967 में नियुक्त किया गया था। जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत कोई भी जांच आयोग श्री जे० आर० मधोलकर के अधीन नियुक्त नहीं किया गया था उन्हें राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में समाविष्ट आरोपों की केवल प्रारम्भिक जांच करने के लिए अनुरोध किया गया था। श्री मधोलकर की सिफारिशों के आधार पर डा० एच० के० मेहताब के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा वर्ष 1971 में सरजू प्रसाद आयोग की नियुक्ति की गई थी।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय जाँच ब्यूरो डा० एच० के० मेहताब के विरुद्ध प्रत्यक्षतः उन आरोपों की जांच हाथ में ले रहा है जो सरजूप्रसाद आयोग की रिपोर्ट में प्रमाणित किए गए हैं, और जो किसी प्रज्ञेय अपराध का होना निर्दिष्ट करते है।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम में संशोधन के बारे में उच्चतम न्यायालय के समक्ष महान्यायवादी के वक्तव्य से सम्बन्धित समाचार के बारे में

RE. : REPORTED STATEMENT OF ATTORNEY GENERAL BEFORE SUPREME COURT ABOUT AMENDING MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY ACT

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर पहले चर्चा की जा चुकी है। समाचार पत्रों में जिस ढंग से यह समाचार प्रकाशित हुआ था, उसी को आधार मानकर इस विषय पर चर्चा की गई थी।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : दो वकीलों ने आपको एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि महान्यायवादी ने न्यायालय में कहा है कि "यदि श्रीमन आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम की धारा 17क को रद्द कर देते हैं, तो केवल पश्चिम बंगाल में ही सरकार को 5000 नज़रबन्दियों को तुरन्त रिहा करना पड़ेगा और इससे सरकार के लिये गम्भीर कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी" और कि "सरकार को प्रस्तुत किये गये तर्कों को देखते हुए दस दिन के भीतर इस कानून का संशोधन करना पड़ेगा।" यह अन्तर है क्योंकि श्री गोखले ने स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए स्पष्ट रूप से इस बात से इन्कार किया था कि महान्यायवादी ने, यह बात निश्चित समझते हुए कि सरकार स्थिति को अनुकूल बनाने के लिये आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम का संशोधन कर देगी और इस लिये उन्होंने सभा को गुमराह किया है। अत: यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजने के लिये बिल्कुल उपयुक्त है जिससे श्री गोखले, महान्यायवादी और विरोधी पक्ष के दो वकीलों के तर्कों को एक साथ सुना जा सके और सभा को ठीक जानकारी मिल सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : दो वकीलों ने अब जो वक्तव्य दिया है उसको देखते हुए श्री गोखले द्वारा स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में दिया गया वक्तव्य भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। दोनों वकीलों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा है कि समाचार-पत्रों में तोड़मरोड़ कर समाचार नहीं दिया गया है और श्री निरेन डे ने वास्तव में कहा था "हम दस दिन के भीतर विधि में संशोधन करवा लेंगे।" उनका कहना है कि उन्होंने आप को भी एक पत्र लिखा है। यह एक गम्भीर मामला है क्योंकि इस का प्रभाव बहुत से नागरिकों की स्वतंत्रता पर पड़ता है। अत: सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिये। यदि वकील ग़लत बात कह रहे है तो उन्हें उसके परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहना चाहिये और यदि मंत्री महोदय ने झूठ बोला है और सभा को गुमराह किया है तो उन्हें भी उसके परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहना चाहिये। सच्चाई का पता लगाने के लिये यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंत्री महोदय ने श्री निरेन डे द्वारा दिया गया एक टिप्पण सभा-पटल पर रखा था उसके जवाब में प्रो० मुखर्जी ने भी एक वक्तव्य दिया था। फिर विरोधी पक्ष के दो वकीलों ने भी अपनी बात कही है। इन दोनों को इस सभा के न्यायालय में बुलाया जाना चाहिय। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो यह समस्त मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिये और वह सभी साक्षों की जांच करके सभा को बताये कि वास्तविक स्थिति क्या है।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : We had discussed on the other day whether anybody can take the Parliament for granted and two lawyers of the Supreme Court have now contradicted the statement made by the honble Minister and a letter has been addressed to you to that effect. In view of this it is clear that the hon'ble Minister has not given the correct information to this House. Therefore it should be referred to the committee of privileges.

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बेतूल) : महान्यायवादी ने एक रिपोर्ट लिखित में भेजी थी और विधि मंत्री ने उसी के आधार पर सभा में वक्तव्य दिया था। यदि हम वकीलों के कथन को स्वीकार करते है तो आप कल्पना कीजिये कि इस देश की क्या स्थिति होगी? कोई भी व्यक्ति वक्तव्य दे सकता है और सरकार के विचारों अथवा इस सभा के सदस्य द्वारा या मंत्री द्वारा कही गई बात का खंडन कर सकता है। यदि हम ऐसे मामलों को ले कर यहां पर चर्चा आरम्भ कर दें और फिर विशेषाधिकार समिति को भेजने लगें तो यह बहुत ही खराब दृष्टांत होगा (व्यवधान)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : माननीय सदस्य की यह बात बहुत ही आपत्तिजनक है कि क्योंकि कोई व्यक्ति भारत सरकार का वेतनभोगी कर्मचारी है और क्योंकि वह इस सभा का सदस्य है और किसी प्रकार विधि मंत्री बना गया है तो उसके वक्तव्य को देश के एक सम्मानित नागरिक के वक्तव्य से अधिक महत्व दिया जाये जो उस प्रकार अपने कमी का भुगतान करता है जिस प्रकार अन्य लोग करते हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगु सराय) : अध्यक्ष महोदय का यह विचार है कि इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा की जा चुकी है और इस लिये अब इस मामले से सम्बन्धित विशेषाधिकार पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह बात ठीक नहीं है क्योंकि उस समय हमने विशेषाधिकार प्रस्ताव पर इस लिये जोर नहीं दिया था क्योंकि स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी नियमों में लिखा है कि यदि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है तब उसी के साथ साथ विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती। उस चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया था कि इसमें विशेषाधिकार और सभा के अवमान के मामले अन्तर्गस्त हैं। उस दिन नियमों के कारण विशेषाधिकार का मामला नहीं उठाया गया। अब स्थिति अधिक स्पष्ट है और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों ने भी बताया है कि न्यायालय को आश्वासन दिया गया था। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब हमारे सामने तीन चीजें हैं (1) समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट, (2) महान्यायवादी का टिप्पण और (3) दो वकीलों के विचार जो सर्वोच्च न्यायालय में पेश हुए थे। अब मैं अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं कि सच्चाई का कैसे पता लगाया जा सकता है? मेरे विचार में इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजकर ही सच्चाई का पता लगाया जा सकता है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं यह बताना चाहता हूं कि स्थगत प्रस्ताव पर चर्चा ौर उसको रद्द किये जाने के बाद नई बातों का पता चला है। नज़रबन्द व्यक्तियों के दो वकीलों ने एक वक्तव्य दिया है और उनका कहना है कि उन्होंने उसकी एक प्रति अध्यक्ष महोदय को भी भेजी है ताकि वह उसपर संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से विचार करें। यदि आपने नज़रबन्द व्यक्तियों के दो वकीलों के कथन की अपेक्षा महान्यायवादी के विवरण को अधिक महत्व दिया तो बहुत ही खराब दृष्टांत बन जायेगा। इन दो वकीलों को राजनीतिक व्यक्ति बताना अनुचित होगा। उन्होंने इस वक्तव्य के माध्यम से आपसे अपील की है। इस लिये यह विशेषाधिकार का उपयुक्त मामला है और विशषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : दो वकीलों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि श्री निरेन डे ने 30 मार्च को न्यायालय में कहा था कि उन तर्कों को ध्यान में रखते हुए सरकार 10 दिन की अवधि में कानून में संशोधन करवा लेगी। अतः यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजने के लिये बिल्कुल उपयुक्त है।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : जिस प्रस्ताव के बारे में अब सूचना दी गई है उसमें कोई नई बात नहीं कही गई है। वकीलों ने जो कुछ कहा है वह समाचार-पत्रों में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। फिर स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस मामले पर वाद-विवाद हो चुका है। एक ही सत्र में एक ही विषय पर दूसरा प्रस्ताव नहीं पेश किया जा सकता। यद्यपि अब विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी गई है तथापि तथ्य वही हैं। नियम 338 के अधीन इस मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री समर गुह (कंटाई) : समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार श्री गुपतू और श्री गर्ग ने अ पकोपत्र ही नहीं लिखा बल्कि उन्होंने समाचारपत्रों के लिये एक वक्तव्य भी जारी किया है जिसमें विधि मंत्री और महान्यायवादी द्वारा दिये गये वक्तव्य का खण्डन भी किया गया है।

मैं सर्वप्रथम यह जानना चाहता हूं कि क्या उपरोक्त दो वकीलों ने आपको कोई पत्र लिखा है? क्या इस बात का सत्यापन करना सम्भव है कि महान्यायवादी ने सर्वोच्च न्यायालय में क्या कहा था? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या विधि मंत्री की यह बात ठीक है या दो वकीलों का कथन सही है? इसका सत्यापन सर्वोच्च-न्यायलय के रिकार्ड से किया जा सकता है।

श्री राम सहाय पांडे (राज नंदगांव) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आप का विनिर्णय चाहता हूँ कि क्या हम संसद के बाहर दिये गये वक्तव्य को ठीक समझे या इस सभा में विधि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को ठीक समझे?

श्री ए० क० एम० इसहाक (बसिरहाट) : कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि संसद को सच्चाई का पता लगाना चाहिये। मेरे विचार में यह काम न्यायालय का है, संसद का नहीं।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : जब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी तब भी यह मामला उठाया गया था। इसमें सर्वोच्य न्यायालय में श्री निरेन डे द्वारा दिये गये वक्तव्य का मामला है और इसपर चर्चा की जा चुकी है। अतः इस पर दोबारा चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सभा में जब कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही थी और मंत्री महोदय ने उनको चुनौती दी थी तब उस सदस्य विशेष के विरुद्ध इसलिये विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया गया था क्योंकि इस सभा में मंत्री महोदय के विरुद्ध गलत आरोप लगाये गये थे। मैं वह घटना बता सकता हूं। प्रस्तुत मामले में विधि मंत्री के वक्तव्य और दोनों वकीलों के विचार पढ़ कर (व्यवधान) यदि विधि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव नही लाया जा सकता तो श्री गर्ग और श्री गुप्त के विरुद्ध सभा की कार्यवाही को तोड़मरोड़ कर पेश करने के आरोप में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि मैं इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत करूं तो क्या आप श्री गर्ग को यहां पर बुलायेंगे ताकि वह अपनी बात को स्वयं स्पष्ट कर सकें? मेरे विचार में इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास अवश्य भेजा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपने समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर चार प्रकार के प्रस्ताव भेजे थे। उस समय मैंने पूछा था कि आप किस प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं? तब आपने कहा कि आप स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं। नियमों में इस बात की व्यवस्था है कि स्थगन प्रस्ताव को लेकर विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं उठाया जा सकता। आपने कहा कि आप स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते है। अतः इस मामले पर तीन घण्टे तक चर्चा हुई और सभा ने अपना निर्णय बता दिया।

आज मुझे दो सम्मानित वकीलों से पत्र मिला है। उनकी बात समाचार-पत्रों पर आधारित है। महान्यायवादी के कथन का उल्लेख करने के बाद उन्होंने यह लिखा है :

> "इस टिप्पण में समाचार पत्रों में प्रकाशित बातें ठीक हैं और समाचार पत्रों में महान्यायवादी द्वारा कही गई जिन बातों का उल्लेख है, वे बिल्कुल ठीक है"

अब जिस प्रस्ताव की मैंने अनुमति दी थी वह समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पर आधारित था। ये दोनों वकील भी यहीं बात कह रहे है कि उसमें उल्लिखित बात ठीक है। यह बात नहीं है कि वकील ठीक हैं या गलत है या महान्यायवादी ठीक है या गलत है। इस विषय पर तीन घण्टे तक चर्चा की जा चुकी है। सभा ने अपना निर्णय बता दिया है। अब उसी प्रकार के मामले पर किस अन्य रूप में पुनः चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 257 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 277 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 278 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 279 में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 280 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4707/73]

यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, जादूगुड़ा के कार्य की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादूगुड़ा, के वर्ष 1971–72 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादूगुड़ा, का वर्ष 1971–72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4708/73]

सदस्यों द्वारा उठाये गये विविध मामले

MISCELLANEOUS ISSUES RAISED BY MEMBERS

श्री पीलू मोदी: अध्यक्ष महोदय जहां तक स्थगन प्रस्ताव का संबंध है मैं मानता हूं कि, उसका विवरण ठीक प्रकार से ही हुआ है। परन्तु इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंत्री महोदय द्वारा जो कहीं गई बातों का पता लगना चाहिये की उन्होंने सच कहा अथवा गलत कहा।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : I want to draw the attention of the Minister to the strike by 15 thousand workers in Dalmianagar. This strike is going on since 27th. I would request the hon'ble Minister to intervene in the matter in order to get the strike called off and I also make a statement in the House.

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : 2 अप्रैल, 1973 को भिलाई इस्पात संयंत्र के 15,000 कर्मचारियों पर प्रदर्शन करते हुए पुलिस ने अश्रुगैस छोड़ी तथा लाठियां चलायीं। प्रदर्शन शांतिपूव था। इस लाठीचार्ज के दौरान असंख्य कर्मचारी जख्मी हुये। कर्मचारियों को मंत्री के सामने अपनी मांगे रखने का पूरा अधिकार है। अत: मैं इस शून्यकाल में इस मामले को उठाना चाहता हूँ।

श्री समर गुह (कंटाई) : कर्मचारियो को मंत्री महोदय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर उपस्थित होने का पूरा अधिकार है और समाचार में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इस बात का पता चलता हो कि श्रमिको ने किसी अप्रिय घटना में हिस्सा लिया हो। इसके बावजूद भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा अश्रुगैस छोड़ा। यह एक ऐसा मामला है जिससे यह सभा चिंतित है और मैं भी चहाता हूँ कि इस्पात और खान मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhadev Prasad) : We are collecting information and afterwards will make a statement.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : It is reported that 13 poles and 4 spans of the bridge over the Chambal river on Bombay—Agra National Highway have fallen, I would like the hon. minister to make a statement on this subject.

Minister of Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : There is no question of Carelessness. I had stated on 1st March that the foundations of 17 poles of the bridge have sunk. On 3rd April we received a report that 4 spans of the cracked portion have fallen. The incident took place during the night and there was no casualty.

We restored the traffic. We are also making arrangements for its repairs. We enquired into its causes and it was found that there was crack on the rock below. It can also be due to sinking of the rock.

अनुदानों की मांगें, 1973-74

DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74

भारी उद्योग मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य समयसीमा का ध्यान रखेंगे।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : पुराने घाटे को पूरा करने तथा क्षमता बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी इस नये मंत्रालय को सौंपी गयी है। इसके अन्तर्गत आने वाले सभी विषय महत्वपूर्ण है जिनमें से उर्वरक तेल शोधक, भारी रसायन संयंत्र, अलोह धातु, बेलन मिलस रेलवे लोकोमोटिव, सीमेंट के संयंत्र, वस्त्र मशीनरी आदि आदि। इन सबके लिये अभी देश में तकनीकी ज्ञान पैदा करना है।

[श्री डी० डी० देसाई]

हमारी बढ़ी हुई औद्योगिक गति क बावजूद भी मशीनों का आयात कम हुआ है। यदि ऐसा न किया जाता तो विदेशी मुद्रा में काफी बचत होती। इस परदेश में व्याप्त बिजली की कमी का आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा है। सरकार को बिजली उत्पन्न करने वाले अधिक यंत्रों का आयात करना चाहिये ताकि अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सक।

गैर-सरकारी क्षेत्र बिजली की 30 लाख किलोवाट का वार्षिक उत्पादन करने के लिए तैयार है। गैर-सरकारी क्षेत्र का बिजली उद्योग बिजली के पारेषण और वितरण का पूरी तरह प्रबन्ध कर रहा है और 30 लाख किलोवाट के लिए बिजली आयोग उपकरण के बावजूद हमारी बिजली उत्पादन करने की क्षमता बहुत ही कम है। अतः हमें मंत्रालय को इस कठिनाई को दूर करने में सहायता देनी चाहिए।

भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार चौथी योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य 350 लाख किलोवाट का है। किन्तु कल सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा जो आंकड़े दिये गये है उसके अनु-सार 1981 के अंत तक यह 520 किलोवाट हो जायेगी। इनका आपस में स्पष्ट रूप से काफी अंतर है। किसी भी तरह यह मंत्रालय 350 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन करने के लिये उपकरण की सप्लाई करने में समर्थ नहीं हो पायेगा अतः इस कमी को दूर करने हेतु यह मंत्रालय बिजली उपलब्ध करने के लिये कुछ अपने प्रबन्ध कर सकता है। देश के भीतर हम पाँच हजार रुपये से लेकर छः हजार रुपये के बीच प्रति टन की दर से उत्पादन करने में समर्थ हैं। सब से अधिक लौह अयस्क के भंडार होते हुये इसकी देश में बनी मशीनों और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिये मशीनों की सप्लाई करने के लिये इसकी निर्माण क्षमता से यह देश पूरी तरह इस स्थिति का लाभ उठाकर अपने निर्यात में वृद्धि कर सकता है।

औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया है कि कुछ कारखाने कठिन स्थिति से निकल चुके हैं और वे अब लाभ अर्जित करने लगे हैं क्योंकि सरकार ने उच्च प्रबन्धकों को बदल दिया है। उससे इस बात का पता लगता है कि एक व्यक्ति की पहल शक्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः मंत्री महोदय को सुनिश्चित करना चाहिए कि एक व्यक्ति की पहल शक्ति को देश के लिए अधिकतम लाभ का उपयोग किया जाये।

परिवहन, ओटोमोबाइल, नौवहन और कुछ अन्य क्षेत्रों में हमें काफी काम करना है। हम अभी भी 10,20 और 30 हजार टन की छोटी नावें बना रहे हैं जबकि जापान जैसा छोटा देश 10 लाख टन के जहाज अथवा टैंकर बना रहे हैं। इतनी बड़ी तटीय क्षेत्र रेखा के होते हुए छिद्रण क लिए सर्वोत्तम सुविधाओं क होते हुए और गहन सागर पत्तनों के होते हुए हम क्यों नौवहन मिटरी टन की इतनी भारी मात्रा में प्रतिवर्ष आयात करें जबकि हम प्लेटों को अपने ही देश में आसानी से खरीद और बना सकते हैं और इस प्रकार रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं? अतः मंत्री महोदय को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के हेतु पोतों के निर्माण करने के लिए कम से कम छः पोत निर्माण कारखानों की स्थापना करनी चाहिये।

श्री वी० मायावन (चिदाम्बरम) : रिपोर्ट के अनुसार अक्तूबर 1972 के अंत में, आगामी पांच वर्षों के दौरान भिन्न भिन्न मात्रा के क्रयादेशों के साथ क्रयादेशों का कुल मूल्य लगभग 222 करोड़ रुपये का है। हम जानना चाहत है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स को कब ये क्रयादेश दिये गये और इनकी निर्धारित तिथियां क्या है। यह लाभ अर्जित करने अथवा हानि उठाने का प्रश्न नहीं है, अपितु यह दृढ व्यापार प्रबन्ध का प्रश्न है, कितनी बार हैवी इलैक्ट्रिकल्स ने निर्धारित तिथियों को स्थगित किय जाने के लिए प्रार्थना की है।

प्रतिवेदन के अनसार आयातित पुर्जों के मिलने में दरी होने और देशीय कास्टिन्गस के दर्जे में विश्वास न होने के कारण हरिद्वार में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट संयंत्र के उत्पादन में कमी होने की सम्भावना है। हम जानना चाहत हैं कि अविश्वसनीय कास्टिंगस देने के लिये सप्लाई करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है।

जहां तक एच० एम० टी० का संबंध है, अब तक यह बहुत ही अच्छा कार्य करने वाला कारखाना रहा है। किंतु 1972–73 के दौरान यह बार बार श्रमिक अशांति से प्रभावित होता जा रहा है। मंत्री महोदय को चाहिये कि वह सभा को सूचित कर कि एच० एम० टी० में श्रमिक विवादों को हल करन के लिए क्या पग उठाये गय हैं।

प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि हमारा देश विकासशील दूसरे देशों को अपेक्षित मात्रा में क्रेन और मालडिब्बों की सप्लाई करने की स्थिति में है। भारत सरकार की एक शाखा का दावा कितना खोखला है और जो इस बात से सिद्ध होता है कि जिस आध–मन से जेसप एंड कम्पनी और ब्रैकवेट एण्ड कम्पनी को जो अब सरकार के अधीन है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

हैवी मशिन टूल्स संयंत्र के उत्पादन में काफी कमी हुई है। देश के तकनीकी युवकों में बेरोजगारी व्याप्त है।

भारी इंजीनियरी निगम कर्मचारियों के साथ पक्षपात करते हैं। यदि सरकारी क्षेत्रों में ऐसा चलता रहा है तो निश्चय ही वे घाटे में चलेंगे।

कार के किस्म में निरंतर गिरावट आ रही है। इस उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

Dr. Govind Das Richhariya (Jhansi) : I support the demands of Ministry of Heavy Ministry. The role of heavy industry in the development of a nation is very important. Preference should be given to the backward states or areas while formulating schemes for setting up heavy industries. The per capita income of Uttar Pradesh has gradually been declining even after Four Five year Plans. Special attention needs to be paid to Uttar Pradesh during 5th Five year Plan in the matter of heavy industries. In addition to this attention should also be paid to the backward areas as a state while allocating heavy industries. The Bundelkhand areas, Hill and Eastern Districts are the areas in Uttar Pradesh which are lacking in heavy industries, Jhansi Division of Bundelkhand is very rich in mineral deposits.

The work of power generation should be taken on war footing. There should be workers active participations in the administration and pofits of heavy industry.

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : मैं भारी उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय को भारी उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना है ताकि हम कह सकें कि हमें इन उपक्रमों पर गर्व है। विभिन्न प्रकार क भारी उद्योगों को अब एक ही मंत्रालय के अन्तर्गत लाया गया है।

हमें इस बात को देखना है कि क्या कोई विशेष उद्योग लाभ पर चल रहा है और देश की आय बढ़ाने में योग दे रहा है? मुझे खद के साथ कहना पड़ता है कि हम किसी भी उद्योग के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि वे लाभ में चल रहे हैं। मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सभी कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त करके उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा किया जाये। उन्हें इस बात की भी जांच करनी चाहिये कि अब तक निर्धारित लक्ष्य क्यों नहीं पूरे किये जा सके अब ऐसा न हीं होना चाहिये।

[डा० कैलास]

आज कोई भी भारी उद्योग किसी क्रयादेश के अनुसार समय पर क्रय की वस्तुएँ नहीं प्रदान कर सकता। यह दुर्भाग्य की बात है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने संविदा में निर्धारित अन्तिम तिथि तक संविदा प्राप्त मशीनों का वितरण न करने से अनेक सरकारी उपक्रमों के कार्य को ठप्प कर दिया है। इसी कारण तेल की खोज और बिजली उत्पादन करने की कार्य में आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया को रोका है। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके अधीन उद्योग वितरण संबंधी अनुसूची का पालन करें क्योंकि हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा बदरपुर तापीय बिजली घर को रिएक्टर की सप्लाई न किए जाने के कारण उस बिजली घर में भी बिजली उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है।

मैं सरकार के इस निर्णय पर उसे बधाई देता हूं कि उसने 31-3-73 तक के नकद घाटों कर तीन वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण माना है और तीन वर्ष की अवधि के लिए एकत्रित हुए नकद घाटों को पुरा करने के लिए ऋणों की अदायगी की छूट दे दी है इस निर्णय से प्रबन्धको और श्रमिकों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। हरिद्वार स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल्स के इक्विपमैन्ट प्लांट कहीं अच्छा कार्य कर रहा है।

कहा गया है कि फाऊंड्री फोर्ज कारखाने की स्थापना करने सम्बन्धी निर्णय लेने में पिछले पांच वर्षों से विलम्ब हो रहा है इस कारखाने को सरकारी क्षेत्र में दक्षिण में लगाकर 2000 मील की दूरी पर आप उत्तर में कार्य नही चला सकते। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति इस बात पर सर्व सम्मति से सहमत है कि यह कारखाना हरिद्वार में स्थापित किया जाए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि एच० एम० टी० का अपना एक फाऊण्ड्री फोर्ज संयंत्र होना चाहिए। यह पता लगा है कि मशीनें और युनिवर्सल लथ मशीनें एच० एम० टी० द्वारा बडे उद्योग गृहों के लिये बनाई जाती है किन्तु उन्होने इन मशीनों को वहां से उठाया नहीं है। इन सब बडे उद्योग गृहों ने यह कारण बताया है कि उन्हे आई० डी० बी० या एन० डी० आई० जी० से ऋण नही मिलता है और इसलिए वे भूगतान नहीं कर सके और माल नहीं छुडा सके। वहां 6 करोड रुपये की लागत की मशीने बनी पडी है। उन्हें उठाया जाना चाहिए और मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे विचार में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा है। इस बात उपक्रम में बम्बई में एक तीन सौ मीटर लम्बा टी० वी० टावर का निर्माण किया है। जिसमें 8 महीने लगे हैं। श्रीनगर में उस के द्वारा बनाया स्तम्भ गिर गया है जिस के फलस्वरुप वहां दूर दर्शन केन्द्र बन्द करना पड़ा है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए की यह स्तम्भ कैसे गिरा।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Sir, Butler Engineering Company, Muzaffarpur and Britania Engineering Co., Mokameh these two factories have been closed down for a very long time. These are Railway wagon manufacturing factories. There is acute shortage of Railway Wagons in the Country. Even the workers have been rendered unemployed with closure of these factories. These factories should be taken over by the Government immeaiately. Any delay in taking over them will caused great difficulties to the workers there. Thorough investigations should be made into the bungling done by the managaing agents of these companies and appropriate action should be taken against the defaulters. The hon. Minister should state here when these two companies will be taken over by Government and when the production is likely to start; so that the workers rendered unemployed may return o their duties and their arrears of salaries are paid to them.

भारी उद्योग मंत्री (श्री० टी० ए० पाई) : सरकारी क्षेत्र की एककों के कार्यकरण के वर्ष में चर्चा करते हुए धन के रूप में इनके लाभ और हानि के बारे में जोर दिया गया है वह देश के लिए बहुत अधिक महत्व की बात नहीं है। वास्तव में मता उत्पन्न करने के समय इस को उपयोग में लाने में हम असफल इसलिए रहे है कि हमने इस क्षमता के उपयोग पर

अधिक जोर नहीं दिया है। यह क्षमता कुछ लक्ष्यों को सामने रखकर उत्पन्न की गई थी क्योंकि गैर सरकारी क्षेत्र इस को नहीं कर सकते थे। इसलिए इस क्षमता के उत्पन्न करने का उद्देश्य था कि ेश को आत्मनिर्भर बानाया जाए और विदशों के पर निर्भर रहना समाप्त किया जाए। इसलिए इस मंत्रालय का पहला कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि यह क्षमता पूर्ण रूप से उपयोग में क्यों नहीं लाई गई। क्योंकि इससे न केवल ाटा ही पूरा होता अपितु अन्य सरकारी उपक्रमों को भी हम माल दे सकते है और उनकी लागत कम हो जाती है।

प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संसद द्वारा आलोचना किए जाने से वे लोग घबराहट में अच्छी तरह कार्य नहीं करते हैं और ठीक निर्णय नहीं ले पाते है। इसलिए मैंने उनसे कह दिया है कि वे इस प्रकार की आलोचना की परवाह न करें क्योंकि किसी भी एकक की असफलता के लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूँ और इनकी सफलता का क्षेत्र उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वहां कार्य करते हैं। किन्तु इस आश्वासन से उन्हें यह बहाना नहीं बनाना चाहिए कि क्योंकि संसद् में उनकी आलोचना होन से वे कार्य नहीं कर पात हैं और उनको असफलता मिलती है।

यदि कच्चे माल की कमी के कारण उन्हें कठिनाई होती है तो इसके लिए दोषपूर्ण योजना जिम्मेदार है और हमें इसमें सुधार करना होगा।

जहां तक श्रम-संबंधों का प्रश्न है यह आश्चर्य की बात है कि देश में दो प्रकार की सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं ह। एक तो वे जिन्हें हमने गैर-सरकारी क्षेत्र से अपने हाथों में लिया है, और दूसरी वे जिनकी स्थापना सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कारणों से की है। अत: इन दोनों प्रकार के उपक्रमों में कार्य करन वाले लोगों की प्रवृत्ति भिन्न नहीं है। देश की समस्याओं को सुलझाने और लोगों की आशाओं को बढ़ाने के लिए इन दोनों प्रकार की उपक्रमों के उद्देश्य भी समान ही होने चाहिए। प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच आपसी वार्ता हो और इन उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सभी का पारस्परिक सहयोग और कार्य आवश्यक है। श्रमिकों को प्रबन्ध कार्य में भाग लेने की अनुमति देना उनके लिए कोई रियायत नहीं है। वह तो उसका अधिकार है और उसे कार्य प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि प्रबन्धकों का। सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध से भिन्न नहीं है। मानव संबंध औद्योगिक संबंधों से कही अधिक महत्वपूण है।

मुझे पता है कि सरकारी क्षेत्र में अनेक संघ है जो आपस में लड़ते रहते हैं। किन्तु यदि जब कानून या सरकार किसी संघ को बहुमत वाला संघ घोषित करता है तो हमारे सामने बहुत समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। इस संबंध में हमें सुझाव दिया जाता है कि इस समस्या का हल करने के लिए क्यों न मतदान कराया जाए। किन्तु दूसरा वर्ग कहता है कि हम कर्मचारियों का संघ बनाना चाहत है। राजनीतिक संगठन नहीं बनाना चाहते हैं और इसलिए मतदान का सहारा नहीं लेना चाहिए और केवल उस संघ की सदस्यता का ही सहारा लेना चाहिए। फिर भी मैं अपने अधीन सब एककों को अनुदेश दने जा रहा हूँ कि यदि कोई श्रमिक अपना सदस्यता शुल्क घटाना चाहे और किसी संघ को देना चाहे तो हम यह कार्य करने के लिए तैयार है जिससे हमें यह पता लगे कि कौन किस संघ का सदस्य है। कार्मिक संघ आन्दोलन जम चुका है। श्रमिक को नियोजक के साथ समानता के आधार पर द्विपक्षीय स्तर पर बात चीत करने का अधिकार ाप्त है। यदि देश में हड़ताल के कार ण उत्पादन बन्द हुआ, तो इससे देश में गरीब बढ़ेगी ही। अत: श्रमिक नेताओं की कोई ऐसा तंत्र स्थापित करने के लिए हमारा सहयोग करना चाहिये जिससे श्रमिकों के साथ होने वाला अन्याय दूर किया जा सके इससे उन्हें प्रत्येक स्तर पर प्रबन्ध में भाग लेने का अवसर दिया जा सके। किन्तु, समस्या यह है कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए जिससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सफल सिद्ध हो सके।

[श्री टी० ए० पाई]

एक सरकारी क्षेत्र के एकक के संघ के सदस्यो ने बतया कि उनके उपक्रम में $5\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है वे चाहते है कि इसके प्रबन्ध के विरुद्ध जांच की जाए। किन्तु, श्रमिकों का इस बात पर जोर देना प्रबन्धको को बुरा लगा है। किन्तु श्रमिकों को प्रबंध संबंधी सारी जानकारी दी जाएगी जिससे श्रमिकों को पता लग सके कि वहां घाटा क्यो हुआ है। इसका निष्कर्ष यह है कि यदि श्रमिकों ने सहयोग दिया होता तो वहाँ घाटा न होता। अतः किसी एकक की प्रबन्ध संबंधी सारी जानकारी वहां कार्य करने वाले श्रमिकों को भी दी जाएगी और उन्हें कारण भी बताएं जायेंगे। और घाटे को पूरा करने के उपाय भी बताए जायेंगे।

रांची स्थित हैवी इंजी नियरिंग कारपोरेशन को इस वर्ष 14 करोड़ रुपये का घाटा होगा। इस कारखाने को पोषक संयंत्र के रूप में बनाया गया था ताकि न केवल इस देश की औद्योगिक विकास की समस्या को अपितु, विश्व के विकासशील देशों की समस्या को भी हल किया जा सके। इस घाटे का यह भी कारण हो सकता है कि अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आवश्यकताओं को पूरी करने को लिए बनाई गई क्षमता पर ही हम निर्भर रहते है और निर्णय शीघ्र नहीं लेते हैं जिसके फलस्वरुप एक संयंत्र से दूसरे संयंत्र के विशिष्ट विवरणों में परिवर्तन हो जाता है। और वे विशेष क्षमता के विषेश निर्माण के लिए बनाई गई क्षमना का उपयोग नही कर पात है। अतः हमारा विचार बनाये जाने वाले संयंत्रों का मानकीकरण करने का है। यह सही है कि क्रयादेशो को पूरा नहीं किया जाता है। इस बात से मैं सहमत हू कि वहा कुछ कमियां है और हम उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे है। फिर भी हमें प्राप्त क्रयादेशों को पूरा करने का प्रयन्त्न करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त एम० ए० एम० सी० में भी घाटा हो रहा है। और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने इस उपक्रम को बन्द करने की सिफारिश की है। किन्तु इस कारखाने को पुनः चालू कर दिया गया है। अगले वर्ष से 13 करोड़ रुपये का लाभ होने की सम्भावना है। इनकी तुलना में भोपाल स्थित कारखानों का कार्य संचालन बहुत अच्छा रहा है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सब बिजली घरों की आवश्कताओं को पूरा करने हेतु, उनकी क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है। अतः हमे कुछ व्यापारिक ढंग से सुधार करना पड़ेगा, जिनसे कि हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों का पूरा कर सकेंगे।

छठी योजना के संबंध में हमें अग्रिम योजना पर ध्यान देना होगा। जिससे हमारे संयंत्र बेकार नपड़े रहें। और हमारे पड़ौसी विकासशील देशों की आवश्यकताये भी पूरी हो सके। दूसरे, हमें परामर्श दात्री एजेंसियों का भी विकास करना चाहिए।

जहां तक अग्रिम योजना का संबंध है मैं उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी इस बारे में कार्यनिष्पादन के लिए व्यवस्थापकको को जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र की उपादेयता और महत्व इस बात से सिद्ध होता है कि क्या वे देश की गरीबी दूर करने में समर्थ है। मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत आनेवाले सरकारी उपक्रमों और भारी उद्योगों में 3600 करोड़ रुपये का निवेश है। मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस निवेश से 10 प्रतिशत लाभ होगा। फिर भी हमें समाजवादी मूलभूत ढांचा तैयार करना है। इस ढांचे में एक प्रतिशत पूंजी निवेश की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी हमारे सामने यह एक चुनौती है जिसका, हमें मुकाबला करना है। ये कठिनाइयाँ केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ही सामने नही आती है अपितु गैर सरकारी क्षेत्रों को भी इनका सामना करना पड़ता है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे है कि मेरे मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों में विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का उचित अनुमान लगाया जाये और हम पांचवीं और छटी योजनाओं के दौरान देश की आवश्यकताओं पर विचार करें। दुर्भाग्य से हमारे देश में मुनाफे की आशा से उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी देश में कमी होती है; जबकि देश को आवश्यकता है कि लोगों की अत्यावश्यक वस्तुओं का अधिकाधिक उत्पादन किया जाए जिनसे लोगों की आवश्यकताएँ शीघ्र पुरी हो सके।

गैर सरकारी क्षेत्र में भी यही प्रवृत्ति है। हम सीमेंट संयंत्र, कागज संयंत्र, आदि के निर्माण के लिए अपनी क्षमता का अनुमान लगानें का प्रयास कर रहे है जिससे इन सब उत्पादनों के निर्माण के योजना लक्ष्य पीछे न रह जाए, क्योंकि हम पूंजीगत मशीनों का भारी मात्रा में आयात कर रहे है। यदि हम इन मशीनों को अपन देश में तैयार करते तो विदेशी मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाती। इसलिए देश मे बनी मशीनें ही प्रयोग में लाई जानी चाहिए।

जहां तक देश में आटोमोबाइल उद्योग का संबंध है उस उद्योग के बारे में भी सरकार की कोई नीती चाहिए। यह उद्योग वाणिज्यिक गाड़ियां, मोटर कार, स्कूटर, तीन पहीये वाली गाड़ियां तैयार करता है। हमारे पास धन या मानव साधन के सीमित संसाधन है। अत: देश में किसे प्रोत्साहन दिया जाए। इसका एक ही उत्तर है कि एक कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का निर्माण किया जाए। यदि वाहनों का उत्पादन किया जाए तो महानगर प्रणाली पर भी विचार किया जाना चाहिए और इसकी कठिनाइयों को पहले हल किया जाना चाहिए। अत: हमें वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन पर अधिक जोर देना चाहिए क्योंकि 80,000 गाड़ियों की वर्तमान आवश्यकता के स्थान पर केवल 40,000 गाड़ियों का ही उत्पादन हो रहा है। इससे वाणिज्यिक गाड़ियों के मूल्य बहुत बढ़ रहे हैं। अत: इस उत्पादन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 करना चाहिए। हम इस मामले को रक्षा मंत्रालय के साथ उठा रहे है जो शक्तिमान मोटर गाड़ियों का उत्पादन कर रहा है। इससे इस एकक को वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के उत्पादन में प्रोत्साहन मिलेगा ताकि यह 30,000 के घाटे को पूरा कर सके जिससे कि देश की सभी आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।

जहां तक कारों का संबंध है हिन्दुस्तान की क्षमता 30,000 कारों की है; प्रीमीयर की 14,000 कारों की और स्टैण्डर्ड की है। 3,400 कारो की' जब कि हिन्दुस्थान 30,000 कारें प्रेमियर 14000 कारें और स्टैन्डर्ड 1400 कारे तैयार करते है। उनका विचार सितम्बर तक 3400 कार तैयार करने का है। इस उद्योग को मद्रास में बिजली की कमी के कारण काफी हानि उठानी पड़ी है। प्रिमीयर ओटोमोबाइल द्वारा अपने उत्पादन में 4,000 कारों की और वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। और जो अन्ततोगत्वा बढ़कर 22,000 हो जायेगी। हम इस समस्या पर विचार कर रहे है। इन कारखानों पर वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ईक्विटी अंश-धारियों या ऋण दाताओं के रूप में सरकार का काफी नियंत्रण है और यह आवश्यक है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन की क्षमता का देश के हित में पूरी तरह उपयोग किया जाए। इसलिए यह सुनिश्चित करना मेरा प्रथम कर्तव्य है कि वर्तमान क्षमता का कितना उपयोग किया जा सकता है।

छोटी कार का उत्पादन करने हेतु 6 व्यक्तियों को आशय पत्र दिए गए ह। अबतक 5 व्यक्तियों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है तिन में से एक या दो ने ही आगे कदम बढ़ाया है। किन्तु देश को विदेशी डिजाइनों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए।

जहां तक गुण–किस्म का संबंध है देश में जो कारें बनती है उनकी किस्म के बारे में मुझे काफी चिन्ता है। अब तक सरकार इस बात पर जोर देते रही है कि देश में बनी नई कारों या स्कूटरों को उनकी जांच के लिए अहमदनगर में मोटर गाड़ी अनुसंधान और विकास संगठन में भेजा जाए। किन्तु यह बात हिन्दुस्तान प्रीमीयर, स्टैण्डर्ड, या एरकार्टस् जैसी पुरानी कारों पर लागू नहीं होती है। और इसका यही तर्क दिया जाता है कि इनका डिजाइन विदेशी है और इसलिये ये अवश्य ही बढ़िया किस्म की है। किन्तु, प्रतिवर्ष इनकी किस्म-गुण में अन्तर आ जाता है। अत: यह उचित है कि नमुने की कारों समेत सब प्रकार की मोटर गाड़ियों को इसी प्रकार की जांच या परीक्षण के लिए भेजा जाए। ये परीक्षण क्या है?

एक परिक्षण तो यह है कि सभी कारें निर्माताओं रा दिए गए ,वशिष्ट विवरण के अनुसार होनो चाहिए। दूसरे यह सुनिश्चित किया जानाचा चाहिए कि कार में यात्रा करनें,वाले लोग सुरक्षित यात्रा कर

[श्री टी० ए० पाई]

सके। मेरा विचार यह सुनिश्चित करने का है कि सभी निर्माताओं को इन परीक्षणों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए आदेश दिया जाए। केवल नमूने की जांच करना ही काफी नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने हाथों में शक्ति लेनी होगी कि वह एक पंक्ति में खड़ी किसी भी एक कार को परिक्षण और जांच के लिए उक्त संगठन में भेज सकती है। और यह देखें कि उसकी पूरी जांच होती है। एक बार यह निश्चित होने पर निर्माता फालतू पुर्जों की किस्म सुधारने में लग जायेंगे।

अब हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि 100 से 140 तक कलपुर्जों का निर्माण भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। मुझे आशा है कि इन उपायों से हम संपूर्ण कार उद्योग पर नियंत्रण लगा सकेंगे और उन पर किस्म नियंत्रण भी कर सकेंगे।

प्राइवेट कारें अब "स्टेटस सिम्बल' बनती जा रही है। 25,000 अथवा 30,000 रु० की राशि से तीन लड़कियों की शादी की जा सकती है अथवा दो लड़के कालेज की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु फिर भी लोग कार रखने के लिए अत्यन्त उत्सुक हैं। बम्बई शहर में प्रतिदिन 25 लाख व्यक्तियों को उपनगरीय रेलें ढोती हैं और 25 लाख व्यक्ति बम्बई परिवहन की बसों से यात्रा करते हैं। 80,000 प्राइवेट कारों से 10 लाख व्यक्ति यात्रा करते हैं, जबकि 15,000 टैक्सियों से 10 लाख व्यक्ति प्रतिदिन यात्रा करते हैं। प्राइवेट कार 24 घंटे में से केवल $2\frac{1}{2}$ घंटे ही प्रयोग में आती है, जबकि टैक्सी 24 घंटे में से 16 घंटे प्रयोग में आती है। अब तक सारे देश में बनने वाली 47,000 कारों में से केवल 4,000 कारें ही टैक्सी चालकों को दी जाती है, परन्तु मैंने अब यह निर्णय कर लिया है कि यह कोटा 4000 से बढ़ाकर 14,750 कारें कर दिया जाए। इनमें से 5 प्रतिशत कारें अर्थात 2256 कारें उन व्यक्तियों को दी जायेंगी जो मैट्रिक अथवा उससे अधिक शिक्षा प्राप्त हैं और जो स्वयं नियोजित होना चाहते हैं तथा टैक्सी ड्राइविंग को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं। ये कारें उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आबंटित की जायेंगी और ये व्यक्ति बैंकिंग व्यवस्था से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

प्रबन्धकों के कोटे को मैंने समाप्त करने का निर्णय किया है और अब 5 प्रतिशत कारें डाक्टरों, नर्सों और समाज के लिए आवश्यक अन्य व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों को उपलब्ध की जायेंगी।

मैं बैंकिंग व्यवस्था पर भी अपने प्रभाव का उपयोग करूंगा कि लोगों की अधिक सहायता की जाय। मैं डाक तार विभाग से भी अनुरोध करूंगा कि बम्बई जैसे शहरों में अधिक टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध की जांय, ताकि टैक्सी आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें।

जब तक कारों पर भारी मात्रा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और अन्य कर अधिक मात्रा में लगे रहेंगे तब तक कारों की लागत को कम नहीं किया जा सकता। हमें कारों का बेहतर उपयोग कराना चाहिए। लागत के बारे में हमें ज्यादा चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि कारों को वे ही व्यक्ति खरीदते हैं, जो उसे खरीदने का सामर्थ्य रखते हैं। अब हम स्कूटरों के उत्पादन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

मुझे आशा है कि टैक्सियों पर कर कम करने के लिए प्रयास किये जायेंगे। मैं यात्रा करने वाली जनता की महत्वपूर्ण कठिनाइयों की ओर ध्यान दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

टैक्सी ड्राइवरों को अधिकांशतः टैक्सियां स्वयं किराये पर लेनी पड़ती हैं, क्योंकि कारों की कीमत की किस्तें अदा करने में उन्हें कठिनाई होती है। इसलिये पहले यह समस्या हल की जा रही है कि उन्हें अधिक संख्या में कारें उपलब्ध की जाय। हम ऐसी स्थिति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि कारें ही नहीं अपितु जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमत भी कम हो।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (ओसग्राम) : मैं यह जानना चाहता हूं कि बोकारो स्टील प्लान्ट को ठीक समय पर उपकरणों की सप्लाई की जायगी अथवा नहीं।

श्री टी० ए० पाई : मैं उद्योग मंत्रालय की ओर से सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ठीक समय पर बोकारों को उपकरणों की सप्लाई न होने के कारण बोकारो के काम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस समय देश में 61,000 स्कूटरों का उत्पादन होता है। 1973–74 मे यह उत्पादन बढ़कर 97,000 हो जायगा। 1974–75 में 1,50,000 स्कूटरों का उत्पादन होगा। पांचवी योजना के अन्त तक 3 लाख स्कूटरों का प्रति वर्ष उत्पादन होने लगेगा।

इस समय देश में 35,000 ट्रैक्टरों का निर्माण कर सकने की क्षमता है। इस वर्ष बिजली संकट के कारण बीस अथवा पच्चीस हजार ट्रैक्टरों का ही निर्माण हो सकेगा। एच० एम० टी० ने भी 12,000 ट्रैक्टरों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, 4,000 ट्रैक्टरों का इस साल उत्पादन किया जायेगा। एक प्राईवेट लि० कम्पनी, हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इसकी निर्माण क्षमता 7,000 ट्रैक्टर है। मुझे आशा है कि इसका पूरा उपयोग किया जायगा। इस समय लाइसेंस प्राप्त क्षमता 1,20,000 ट्रैक्टर है। अधिस्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने और देशी निर्माताओं को नुकसान से बचाने के लिए ट्रैक्टरों का आयात तत्काल बन्द किया जाना चाहिए। प्रत्येक किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। इसका समाधान यह हो सकता है कि कृषि उद्योग निगम कृषक सेवा केन्द्रों की स्थापना करे और वह किसानों को किराये पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराये।

मैंने यह आदेश दिया है कि गुजरात, बिहार, मैसूर, महाराष्ट्र और राजस्थान के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में कृषि उद्योग निगम को तत्काल शक्ति चालित हल और छोटे ट्रक्टर उपलब्ध कराये जांय, जिससे वे किसानों को ठीक समय पर उपलब्ध किये जा सके।

विश्व बैंक की एक टीम की समीक्षा के अनुसार वित्तीय, तकनीकी, प्रबन्धकीय पहलुओं के अनुसार समग्र कार्यकुशलता का प्रतिशत कुछ मोटर उद्योगों के बारे में इस प्रकार है: बजाज टेम्पो 85.4%, टेल्को 81.6%, प्रीमियर आटोमोबाइल्स 57.8% अशोक लेलैंड 46.2%, महिन्द्रा 33%, और हिन्दुस्तान मोटर्स 26.4%, टैक्टरों के बारे में से आकड़े इस प्रकार है: टी० ए० एफ० ई० 75.6 और आइशर ट्रैक्टर्स 71.5%।

चाहे सरकारी क्षेत्र हो अथवा गैर सरकारी क्षेत्र—दोनों ही क्षेत्र के कारखानों में बढ़िया किस्म के माल के उत्पादन पर बल देना है। अन्तत्तोगत्वा, हमें उपकरणों और अन्य सामान्य का देश मे ही उत्पादन करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को व्यवहार करने मे सुधार किया जाना चाहिए जिससे उपभोक्ता सन्तुष्ट हो सके।

भारी उद्योग मन्त्रालय में एक जादा बैंक स्थापित करने का हमारा विचार है, जिससे वर्तमान क्षमता की समीक्षा की जा सके। हम पांचवी और छटी योजना अवधि के दौरान लोगों की आवश्यकताओं का पता करेंगे, जिससे उनके अनुसार उद्योगों की कठिनाइयों और बाधाओं को दूर कराया जा सके।

मैं चाहता हूं कि सहायक उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाय और भारी उद्योगों के साथ उसकी गतिविधियों का तालमेल बिठाया जाय। मैं वाणिज्यिक बैंकों पर भी इस बात के लिए जोर डालूंगा कि वे इन उद्योगों की सहायता के लिए आगे आये।

छोटे, मंझोलें और बड़े उद्योगों के रूप में वर्गीकरण भी उद्योगों के विकास मे बाधक रहा है, क्योंकि 7 लाख रु० मूल्य की मशीनरी वाले उद्योग को छोटे उद्योग माना जाता है और अगर यह उद्योग अपनी कार्य कुशलता और दक्षता से 9 लाख की मशीनरी वाला उद्योग बन जाता है तो विदेशी मुद्रा और कच्चे माल आदि के मामलों में मिलने वाली सभी सुविधायें समाप्त कर दी जाती हैं। मेरे विचार से लघु उद्योग जब मध्यम उद्योग के रूप में प्रगति कर जाता है, तो उसे सभी प्रकार की सहायता जारी रहनी चाहिए। तभी हम देश में एकाधिकार समाप्त करने मे सफल हो सकेंगे।

[श्री टी० ए० पाई]

एच० एम० टी० मेरे अधीन है और इसके अनेक कारखाने हैं। इस समय सभी कारखानों के लाभ और घाटे को जोड़ लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक कारखाना लाभ में चले। देश के सीमित संसाधनों को ऐसे कारखानों म नहीं लगाया जाना चाहिए, जो लाभ अर्जित नहीं कर सकते। संसाधनों का वैकल्पिक रुप से उपयोग किया जा सकता है और हमने सिद्धांत रूप से यह निर्णय किया है कि एक होल्डिंग कम्पनी को स्थापना की जाय। मै चाहता हूं कि मंत्रालय को ही होल्डिंग कम्पनी का रूप दे दिया जाय, क्योंकि हमारे सामने बहुत सी समस्यायें है और बहुत कम सिविल अधिकारी है।

श्री रामावतार शास्त्री ने वैगन उद्योग के बारे में चर्चा की है वैगन निर्माताओं ने यह शिकायत की है कि क्रयादेश वार्षिक आधार पर उन्हे दिये जाते हैं। इस बारे में मैंने अब यह सलाह दी है कि क्रयादेश तीन साल अथवा पांच वर्ष की अवधि के आधार पर दिये जाने चाहिये जिससे निश्चित संख्या में क्रयादेश दिये जा सके। इस समय 14 वैगन निर्माण कारखाने हैं जिनमें से 6 अथवा 7 कारखाने आर्थिक रूप से संकटग्रस्त है। औद्योगिक विनियम अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी किये जा रहे हैं। बर्न एण्ड कम्पनी के अधीन कलकत्ता स्थीत दो तीन कारखानों और आई० एस० डब्ल्यु और जेसप्स एवं ब्रथवाइट के मामलों पर हम विचार कर रहे हैं। हमें एक वैगन प्राधिकरण की स्थापना करनी होगी ताकि प्रत्येक कारखाने की वैगन निर्माण क्षमता का सही आकलन किया जा सके और मानवीकरण आदि किया जा सके। कच्चे माल की उपलब्धि और रेलव बोर्ड से क्रमादेश प्राप्त करके भी वैगन उद्योग की मदद की जा सकेगी। अनेक बार निर्यात सम्बधी दायित्व और आन्तरिक आवश्यकताओं के बीच उचित तालमेल नहीं होता है। वैगन प्राधिकरण इस बारे मे नियमित रूप मे योजना बनायेगा। इस बारे में शीघ्र ही निर्माण किया जायेगा।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : क्या सहायक उद्योगों की स्थापना करते समय पिछड़े क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जायगा ताकि क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या को हल किया जा सके।

श्री टी० ए० पाई : हम इस बारे मे निश्चित रुप से विचार करेंगे।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में काम कर रहे आदिवासियों की समस्या को उठाया गया है। मुझे इस बात पर गहरी चिन्ता है कि इस परियोजना के कारण जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से सभी को हम आवास सुविधा देने में असमर्थ रहे हैं। मैं इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस वर्ष के अन्त तक समस्या का हल निकाल लिया जायगा और उन्हे काम दे कर उनका पुनर्वास किया जाएगा। अनुसूचित जातियों और पिछडे वर्गोंको विशेष प्रशिक्षण दिया जायगा जिससे वे समानता के आधार पर अन्य लोगों के साथ काम करने के योग्य बन सके।

प्रबन्धकीय प्रतिमा का विकास करने में भारी इंजीनियरी उद्योग असफल रहा है। 1000 रु० से अधिक वेतन पाने वाले सभी व्यक्तियों के बारे मे विचार किया जाय और उनको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की जाय, जिससे वे अपने संगठन में ही नहीं, बल्कि किसी भी सरकारी उपक्रम में सर्वोच्च पद पर पहुंच सके। इस प्रकार हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अपने लोगों का एक संवर्ग तैयार कर सकेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : क्या प्रोत्साहन योजना में कर्मचारियों को भी शामिल किया जायगा? मैंने अपने भाषण में भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट मामला उठाया था और मैं उसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री टी० ए० पाई : अगर माननीय सदस्य मुझे लिखकर भज दे, तो मै इसकी जांच कराऊंगा और उत्तर भेज दूंगा। अब समय आ गया है कि जब हम भ्रष्टाचार को समाप्त करे, भले ही वह सरकारी क्षेत्र में हो अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में हो।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत मामलों पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती।

श्री टी० ए० पाई : श्री एस० एम० बनर्जी ने ब्रैकलेट कम्पनीके मैनेजिंग डारैक्टर की नियुक्ति का प्रश्न उठाया है। मैं हाल में ही उनसे मिला हूं। उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील हो उनको अवाड़ी में एक अत्यधिक दक्ष मैनेजर के रुप में पाया गया। उनके समय में वहां पर उत्पादन अत्यधिक हुआ था।

सूखाग्रस्त क्षेत्र में छोटे टैक्टरों तथा विद्युत चालित दलों को बड़ी संख्या में उपलब्ध कराया जायेगा।

(अन्तरबाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री के भाषण के समय आप सदन में उपस्थित थे। अधिकांश वही सदस्य प्रश्न कर रहे है जो उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे। वे वही प्रश्न कर रहे है। जिसका उत्तर माननीय मंत्री अपने भाषण मे चुके हैं। इस मांगः पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following demands in respect of Ministry of Heavy Industry were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
44	भारी उद्योग मंत्रालय . .	10,50,000
45	भारी उद्योग	4,52,22,000

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग

उपाध्यक्ष महोदय : अब शिक्षा मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग की मांगो पर चर्चा तथा मतदान होगा, इसके लिए छः घण्टे का समय रखा गया है।

उपस्थित माननीय सदस्यों में से जो सदस्य कटौही प्रस्ताव रखना चाहते है वे 15 मिनट के भीतर अपनी पर्चियां भेज दे। उनको प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा।

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय संस्कृति तथा विभाग की वर्ष 1973–74 को अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
25	शिक्षा विभाग . : . . .	2,21,48,000
26	शिक्षा	87,98,94,000
27	समाज कल्याण विभाग .	22,09,52,000
92	संस्कृति विभाग .	5,59,34,000
93	पुरातत्व	2,18,08,000

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम तथा कटौती का आधार	कटौती की राशि
25	3.	**श्री सरोज मुखर्जी :** भारत के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने सम्बन्धी संविधान के निदेशक तत्व के कार्यान्वित करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाय।
	4.	**श्री सरोज मुखर्जी :** प्रत्येक गांव में निःशुल्क शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्रदान कर भारत की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड वर्गों के लोगों की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने में असफलता।	,,
26	5.	**श्री सरोज मुखर्जी :** चूं कि कालेज केन्द्रीय विश्वविदयालय अनुदान आयोग योजना के अन्तर्गत आते है, इसलिये समूचे देश में सभी श्रेणी के कालेज अध्यापकों पर पेंशन योजना लागू करने की आवश्यकता।	,,
	6.	**श्री सरोज मुखर्जी :** अध्यापकों से भिन्न कर्मचारियों के लिये जिनमें कालेज छात्रावासों (प्रायोजित, गैर–सरकारी अथवा अन्य) जो सब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना से सम्बद्ध है, के बैरे भी शामिल हैं पेंशन योजना लागू करने की आवश्यकता।	,,
	7.	**श्री सरोज मुखर्जी :** समूचे भारत में एक समान वेतनमान लागू करके कालेजों और अध्यापकों के वर्गीकरण को सरल बनाने की आवश्यकता।	,,
	8.	**श्री सरोज मुखर्जी :** सभी श्रेणियों के कालेज—अध्यापकों के वेतनमान बढाकर उनको सरकारी कालेज अध्यापकों के वेतनमानों के बराबर करने की आवश्यकता।	,,
	9.	**श्री सरोज मुखर्जी :** नव नियुक्त कालेज अध्यापकों को कालेजों में आने से पूर्व उनके स्कूलों में अध्यापन-कार्य की सेवा की अवधि का हिसाब लगाकर उन्हें सुविधायें देने और ऐसी सुविधाओं को कालजों के अन्य अध्यापकों को मिलने वाली सुविधाओं के बराबर करने की आवश्यकता।	,,
	10.	**श्री सरोज मुखर्जी :** कालेजों में वर्तमान परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करने और छात्रों को परीक्षाओं में बठने से रोकने की बजाय उनके लिये इसे आकर्षक बनाने की आवश्यकता।	,,
27	11.	**श्री सरोज मुखर्जी :** शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रम को आगे बढाने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम तथा कटौती का आधार	कटौती की राशि
27	12.	**श्री सरोज मुखर्जी** : भारत क प्रत्येक गांव में महिलाओं के लिये प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से दस्तकारी, सीने पिरोने का काम, बुनाई और कताई के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये ।
25	13.	**श्री पी० जी० मावंलकर** : शिक्षा मंत्री मंत्रिमंडल का पूर्ण सदस्य हो, यह सुनिश्चित करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
	14.	**श्री पी० जी० मावंलकर** : हमारी अर्थव्यवस्था तथा राजनीति में मानवीय तत्व के सर्वांगीण तथा शीघ्र विकास के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं की तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शिक्षा के लिये अधिक बडे बजट की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
	15.	**श्री पी० जी० मावंलकर** : वाराणसी स्थित हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ स्थित मुस्लिम विश्वविद्यालय दोनों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण के बारे में एक सच्ची राष्ट्रीय नीति बनाने में असफलता ।	,,
	16.	**श्री० पी० जी० मावंलकर** : समूचे देश में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर और अधिक विस्तृत परिणाम प्राप्त करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक बजट को बढाने में असफलता ।	,,
	17.	**श्री पी० जी० मावंलकर** : शिक्षा सम्बन्धी कोठारी आयोग की उपयोगी तथा लाभप्रद सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता ।	,,
	18.	**श्री पी० जी० मावंलकर** : समूचे देश में कालेज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों और सेवा की शर्तों में सुधार करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को सहमत कराने में असफलता ।	,,
	19.	**श्री पी० जी० मावंलकर** : समूचे राज्य में फैले हुए महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्रों में स्वायत्तशासी कालेजों को खोलने तथा उन्हें सुदृढ बनाने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता करने में असफलता ।	,,
	20.	**श्री पी० जी० मावंलकर** : विभिन्न शिक्षा प्रांगणों में छात्र असंतोष की चुनौती का प्रभावी ढंग और शीघ्रता से मुकाबला करने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम तथा कटौती का आधार	कटौती की राशि
25	21.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : भारत के नये स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक पूर्णतया नयी शिक्षा नीति तैयार करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
	22.	**श्री० पी० जी० मावलंकर** : समूचे देश में उच्चतर शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध संस्थानों में अत्युत्तम स्तर प्राप्त करने में एक जैसे मापदंड तथा परिपाटियां आरंभ करने में असफलता ।	,,
	23.	**श्री० पी० जी० मावलंकर** : संवैधानिक निदेश के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु के सभी लडके-लडकियों को निशुल्क अनिवार्य तथा सार्वभौमिक शिक्षा देने के लिये राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम तेजी से चलाने में असफलता ।	,,
	24.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : वर्ष 1970 से 1979 के दौरान टेलीविजन की एक सूझ-बूझ पूर्ण, दूरदर्शितापूर्ण तथा उपयोगी परियोजना बनाने में असफलता ।	,,
	25.	**श्री० पी० जी० मावलंकर** : शिक्षित तथा अर्ध–शिक्षित और कुशल तथा अर्ध–कुशल वयस्कों के लिये निरन्तर चलने वाले शिक्षाके कार्यक्रम सार्थक कार्यकरण की व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
	26.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : मौलिक तथा अनुदित पुस्तकों के प्रकाशन तथा शिक्षा के माध्यम के विशेष सन्दर्भ में प्रादेशिक भाषाओं के विकास की गति तेज करने में असफलता ।	,,
	27.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : समस्त देशों में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के अत्यधिक कम वेतनमानों को बढाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये ।
	28.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : भारत में अनिवार्य नि:शुल्क सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के कार्य में तेजी लाने के लिये सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को और अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता ।	,,
	29.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : हमारे देश में बहुप्रयोजनीय माध्यमिक स्कूलों को बढावा दने की आवश्यकता ।	,,
	30.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : माध्यमिक स्कूलों में सभी स्थायी अध्यापकों के लिये उचित सेवा की शर्तें, सुरक्षा और बेहतर वेतनमान सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम तथा कटौती का आधार	कटौती की राशि
25	31.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : समस्त देश में कालेजों में अध्यापकों के अलावा अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा वेतनमानों में सुधार करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये।
	32.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : सभी हाई स्कूलों और कालेजों में शारीरिक शिक्षा के जोरदार कार्यक्रम को चलाने की आवश्यकता।	,,
	33.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : हमारे सभी शैक्षणिक संस्थानों में खेल-कूद को और बढावा देने के लिये अधिक धन-राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
	34.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : समूचे राष्ट्र में सभी लडकियों के लिये माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क करने की आवश्यकता।	,,
	35.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : गृह विज्ञान, दस्तकारी, दर्जी का काम, बुनाई, नर्सिंग और प्रथमोपचार के क्षेत्रों में महिलाओं के लिये विशिष्टीकृत शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
	36.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : कालेजों और विश्वविद्यालयों में सभी श्रेणियों के अध्यापकों के लिये वार्षिक पुस्तक भत्ते की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
	37.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : गाइडों, ट्यूशन और सझावों की बुराई को दूर करने की दृष्टि से और छात्रों को अपने अध्ययन के विषय के सम्बन्ध में स्वतंत्रतापूर्वक तथा विवेचनात्मक ढंग से विचार करने योग्य बनाने के उद्देश्य से समस्त परीक्षा प्रणाली में चमत्कारी सुधार लाने की आवश्यकता।	,,
	38.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : विद्यार्थियों तथा अध्यापकों में निरंतर तथा गहन अध्ययन की आदत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऊच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कालेजों में विस्तृत ग्रंथालय सेवा का विकास करने की आवश्यकता।	,,
	39.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों तथा पहले ही तैयार की गई योजनाओं में संकट तथा आपात स्थिति के नाम पर समय-समय पर की गई सभी कटौतियों को वापस लेने की आवश्यकता।	,,
27	40.	**श्री पी० जी० मावलंकर** : अन्धे, विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित लोगों के लिये विशेष प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम तथा कटौती का आधार	कटौती की राशि
25	41.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे अर्ध-फसिस्ट और अर्ध सैनिक संगठमों पर देश के विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के प्रांगणों में संक्रिय होने पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।
	42.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सभी प्रशासनिक एवं शैक्षणिक निकायों में छात्रों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
	43.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : संघ राज्य क्षेत्रों में गैर सरकारी प्रबन्ध-व्यवस्था पर, जिसने हमारी शिक्षा को व्यापार का रूप दे दिया है, और जो शिक्षा को लाभ कमाने का उपक्रम बनाने का प्रयास कर रहा है, आवश्यक नियंत्रण करन में असफलता।	,,
	44.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : सभी केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में छात्र संघों के लोक तंत्रात्मक कार्यकरण के लिये परिस्थितियां उत्पन्न करने में असफलता।	,,
	45.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : तथाकथित पब्लिक स्कूलों को, जो संघ राज्य क्षेत्रों में उपनिवेशवाद के अवशेष के रूप में कार्य कर रहे है, समाप्त करने में असफलता।	,,
	46.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और प्रगति का प्रभावी माध्यम बनाने की दृष्टि से इस में सुधार लाने में असफलता।	,,
	47.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : भारतीय खेलों को अंतराष्ट्रीय स्तर पर लाने का दृष्टि से खेल कूद के लिये बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कदम उठाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये।
	48.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : वर्तमान घिसे पिटे और पुराने तरीक़ों को त्याग कर आधुनिक परीक्षा प्रणाली आरम्भ करने में असफलता।	,,
	49.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : शिक्षा को एक नया मोड देकर हमारे छात्रों को समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति सजग बनाने में असफलता।	,,
	50.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : निरक्षरता को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिये एक बृहद साक्षरता योजना आरम्भ करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम तथा कटौती का आधार	कटौती की राशि
25	51.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : विश्वविद्यालय के अध्यापकों के विरुद्ध कतिपय उप-कुलपतियों के नौकरशाही और तानाशाही कार्यों के बारे में जांच कराने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये।
	52.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : हमारे गांवों में खेल-कूद की बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
	53.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : शोध कार्य को बढावा देने के लिये विश्वविद्यालयों में प्रयोग शालाओं को सुदृढ बनाने की आवश्यकता।	,,
	54.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : संघ राज्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अध्यापकों से भिन्न कर्मचारियों के लिये सेवा की बेहतर शर्तों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
	55.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : विश्व युवक केन्द्र जैसे सी० आई० ए० सर्मथित संगठनों को शिक्षा के क्षेत्र से बाहर निकालने की आवश्यकता।	,,
	56.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : शिक्षा जगत में शांति और प्रशांति की परिस्थितियां उत्पन्न करने की दृष्टि से देश के सभी छात्र संगठनों का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता।	,,
	57.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : शिक्षा को व्यवसाय-प्रधान बनाने में विफलता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
	58.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : छात्रों तथा अध्यापकों को पूर्ण लोकतंत्रीय अधिकार प्रदान करके तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक तथा प्रशासनिक निकायों में सुधार करके इन संस्थानों को आदर्श केंद्रो के रूप में चलाने के लिये अनुकूल स्थिति पैदा करने में विफलता।	,,
	59.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : देश में विशेषकर देहातों में एक व्यापक पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहन देने तथा उसका विस्तार करने में विफलता।	,,
	60.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : शिक्षा संस्थानों में सांप्रदायिक संगठनों की घुसपैठ और इसके परिणामों के बारे में जांच करने तथा इसके लिये उपचार सुझाने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग स्थापित करने में विफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम तथा कटौती का आधार	कटौती का राशि
25	61.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : हमारी शिक्षा प्रणाली से साम्राज्यवादी प्रभाव को समाप्त करने में विफलता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दि जाये।
	62.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : हमारी शिक्षा प्रणाली में सी० आई०ए० की विभिन्न रूपों में घुसपैठ को समाप्त करने में असफलता।	,,
	63.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : देश में निरक्षर लोगों की संख्या में वृद्धि।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
	64.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : स्वतंत्रता के 26 वर्ष बाद भी निरक्षरता दूर करने में असफलता।	,,
	65.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये सार्वभौमिक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
	66.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा के लिये सम्बद्ध राज्यों को पर्याप्त विशेष सहायता देने में असफलता।	,,
	67.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : वयस्क शिक्षा के लिये पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
	68.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को शिक्षा क पक्ष में बदलन में असफलता।	,,
	69.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : समूचे भारत में सभी अध्यापकों के लिय एक समान राष्ट्रीय वेतनमान जो अन्य व्यवसायों की तुलना में उपर्युक्त हो और देश में अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि के अनरूप हो, लागू करने में असफलता।	,,
	70.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : गत दशकों में समितियों, आयोगों और शिक्षाविदों की सिफारिशों के बावजूद परीक्षा प्रणाली में सुधार करने में असफलता।	,,
	71.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा प्राप्त लोगों के लिये नौकरियाँ अथवा बेरोजगारी भत्ता आदि सुनिश्चित कर के अर्थपूर्ण शिक्षा के लिये समूचित वातावरण बनाने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम तथा कटौती का आधार	कटौती की राशि
25	72.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : शिक्षा में प्रादेशिक तथा क्षत्रीय असंतुलन दूर करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये।
	73.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यापकों के संगठनों के प्रति एक समूचित दृष्टिकोण बनाने तथा उन्हें समुचित सुविधायें प्रदान करनें में असफलता।	,,
	74.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी**: संघ राज्य क्षेत्रों में लडकियों की शिक्षा के लिये पर्याप्त विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
26	77.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : प्राथमिक विद्यालयों के सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें, मध्याह्न भोजन और विद्यालय वर्दी देने में असफलता।	,,
	78.	**श्री मती बिभा घोष गोस्वामी** : केन्द्र के नियंत्रणाधीन के विद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों तथा गैर-अध्यापन कार्य करने वाले कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा, पेंशन योजना और बीमा लाभ प्रदान करने में असफलता।	,,
	79.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : भारत के विद्यालयों में खेलों की अनिवार्य व्यवस्था करने में असफलता।	,,
	80.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : रेल मंत्रालय द्वारा अध्यापक व्यष्टि रेल रियायत फिर से जारी करवाने में असफलता।	,,
27	81.	**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : बडे शहरों में पटरियों पर रहने वालों व्यक्तियों की समस्या की ओर ध्यान देने और उन पर विचार किये जाने का अभाव।	,,
25	82.	**श्री गदाधर साहा** : संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा संस्थाओं के सभी कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना लागू करने और उसे अमल में लाने में असफलता।	,,
	83.	**श्री गदाधर साहा** : संघ राज्य क्षेत्रों के सेवा निवृत्त शिक्षकों को उनकी सेवा निवृत्ति के पश्चात् समूचित समयावधि के भीतर पेंशन देना आरम्भ करने में असफलता।	,,
	84.	**श्री गदाधर साहा** : संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की सेवा की सुरक्षा के लिए उन्हें गारण्टी देने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौति प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम तथा कटौती का आधार	कटौती की राशि
25	85.	**श्री गदाधर साहा :** शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये।
	86.	**श्री गदाधर साहा :** शिक्षा स्तर में आ रही गिरावट को रोकने में असफलता ।	,,
	87.	**श्री गदाधर साहा :** शिक्षा की समस्त लागत की पूर्ति के के लिए शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों और गैर-अध्यापन कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को विशेष अनुदान देने में असफलता ।	,,
	88.	**श्री गदाधर साहा :** सभी राज्यों में संविधान के निदेशक तत्वों के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य और सार्वभौम करने में असफलता ।	,,
	89.	**श्री गदाधर साहा :** शिक्षा के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने और उसे कार्य रूप देने में असफलता ।	,,
	90.	**श्री गदाधर साहा :** अध्यापकों के वेतनमान और उनकी सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में शिक्षा सम्बन्धी कोठारी आयोग की उपयोगी और प्रयोजनयुक्त कतिपय सिफारिशों को कार्यरूप देने में असफलता ।	,,
	91.	**श्री गदाधर साहा :** संघ राज्य क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के भुगतानों को नियमित करने में असफलता ।	,,
27	92.	**श्री गदाधर साहा :** समाज के भेद्य वर्ग के आर्थिक और सामाजिक विकास क लिय कार्यक्रम तैयार करने और उसे कार्य रूप देने में असफलता ।	,,
	93.	**श्री गदाधर साहा :** वयस्कों में निरक्षरता समाप्त करने के लिए शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति का विकास करने में असफलता ।	,,
	94.	**श्री गदाधर साहा :** विकलांगो और मासिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रमों और सामाजिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने में असफलता ।	,,
	95.	**श्री गदाधर साहा :** पौष्टिक आहार कार्यक्रम को कार्यरूप देने के लिए राज्य सरकारों को प्ररित करने में केन्द्र की असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम तथा कटोति का आधार	कटौति की राशि
2)	96.	**श्री गदाधर साहा :** ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था सहायता का व्यापक कार्यक्रम बनाने और उसे कार्यरूप देने में असफलता, जिनके परिवारों में उनकी सहायता के लिए कोई और सदस्य नही है ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाए ।
	97.	**श्री गदाधर साहा :** पांचवी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक कल्याण कार्यक्रम को दी गयी निम्न प्राथमिकता और सामाजिक कल्याण के लिए निर्धारित धनराशी को अन्यत्र लगाने की अवांछितता ।	,,
	98.	**श्री गदाधर साहा :** अच्छे रोजगार, गरीबी हटाने और उचित शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्या वृत्ति के विस्तार को रोकने में असफलता ।	,,
	99.	**श्री गदाधर साहा :** विभिन्न प्रकार की रोजगार योजनाओं, गरीबी हटाने और आवास सम्बन्धी कार्यक्रमों के माध्यम से भीख मांगने की बढती हुई प्रवृत्ति को रोकने में असफलता ।	,,
	100.	**श्री गदाधर साहा :** रोजगार और राहत की व्यापक योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों युवकों तथा लोगों को शहरी क्षेत्रों में आने से रोकने में असफलता।	,,
	101.	**श्री गदाधर साहा :** परीक्षण राहत संहिता का तुरन्त पुनरीक्षण करने और परीक्षण राहत कार्य योजना के अधीन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधभूखे और भूख मजदूरों के शोषण को समाप्त करने तथा जीवन यापन लागत में हो रही वृद्धि को देखते हुए मजदूरी दर में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,

संस्कृति विभाग की मागों के संबंध मे निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम तथा कटोति का आधार	कटौति की राशि
92	1.	**श्री सरोज मुखर्जी :** भारत में रहने वाल विभिन्न लोगों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को सुदृढ करने में विफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये ।
	2.	**श्री सरोज मुखर्जी :** ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक संस्थान स्थापित करने तथा दश के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों में लोक कलाकारों को जो कि वित्त की कमी के कारण कठिनाई में है, खपाने में विफलता।	

मांच संख्या	कटौति प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम तथा कटौति का आधार	कटौति की राशि
92	3.	**श्री सरोज मुखर्जी** : विभिन्न राज्यों में सत्तारुढ दल विरोधी राजनीतिक विचारधारा वाले लेखकों, कवियों तथा उपन्यासकार को मान्यता देने की आवश्यकता।	राशी में से 100 रुपये घटा दिए जाए
93	4.	**श्री सरोज मुखर्जी** : जिला बर्दवान (पुलिस, थाना, आँसग्राम) पश्चिम बंगाल, भारत में "पाण्डु राजार धीबी" नामक क्षेत्र के प्राचीन इतिहास के बारे में और खुदाई और अन्वेषण करने की आवश्यकता।	"
92	5.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : लोक कला, शिल्प और संस्कृति के विकास के लिय आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करानें में विफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।
	6.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : विभिन्न भाषाओं के सुप्रसिद्ध साहित्य का समस्त भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करानें में विफलता।	"
93	8.	**श्री गदाधरा साहा** : पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में नवाडा में सरकार द्वारा संरक्षित "शमशान घाट" क्षेत्र में प्राचीन इतिहास के बारे में खुदाई और अन्वेषण करने की आवश्यकता।	"

श्रीमती बिभा कांत गोस्वामी (नवद्वीप) : प्रतिदिन विद्यार्थियों के असंतोष, अध्यापकों द्वारा हडताल, संस्थाओं के बन्द होने आदि के समाचार समाचारपत्रों मे प्रकाशित होते रहते है, सरकारी नीतियों के कारण हो यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अमीरों के अधिक धनराशि व्यय की जा रही है। सरकार अब अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात नही कर रही है। अब इस बात को स्वीकार कर लिया गया है अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा को लागू करना संभव नहीं है।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।**
SHRI K. N. TIWARI *in the chair.*]

गरीब लोग स्कूलों में अपने बच्चे नही भेज सकते। बच्चों को अब काम में अपने मां बाप की सहायता करनी होती है। सरकारी आंकडों के अनुसार 80 प्रतिशत जन संख्य के लिए स्कूल की सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है जब कि केवल 52 प्रतिशत बच्च ही स्कूलों में आये है। इनमें से भी केवल 40 प्रतिशत बच्चे ही पांचवी कक्षा के में तथा 25 प्रतिशत आठवी कक्षा में पहुंचते है।

प्रौढ शिक्षा पर और प्रौढ शिक्षा अभियानों पर बहुत राशि व्यय की जाती है लेकिन स्कूलों म विद्यार्थी ठिक नही पाते और उनमें से बहुत निरक्षरों की सैना में भर्ती हो जाते है "दुनिया के कुल 55 करोड निरक्षर लोगों में से 38 करोड भारत में रहते है ।

सरकार पुलिस और सेना के लिये धन व्यय कर सकती है लेकिन शिक्षा के लिये कहती है कि हमारे पास पर्याप्त राशि नही है। जनशक्ति पर आधारित आयोजन पर सरकार ने कभी गंभीरता से विचार नही किया, एक प्रजातंत्रीय समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कभी भी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिये प्रयत्न नही किये गये।

सारी प्रणाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर आधारित है । शिक्षित बेरोजगारों की संख्या नित्यप्रति बढती जा रही है । लाखों डाक्टर और इंजीनियर बिना रोजगार के है । छात्रों के बीच असंतोष का यह एक प्रमुख कारण है।

अध्यापकों के बीच व्याप्त असंतोष से भारत के अंदर आन्दोलन की एक लहर उमड आयी है । उनकी सेवा की कोई सुरक्षा नही है और उनके वेतन बहुत कम है ।

अधिकांश स्कूल और कालेज गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाये जाते है। पश्चिम बंगाल के बहुत से कालेज दिवालिया हो गये है और हजारों कालिज अध्यापकों को वेतन नही दिये गये हैं। पश्चिम बंगाल के सैकडों अध्यापकों को तंग किया जा रहा है । राज्य सरकार ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है । हरियाणा के स्कूल अध्यापकों द्वारा हाल में की गयी हडताल के दौरान हजारों अध्यापकों को नौकरी से निकाला गया, गिरफ्तार किया गया तथा पीटा गया। 15,000 से अधिक अध्यापक जेल में डाले गये। देश के विभिन्न भागों में अध्यापकों के साथ किये जाने वाले अन्यायपूर्ण व्यवहार को केन्द्रीय सरकार एक मूक दर्शक की तरह देखती है ।

यह है शिक्षा और अध्यापकों के प्रति आपका दृष्टिकोण ?

सरकार ने एक शक्षणिक आयोजना बनाया है । यह एक प्रशंसनीय समाधान है। इस आयोजन के अनुसार ब्लाक तथा जिला स्तरों पर माडल स्कूल खोले जायेंगे । पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी माडल स्कूल खोले जाने पर जोर दिया गया है । इन स्कूलो में सम्भवत: अमीर लोगों के ही बच्चे पढेंगे क्योंकि इन स्कूलों की फीस बहुत होगी...

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री जी० डी० यादव) : हम कोई फीस नही लेंगे।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : इस प्रकार शिक्षा के दो समानान्तर साधन होंगे। सरकार 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देगी। 40 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे रहते है लेकिन छात्रवृत्तियां केवल 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को दी जायेंगी ।

यह खेद की बात है कि सरकार आज के समाज में शिक्षा के महत्व को नही समझती है। वह शिक्षा मंत्रालय को भी केबिनेत स्तर तक नहीं ला सकी है । हम प्रत्येक भारी उद्योग पर इतना धन व्यय करते है जो शिक्षा के बजट का दुगना होता है। हम केन्द्रीय पुलीस के एक मद पर शिक्षा के कुल बजट से दो गुणा धन व्यय करते है । परिवार नियोजन पर भी हम शिक्षा के कुल व्यय से दो गुणा व्यय करते है । खेर कमेटी ने 1952 में कुल बजट का 10 प्रतिशत भाग शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिशें की थी। लेकिन आज कल हम केवल 4 प्रतिशत ही व्यय करते है ।

मंत्रालय के अनुसार 1980-81 तक निशुल्क प्राइमरी शिक्षा लागू की जायेगी।]

[श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी]

गजेन्द्रगडकर कमेटी ने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है । क्या सरकार को कमटी द्वारा की जाने वाली सिफारिशों की जानकारी है ?

हमारे स्कूलों, कालिजों और विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है । अध्यापक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे है देश भर में अध्यापकों के आन्दोलन जोर पकड़ रहे हैं ।

शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये ।

Dr. Govind Das (Jabalpur) : Thesy stem of education plays a great roll in bringing about socialism. The progress and development of our country depends an Engineers, Technologists, Agricultural Scientists, Administrators and Doctors but they are getting education through the medium of foreign language.

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए]
[SHRI S. A. KADER *in the Chair*]

English is still medium of Education. The Education Ministry took a decision to write books in Hindi and other regional languages. This work is being carried out without making appointments for the top offices. The office is functioning without Head of the Department for the last four years.

There are so many offices under Education Ministry. Two more Departments *i.e.*, Youth Welfare and Social Welfare have been added to the Ministry of Education. Either the Education Ministry be raised to cabinet level or the same may be bifurcated into two Departments under two State Ministers.

We have failed in the field of building new generation and education is a sole base for it. Our present education system had been a total failure. The spiritual and material development should go side by side and we have miserably failed in achieving the spiritual development of a man through our present system of education.

The religion is not what we say "Dharma". It is very wide term. The term "secular" contained in our Constitution has been misinterpreted. Only good conduct is a real religion without which there can be no morality. We will not gain anything till religion is made the base of our system of education.

We should be determined to change our system of education. No steps are take to free the education system from the ills it is suffering. We should try to free our education system from such ills and adopt a new system so that we could build up the new generation.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : आजादी के इन 25 वर्षों के दौरान हम शिक्षा प्रणाली में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सके हैं । निरक्षरता बढ़ रही है और फिर भी सरकार दावा करती है कि साक्षरता बढ़कर 16 प्रतिशत से 29 प्रतिशत हो गयी है । लेकिन वास्तविकता यह है कि देश के 38 करोड लोग निरक्षर है । निरक्षरता निवारण के लिये बडे पैमाने पर आन्दोलन चलाने की आवश्यकता थी । सरकार द्वारा इस दिशा में जो भी यत्न किये गये वे अपर्याप्त थे । रूस में 30 वर्षों के अंदर निरक्षरता दूर की गयी । क्यूबा में भी दस वर्षों के अंदर निरक्षरता दूर की गयी ।

प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी, प्रतीत होता है, कि सरकार प्रयोग ही कर रही है और नवीनतम प्रयोग माडल स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है । 5000 सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में सरकार माडल स्कूल खोलेगी । इससे अमीर लोग ही लाभान्वित होंगे ।

सिंडीकेट तथा जनसंघ के नेता अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रुचि ले रहे है। अचानक वे मुस्लिमों के मित्र कैसे बन गये। हमें अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में पुनः विचार करना चाहिये। हमें साम्प्रदायिक तत्वों का सामना करना चाहिये।

हमें गजन्द्रगडकर आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिये। सरकार ने इसी प्रतिवेदन को ध्यान में रख कर अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक तैयार किया गया था। इस विधेयक में उपकुलपती को निरंकुश शक्तियां दी गई हैं। हमारा विचार था कि इस विश्वविद्यालय में लोकतंत्रीय प्रणाली के अनुसार कार्य होगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ। छात्रों को प्रतिनिधित्व उपहास मात्र रह गया है। इसी प्रकार के प्रतिवेदन के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय विधेयक बनाया गया है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में जनसंघ साम्प्रदायिक भावना और तनाव पैदा करने का प्रयत्न कर रहा है। बनारस विश्वविद्यालय प्रांगण में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय हटाने में सरकार को क्या कठिनाई है ? प्रयेक व्यक्ति जानता है कि उपभोक्त संघ अर्ध सैनिक प्रशिक्षण देता है। इसके बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विश्वविद्यालय में अपनी गतिविधियां जारी रखने की खुली छूट है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों को विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। वहां पर धारा 144 लागू होने के बावजूद जलूस निकाला गया और सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। संसद् के दोनों सदनों के 160 सदस्यों ने शिक्षा मंत्री और प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया था जिसमें सभी शिक्षा संस्थाओं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हटा देने की मांग की है। अब मैं सूझाव देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की विश्वविद्यालय प्रांगण में गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिये। क्या सरकार विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा संस्थाओं में सांप्रदायिक गडबड पैदा करने सम्बन्धी तत्वों का पता लगाने के लिये कोई उच्च स्तरीय आयोग नियुक्त करने के लिये तैयार है जिस में संसद् सदस्यों या 3 न्यायाधीशों को शामिल किया जायेगा ?

जहां तक खेल कूद का सम्बन्ध है हमें एक पृथक खेलकूद मंत्रालय बनाना चाहिये। इससे खेलकूद की और अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। ओलंपिक खेलों में छोटे छोटे देश भी हमारे से बहुत आगे निकल गये है। प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को भी खेलकूद की सुविधा दी जानी चाहिये। प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में खेल का मैदान होना चाहिये। गांवों के स्कूलों में भी खेलकूद सम्बन्धी सुविधाएं दी जानी चाहिये।

शिक्षा के मामले में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि क्या यह शिक्षा हमारे बच्चों के सामने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के आदर्श प्रस्तुत करने में समर्थ है ? खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाई-भतीजावाद और पक्षपात का बोलबाला है। मंत्री महोदय को इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिये।

*****श्रीमती बी० जयलक्ष्मी** (शिवकाशी) : वर्ष 1973–74 में समाज कल्याण निदेशालय में 38 करोड रुपये की मांग की गई थी परन्तु सरकार ने इसको घटा कर 13 करोड रुपये कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि सरकार समाज कल्याण की ओर कम ध्यान दे रही है। हमें पता चला है कि प्रशासनिक सुधार आयोग कि सिफारिश पर समाज कल्याण निदेशालय दिल्ली प्रशासन को सौपने का निर्णय किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार समाज कल्याण निदेशालय दिल्ली प्रशासन को सौंपे यह नहीं, केन्द्रीय समाज

***तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपान्तर।

***Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्रीमती वी० जयलक्ष्मी]

कल्याण बोर्ड को यथा शीघ्र बन्द कर देना चाहिये । उपरोक्त बोर्ड के लिये वर्ष 1973-74 में 3.34 करोड रुपये की धनराशि नियत की गई थी। यह सर्व विदित है कि इस राशि को मुख्यत: समाज कल्याण कार्य करने वाली स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देने के लिये थी, का 40 प्रतिशत भाग बोर्ड के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिये खर्च किया गया। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कार्य भी समाज कल्याण निदेशालय को सौपे जा सकते है क्योंकि वही काम बोर्ड द्वारा किया जा रहा है । वही काम निदशालय द्वारा किया जा रहा है । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड बन्द कर दिये जाने के बाद विधान सभा और संसद् के सदस्यों तथा राज्य के सुप्रसिद्ध समाज कल्याण कार्यकर्ताओं की एक समिति गठि की जानी चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इस समिति को अनुदान और सहायता देनी चाहिये और राज्य में काम करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं को इस प्रकार के अनुदान और सहायता देने की जिम्मेदारी इस समिति की होनी चाहिये । इस प्रकार से गठित समिति स्वीकृत धन राशि के उपयोग और कार्य की प्रगति पर ध्यान रख सकेगी। इन समितियों को राज्यों की राजधानियों में सीधे समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करना चाहिये । यदि यह सुझाव मान्य नहीं है तो मंत्री महोदय को स्वयं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का चयरमन बनना चाहिये ताकि वह बोर्ड द्वारा अपने कार्यक्रम बनाने में बोर्ड का प्रभावकारी ढंग से पथप्रदर्शन कर सके।

भारतीय महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिये श्रीमती फूलरेणु गुहा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने 19 महीनों की अवधि में एक प्रश्नावली तैयार की गई है और इस प्रश्नावली को तयार करने में भी समिति के सदस्यों में मतभेद था। मेरी समझ में नहीं आता कि यह समिति सितम्बर, 1973 तक अपना प्रतिवेदन कैसे प्रस्तुत कर सकेगी।

हमारे देश में महिला छात्रों और श्रमजीवी महिलाओं कि स्थिति बहुत शोचनीय है । इसके साथ ही नि:सहाय हरिजन महिलाओं और पिछडे वर्गों की महिलाओं पर अत्याचार किये जाते है । भारतीय महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

निराश्रित महिलाओं को सहायता देने के लिये वर्ष 1972-73 के बजट में 15 लाख रुपये की राशि रखी गई थी जिसको पुनरीक्षित प्राक्कलनों घटा कर 5 लाख रुपये कर दिया गया है । हमारे देश में 80 लाख निराश्रित महिलाओं के लिये यह धन राशि बिल्कुल अपर्याप्त है और इस बात को सुन कर और भी निराशा होगी कि 5 लाख रुपये की राशि का भी उपयोग नहीं किया गया प्रतीत होता है । इस लिये मेरा सुझाव यह है कि इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त धनराशि नियत की जानी चाहिये।

सरकार को मुख्यत: ग्रामीण जनता के कल्याण के लिये चलाई गई परिवार और बाल-कल्याण परियोजनाओं में भी सफलता नहीं मिली है । इस योजना के लिये वर्ष 1971-72 में 1.39 करोड रुपये की और वर्ष 1972-73 के लिये 1.68 करोड रुपये की धनराशि नियत की गई थी। वर्ष 1971-72 के अन्त में ऐसी 247 परियोजनाएं थी। इसका अर्थ यह है कि 2000 गांवों के लिये एक परियोजना बनाई गई थी। इस रफ्तार से अनेक पंचवर्षीय योजनाओं में यह कार्य पूरा हो पायेगा । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस महत्वपूर्ण योजना को समस्त देश में लागू करने के लिये शक्तिशाली कदम उठाए।

बच्चों और गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिये विशेष पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1970-71 में लाभ प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष में 20 रुपये की सहायता मिली थी । वर्ष 1971-72 में यह राशि 40 रुपये कर दी गई और वर्ष 1972-73 में इसको बढा कर 50 रुपये कर दिया गया। यदि इस योजना

को क्रियान्वित करने में प्रशासनिक व्यय पर ध्यान दिया जाये तो यह राशि 50 प्रतिशत कम हो जाती है । इस से पता चलता है कि इस योजना से बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंच रहा है और मंत्री महोदय को इस ओर स्वयं ध्यान देना चाहिये ।

हम काफी समय से नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड गठित करने के बारे में सुन रहे हैं परन्तु वह अभी तक अस्तित्व में नहीं आया। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में बन जायेगा। म मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह विकालांग बच्चों की सहायता करने की ओर अधिक ध्यान दें।

प्राथमिक शिक्षा की समस्या भी बहुत गम्भीर है । 100 बच्चों में से केवल 40 बच्चे पांचवी कक्षा तक और 25 बच्चे आठवीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं। सरकार पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के लिये 1030 करोड रुपये की राशि नियत कर रही है । इस से सिद्ध हो जाता है कि गत 25 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । फिर भी आशा है कि पांचवी योजना में इस कमी को दूर कर दिया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि अन्दमान और निकोबार दीप समूह में तमिल भाषा को भी शिक्षा का माध्यम बनाये क्यों कि वहां पर वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार तमिल भाषी जनता का दूसरा स्थान है ।

तामिल नाडु में स्नातक अध्यापक कोठारी आयोग की सिफारशों को क्रियान्वित करवाने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं । उनकी यह मांग न्यायसंगत है परन्तु द्रविड मुन्नेत्र कज़गम सरकार ने उनकी हड़ताल को दिबा दिया है ।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं ।

Shri Sudhakar Pandey (Chandouli) : I support the demands for grants of Education Ministry. It has been observed that education is not being given due importance. Whenever a cut is to be imposed, it is imposed on the allocations made for education. It was decided in principle that 10 per cent of the budget allocations would be spent on education but it has never crossed the limit of seven per cent. In this manner we cannot bring any revolution in the field of education. A demand was made that an enquiry should be conducted into the work done by the University Grants Commission but nothing has been done. The amount allocated for the said Commission should not be reduced. This commission has been giving crores of rupees to the Universities but degree colleges are not being provided with adequate funds. We should spread education in villages without which we cannot bring socialistic revolutions. In view of this I would suggest that the commission should provide adequate funds to these institutions even if they have to reduce the amount to be given to Universities.

A demand has been made that the Central Universities should be given autonomy. Politicians are playing with the future of students. The Government should see communal elements do not disturb peace and tranquility of the educational institutions. Ministry of Education should ban R. S. S. 'Shakhas'. It may further be stated that the problem will not be solved by replacing the Vice Chancellor. A handful of people, who are the social elements, are trying to disturb peace in Banaras Hindu University. Everyone should condemn it. It is wrong to suggest that U. P. Government has not given due cooperation. On the other hand present Government of U. P. is more co-operative than any other previous Government.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उप-कुलपति इस विचार से न्यायालय में गये थे कि उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग उन्हें नहीं मिलेगा। उस समय वहां संयुक्त विधायक दल की सरकार थी। अब त्रिपाठी सरकार है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ सांठगाठ किये हुए है।

Shri Sudhakar Pandey : I had a talk with the Vice-Chancellor last week and he told me that he is raceiving full cooperation from the U.P. Government.

When Banaras Hindu University Bill was being discussed, it was stated that Aligarh Muslim University Bill will also be drafted on these lines with minor additions and alterations. Now there should not be any hue and cry. I am not against democratisation of the University but at the same time there should not be any room for communalism.

The work of academies is not upto the mark.

There should be Academies in the country for the revival of the culture but the performance of the Academies has not been good so far.

Dr. Govind Das has talked much about Hindi. I am also a supporter of Hindi, but I do not consider Hindi as a breaking langugage. Hindi cannot develop until we have a feeling and resolve to replace the foreign langugage. Knowledge cannot be wide spread if it is not granted in Indian languages.

I would like to contgratulate the Ministry of Education for its good work, but I would like to say that the pace of its working is very slow.

An assurance was given regarding the setting up of an open University. A Committee was also set up for this purpose, but I do not know how long would it take for the Committee to submit its report.

Labour Universities or Workers' Universities should be set up at those places where heavy industries are situated and where thousands of workers are working.

If system of correspondance course does not prove to be sufficient, each of the Universities should be re-introduce the system of Private Eaminations. With these words, I support the demands of the Ministry of Education.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरे विचार में इस बात पर सभी सहमत हैं कि भोजन और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, परन्तु पिछले 25 सालों के दौरान हमारा देश ऐसी स्थिति में आ गया है कि हम भोजन और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में कमी महसूस कर रहे हैं।

यह बड़ी दुखद बात है कि कई वर्षों से शिक्षा मन्त्री पूर्ण मन्त्रिमंडल स्तर का मन्त्री नहीं रहा है। इससे पता चलता है कि सरकार शिक्षा को कितना महत्व दे रही है !

राष्ट्र के सर्वोच्च नेता राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और यहां तक कि शिक्षा मन्त्री भी सार्वजनिक मंच से यह कहते रहे है कि शिक्षा प्रणाली में मूलतः त्रुटि है और इसमें सुधार होना चाहिए, परन्तु उनमें इतना साहस नहीं है कि वे शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों को कार्यरूप दे सकें।

मुझे इस बात की खुशी है कि शिक्षा मन्त्रालय में दोनों मन्त्री प्रोफेसर है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों प्रोफेसर रिपोर्ट के कुछ अंशों को फिर से नया रूप दें। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वत्र गड़बड़ी और अव्यवस्था है। आजादी के 25 वर्ष बाद भी अभी तक सरकार 'भारत भवन' जैसी इमारत ही बना रही है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि नवयुवक नवीन विचारों, नवीन ज्ञान और नवीन निष्ठा से ओतप्रोत हों।

हम यह चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाय। यह कहना मात्र पर्याप्त नहीं है कि सरकार प्राइमरी शिक्षा को निशुल्क और सबके लिए अनिवार्य बनाने सम्बन्धी संवैधानिक निर्देश से अवगत है। कुछ स्कूलों में केवल अमीरों के बच्चे ही प्रवेश पाते हैं, और इस प्रकार सभी बच्चे अपनी क्षमताओं और शक्तियों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को चपरासियों और सफाई कर्मचारियों से भी कम वेतन मिलता है और उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे छात्रों के भविष्य का निर्माण करें।

कालेज और विश्व विद्यालय की शिक्षा के बारे में मुझे यह कहना है कि 25 साल की आजादी के बाद भी विश्व विद्यालय और कालेज ज्ञान में मन्दिर और सत्य सम्बन्धी शोध के संस्थान न होकर पुराने उपनिवेशवादी प्रणाली के प्रतीक रह गए है। प्रशासन का शैक्षणिक मामलों में जो हस्तक्षेप होता है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए।

प्रौढ शिक्षा को "निरन्तर शिक्षा" का नाम दिया गया है। मुझे इस बात का दुख है कि शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने प्रौढ शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को बहुत कम राशि दी है।

शिक्षा मन्त्रालय के लिए बहुत कम बजट की व्यवस्था की गई है। इससे पता चलता है कि शिक्षा को गलत प्राथमिकता दी जा रही है। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्वविद्यालय और कालेज राजनीतिज्ञों द्वारा किये जाने वाले हस्तक्षेपों से मुक्त रहें। चुनावों में हार जाने वाले राजनीतिज्ञों को उपकुलपति बना देने से शिक्षा में सुधार नहीं किया जा सकता।

अध्यापकों के रूप में सर्व श्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? उन्हें कम वेतन मिलता है, सेवा की असुरक्षा है और परीक्षण करने की स्वाधीनता नहीं है। यही कारण है कि खुराना और नारलीकर जैसे प्रतिभासंपन्न व्यक्तियों को विदेशों में जाना पड़ता है। अगर हम अच्छे अध्यापकों को भर्ती करना चाहते हैं, तो इन बाधाओं को समाप्त किया जाना चाहिए।

शिक्षा शिक्षा के विकास पर किया जाने वाला धन बेकार नहीं जाता क्योंकि कि यह धन अच्छे नागरिकों के निर्माण पर व्यय होता है।

श्री वाइ० एस० महाजन (बुलडाना) : शिक्षा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मुझे यह कहना है कि इस वर्ष के बजट में पिछले वर्ष के संशोधित बजट से 13 करोड कम राशि नियत की गई है। इससे पता चलता है कि शिक्षा केन्द्र द्वारा उपेक्षित विषय है।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI K. N. TIWARY *in the*]

हमारी शिक्षा का सबसे अधिक शोचनीय पहलू प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है। आज से 90 वर्ष पूर्व दादाभाई नौरोजी ने मांग की थी कि सम्पूर्ण भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। बाद में श्री गोखले ने भी यही मांग दुहराई। वर्ष 1919 के बाद राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ प्रयास किया है।

वर्ष 1947 में साक्षरता का प्रतिशत 14 था। आजादी के 26 साल बाद साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर केवल 39.51% ही हो सका। चौथी योजना के अन्त तक 85% बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। जो 15 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे होंगे, उनमें से अधिकांश लडकियां होंगी। पांचवी योजना में प्राथमिक शिक्षा के प्रति बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

[श्री वाई० एस० महाजन]

आज जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, वह निन्दनीय है। यद्यपि शिक्षा के स्तर के बारे में अनेक बार चर्चा की गई है, परन्तु शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कुछ प्रमुख सुधार किये जांय। हमें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में न केवल मैट्रिक पास व्यक्तियों को अध्यापकों के रूप में प्रशिक्षित करना चाहिए, अपितु स्नातकों को भी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

प्रत्येक विकास क्षेत्र में माडल प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। इनमें 50 प्रतिशत पिछड़े समुदायों के बच्चों को प्रवेश दिया जा सकता है और 50 प्रतिशत अन्य समुदायों के बच्चों को योग्यता के आधार पर लिया जा सकता है। ये माडल स्कूल विकास सम्बन्धी गतिविधियों के केन्द्रों के निकट स्थापित किये जा सकते है।

माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और उसके 10+2+3 वर्षों के रूप में वर्गीकरण के बारे में अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा है। सरकार को इस सम्बन्ध में योजना बनानी चाहिए और प्रत्येक जिले में 2 अथवा 5 ऐसे स्कूल होने चाहिए।

भारतीय विशेषज्ञों और विदेशी विशेषज्ञों ने जो विचार प्रकट किये है, उन्हें मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पांचवीं योजना के अन्त तक देश में अनिवार्य शिक्षा देने का लक्ष्य है। मेरा यह सुझाव है कि यह लक्ष्य अगले दो वर्षों के अन्दर प्राप्त किया जाना चाहिए।

Shri G. C. Dixit (Khandwa) : If an efficient and experienced person is given broken and bad equipment, he would not be able to work efficiently. Same is the case with our education system. The intelligence and potentialities of students and youth are not being properly utilised. The students are expected to help and cooperate in re-orientation of the society, but they cannot do so, as our courses and text books as well as education system was framed long back. After finishing his education, the student cannot get any job even with the help of bundles of degrees and certificates and he feels frustrated.

Now-a-days there is an atmosphere of rivalries and groupism among the senior teachers. Vice Chancellors are being appointed keeping in view the political considerations. Now there are no Vice Chancellors like Shri Madan Mohan Malviya, Dr. Paranjape, Shri Ganganath Jha, Shri Amar Nath Jha and Ashutosh Mukherjee etc. We were proud of the Universities like Allahabad, Benaras and Calcutta. If students are not kept away from the groupism, our universities cannot progress.

The students finish their education in the hope that they would get a job. They do not have dignity of labour. This is the greatest defect of our education system that it has not been able to encourage students to go towards industries.

There are two alternatives. Firstly, either Government should ensure jobs to each and every student or the Government should tell the students that they would have to do manual labour. When a student does not get any job after education, he feels frustrated.

The system of examination needs to be changed. The students do not get any real knowledge due to this system.

Examination system should have been changed as it is mainly based on craming and memory and it does not help mental development. The main object of our scheme was to make human capital. But today we are busy in making material capital instead of human capital. Now great emphas is is being loid on opening of aboratories. But I am unable to understand what

benefits will accrue from such laboratories, if training of their proper utilisation is not imparted. Mere development in any sphere will not help. We should also know the technique of putting that development to better use. That is why technology is being given priority these days. If brain will not develop according to the achievments of research efforts, it will not be possible to make progress. Thus there is need to have wide improvement in our syllabus too. Good examples from all the religions *viz.* Hindu, Muslim, Christian, Jain and Budh—should be selected and included in that text books, particularly in those books which are meant for primary schools.

A new wave of unionism has swept our universities. Colleges and Schools and for this wave our political leaders, irrespective of their ideologies, are mainly responsible. This is creating a state of lawlessness in the education field. This should be discouraged. It is responsibility of all not of Government alone, to make efforts to spread education and literacy among people. For this public and Government should work together.

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : Mr. Chairman, Sir, I would like to say a few words about the Department of Social Welfare working under this Ministry. A lot has been done for women but still there is a number of problem facing them. Strong steps should be taken for their safety. More facilities should be given to women employees. Equal pay for equal work should be given to them. They should not be transferred frequently. Maharashtra Government has published a report on problems facing women Government employees and suggestions for their solution have also been given therein. Government should take of all the valuable suggestions made therein.

Scheduled Tribes and Adivasis constitute fifth portion of the total population of India. There are about 38 crores people belonging to Scheduled Tribes and other tribes. Though certain provisions have been made in the Constitution for improving their lost, yet it is really unfortunate that they are still being subjected to cruelties and hardships. In collieries belt the land of Harijans and Adivasis have been acquired without giving any compensation to them.

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : Though I do not want to interrupt, yet I would like to say that the issue of welfare of Adivasis and Harijans has been transferred from the Department of Social Welfare to the Ministry of Home Affairs.

Shri Dhan Shah Pradhan : I support the point made by an hon. Member that there should be schools in tribal villages and free education should be imparted to their children. Recently, government grants were stopped to some schools in Shabadol district. I reguest the Government to restore their grants to the affected institutions as Shahdol is a tribul area. Morever, clubs should be opened in adivasi areas, where they can have some facilities of games etc., and can hear news etc., which will add to their general education.

Shri Amarsinh Chaudhari (Mandvi) : Proper arrangement of education is one of the essentials for the progress of a nation. No doubt that our country has made progress in industrial economic and scientific fields but I am sorry to say that in educational sphere we did much less. All the Prime Minister, Ministers of Education of various States, Chancellors and vice - chancellors of various universities who during an education conference held recently in Sewagram in Maharashtra agreed to the proposal that there should be change in our existing pattern of education, which was introduced by Britishers to serve there own interests. All want change. Yet no changes have so far been brought therein.

We loudly speaks in favour of new education — the education which makes a man self dependent, which in inculcates in him a feeling of service to humanity and which makes him a man of character. Such a pattern of education

[Shri Amarsinh Chaudhari]

has been introduced in Gujarat and Maharashtra. People appreciate this kind of education. But those who receive such education are not given due respect. A such institution named Gandhi Vidyapeetha is waiting for recognition.

Little attention has been paid to the expansion of primary education in rural areas. Most of the speakers asked for free education. But there are many villages where there are no building to house schools. Priority to such places should be given for building construction work. Hostels-cum-schools should be opened on large scale in tribal and hilly areas and in areas inhabitated by Harijans. Old age pension and pensions to handicapped persons should be made more liberal and voluntary organisations engaged in his service should be given encouragement. Primary health Centres should be well-equipped with medicines, medical appliances and staff proper arrangement of drinking water should be made in all such villages, where it does not exist at present.

श्री गिरीधर गामांगो (कोरापुट) : मैं शिक्षा, समाज-कल्याण और संस्कृति विभाग की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । मंत्री महोदय ने बताया है कि आदिवासी कल्याण का कार्य गृह मंत्रालय को दे दिया गया है । हमें आशा है कि गृह मंत्रालय से भी हमें संरक्षण प्राप्त होगा । संविधान के अनुच्छेद 46 में यह उपबन्ध है कि सरकार आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शिक्षा सम्बन्धी हितों की विशेष रूप से रक्षा करेगी । भारत में लगभग 212 जनजातियां हैं जिनकी बोलियां अलग अलग हैं । उनकी शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का समाधान खोजा जाये । आदिवासियों की बोलियों को लिखने के लिए लिपियां नही है । अभी तक सोमा और सन्थाल दो लिपियां अस्तित्व में हैं । जिनके विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । सन्थाल और सोमा नाम की आदिवासी भाषाओं को आदिवासी क्षेत्र मे शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए । जिन अध्यापकों को आदिवासी क्षेत्र मे नियुक्त किया जाये, उन्हें अधिक सुविधायें दी जानी चाहिए । स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या बढती जा रही है और शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है हम देश में समाजवाद लाना चाहते हैं । अतः हमारी शिक्षा भी समाजवादी किस्म की होनी चाहिए । जब तक शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती तब तक देश का अंधकार दूर नही होगा । अपने शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु सरकार को समुचित कार्यवाही करनी चाहिए ।

Shri T. D. Kambale (Latur) : Sir, there is a provision in the constitution of India for introduction of free and compulsory primsory education throughout the country. But that goal has not so far been achieved though so many years have elapsed since then. Full efforts should be made to introduce free and compulsory education in the country so that there may be proper arrangement of education in the rural areas.

Education plays a very important roll in human life. It constitutes basis for the progress of a nation. It reflects our character and conduct, our way of living etc. The ideal education is that which inculcates the geeling of patriotism, secularism, democracy and freedom among people of the country. Now the question is whether such education is being imparted our colleges and universities.

There are some institutions where some political leaders are using the students for there political ends. This is very bad on the part of our political leaders irrespective of their parties. Students should not be instigated and persuaded like this. I want our students to be good citizens of tomorrow. For this we should have good syllabus. There is great need for bringing about radical changes in the present syllabus. We will have to bring about revolutionary changes in our present system of education, as all educated persons cannot be provided jobs. We should assess our requirements of clerks, doctors, engineers and agriculturists and accordingly we should impart education, to our youngmen

In the new system of education general education should be clubbed with technical educatiors so that every educated person may not run after job and he may stand on his own feet by starting some industry.

Education is an important subject and the budget for it should be increased. The amount allocated for luxury items should be reduced. If the budget for education is reduced, government will not be able to introduce free education during the coming five years.

As regards private educational institution, I would like to say that their owners have made them the sources of their income. They receive large amounts of grants from Government also. There should be check on the activities of such institutions. Teachers particularly in villages should be provided residential accommodation. Government should see that such facilities are made available to teachers then they will take more interest in teaching students.

श्री मालजी भाई परमार (दोहद) : श्रीमान, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के लिए वर्ष 1973–74 के लिए 12,580.22 लाख रुपये का बजट रखा गया है, मेरे विचार से शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से यह पर्याप्त नहीं है । हमें ऐसी शिक्षा पद्धति अपनानी चाहिए, जो रोजगार-प्रधान हो और जिससे बेरोजगारी की समस्या हल हो जाये तथा शिक्षित लोगों में व्याप्त असंतोष समाप्त हो जाये । वर्ष 1971-72 और 1972-73 में 60,000 शिक्षित लोगों को प्राथमिक शिक्षा के लिए अध्यापक नियुक्त किया जायेगा । केन्द्र ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को इसके लिए पूर्ण सहायता दी है । यह श्री गणेश शुभ है ।

जहां तक प्रौढ शिक्षा का सम्बन्ध है, यह कार्यक्रम सरकार की ओर से भी चलाया जाना चाहिए और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में यह कार्य प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को सौंपना चाहिए तथा इसके लिए अपेक्षित सामग्री सरकार द्वारा निःशुल्क दी जानी चाहिए ।

युवक कल्याण कार्यक्रम के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि देहातों में खेल-कूद केन्द्र खोले जाने चाहिए जिससे ग्रामीण युवकों में उत्साह बढे । प्रत्येक जिला और तालुक स्तर पर युवक केन्द्र होने चाहिए । शारीरिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए । जहां तक स्कूलों में भोजन देने की व्यवस्था का सम्बन्ध है, मेरे विचार से सुखा पीडित क्षेत्रों के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य बना देनी चाहिए । आदिवासी क्षेत्रों में सरकार को आश्रम स्कूल खोलने चाहिए । आदिवासी क्षेत्रों में जो माध्यमिक स्कूल है, उनके भवन निर्माण स्टाफ क्वार्टर्स तथा विज्ञान एवं प्रयोगशालाओं पर होने वाला सम्पूर्ण खर्च केन्द्रीय सरकार को देना चाहिए । 'बलवाडीज' कार्यक्रम पूरे आदिवासी क्षेत्र पर लागू किया जाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षा प्रौद्योगिकी परियोजना (एजूकेशन टेक्नालाजी स्कीम) लागू की जानी चाहिए और वहां शिक्षा प्रसार और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए फिल्मों—रेडियो-प्रसारणों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

खड़गपुर, कानपुर, मद्रास, दिल्ली और बम्बई स्थित प्रौद्योगिकी संस्थानों से प्रतिवर्ष कितने छात्र प्रशिक्षित होकर निकलते है और उनमे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता क्या होती है, इसका स्पष्ट उल्लेख मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में किया जाना चाहिए । क्या इन जातियों और जनजातियों के छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रावधान है, यदि नहीं, तो क्या ऐसा भविष्य में किया जायेगा ?

Shri Lalji Bhai (Udaipur) : Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है ।...... अब सभा में गणपूर्ति है । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखे।

श्री मालजी भाई परमार : अन्त में मेरा यही कहना है कि शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को अध्यात्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जिससे उनके चरित्र का निर्माण हो और वें अनुशासनप्रिय बन जायें।

Shri Rudra Pratap Singh (Barabanki) : Archaeological finds, monuments and art treasures through light on the history of the country. There have been many agressions on this country and on the circumstances it is necessary that our monuments got destroyed during those agressions. I am happy to note that all the monuments of the country are maintained in a secular way.

In this connection I would like to point out that funds provided for this purpose are not sufficient. Therefore, this provision should be increased. Only then we may be able to do research in history. I would also request that gardens attached to the monuments should be maintained in accordance with the style of the monument.

Mr. Speaker : The hon. Member may continue tomorrow.

सियालदाह डिव्हीजन (पूर्व रेल्वे) पर विशेष रेल गाडीयां चलाने से आय **

*EARNINGS BY RUNNING SPECIAL TRAINS ON SEALDAH DIVISION (EASTERN RAILWAY)**

डॉ० सरदीश राय (बोलपुर) : 21 फरवरी 1973 को मैंने एक प्रश्न के भाग (क) में 31 दिसम्बर 1972 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान पूर्वी रेलवे के सियालदाह स्टेशन से चलाई गई विशेष गाडियों की संख्या पूछी थी जिसके उत्तर में मंत्री महोदय ने 424 विशेष गाडियां चलाये जाने की बात बताई थी। प्रश्न के भाग (ख) में मैंने पूछा था कि इन गाडियों से कितना अतिरिक्त यात्री किराया प्राप्त हुआ । उसके उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि ये आंकडे गाडी वार नहीं रखे जाते है । भाग (ख) में मैंने पूछा था कि पिछले सप्ताह की तुलना में इन आंकडों की स्थिति क्या है ? इसके उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि 20 दिसम्बर 1972 को समाप्त हुई अवधि की तुलना में 31 दिसम्बर 1972 से समाप्त हुई अवधि के आंकडों में 54 हजार की वृद्धि है । मैंने 31 दिसम्बर 1972 और 24 दिसम्बर 1972 की स्थिति पूछी थी न कि 20 दिसम्बर 1972 की। यदि मंत्री महोदय ठीक स्थिति बताते तो उससे पता लगता कि अतिरिक्त आय 54,000 रुपये नहीं उससे कम थी। इस बात को छिपाने के लिए ही मंत्री महोदय

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रुपान्तर ।

Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Bangla.

**आधे घंटे की चर्चा

Half an Hour Discussion

ने 20 दिसम्बर 1972 की स्थिति बताई । इन आंकडों के अनुसार प्रति विशेष गाडी से 127 रु० से कम की आय हुई । यदि 24 दिसम्बर 1972 के आंकड़े बताये जाते तो यह आय और भी कम बैठती । सियालदाह डिवीजन में 209 जोडी गाडियां प्रतिदिन चलती है इनमें से केवल 4 गाडियां लम्बी दूरी की होती है और शेष स्थानीय गाडिया है । इन गाडियों में बहुत अधिक भीड रहती है। यात्री पायदान पर खडे होकर यात्रा करते हैं । अतः इस डिविजन में बहुत दुर्घटनाएं होती है । सरकार ने एक सप्ताह में जो अतिरिक्त 15 प्रतिशत गाडियां चलाई क्या उससे यह नहीं सिद्ध होता कि इस डिवीजन में कम से कम 15 प्रतिशत अतिरिक्त गाडियां चलाई जा सकती है। क्या सरकार इस अनुभव को देखते हुए इस डिवीजन में नियमित गाडियों की संख्या बढाने के प्रश्न पर विचार करेगी।

इन विशेष गाडियों के बारे में कुछ समाचार पत्रों ने कहा है कि ये विशेष गाडियां 'तमाशे' के लिए चलाई गई थीं। वास्तव में ये गाडियां जनता को सत्तारुढ दल के वार्षिक सम्मेलन में ले जाने के विचार से चलाई गई थीं। इससे प्रतीत होता है कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है **(अन्तर्बाधा)** । इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय विभागों और राज्य सरकारों ने अपना योगदान दिया है । सरकारी उपक्रमों व उद्योगपतियों से उसके लिए पैसा लिया गया है । 15,000 पुलिस कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया गया है । सेना की सहायता से एक विशेष पुल का निर्माण किया गया है । इन सब बातों को छोड़ कर मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि ये विशेष गाडियां किस कारण चलाई गई थी। केवल सियालदाह में ही नहीं हावडा डिवीजन में भी विशेष गाडियां चलाई गई थी । एक विशेष बस चलाने का खर्च ही 127 रुपये से अधिक आता है परन्तु विशेष गाडियां चलाई गई जिनसे इससे भी कम आय हुई । यहां तक कि रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया। यह तो एक पहलू है परन्तु दूसरी ओर अन्य विरोधी दलों ने 4 अक्टूबर, 1972 तथा 26 नवम्बर, 1972 को कलकत्ता में अपनी मीटिंग आयोजित की तो पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता से वैध टिकटों वाले यात्रियों को भी गाड़ियों से उतार दिया गया। 28 मार्च 1973 को मार्क्सवादी तथा अन्य वामपन्थी दलों नें कलकत्ता में एक रैली का आयोजन किया परन्तु उसे असफल बनाने के लिए अधिकारियों ने हर उपाय किया । लोगों को रास्ते में रोका गया । अपने काम के लिए तो सत्तारुढ दल रेल सुविधाओं का गलत उपयोग करता है और दूसरे दलों के वैध टिकट धारियों को भी यात्रा नहीं करने दी जाती है। पटना से विशेष गाडियां चलाई गई और 28 मार्च 1973 को हुई बिना टिकट यात्रा के विषय में चर्चा के दौरान रेल मंत्री ने सूचित किया था कि सम्बद्ध दल ने विशेष गाडियों के पैसे जमा करवा दिये थे । क्य. कांग्रेस पार्टी ने इन 424 विशेष गाडियों के लिए कोई पैसे जमा करवाए थे और यदि हां, तो प्रत्येक गाड़ी के लिए कितने ? विशेष गाडियां चलाने के बारे में जो नियम है उन्हें सत्तारूढ़ दल के लाभ के लिए तोड़मरोड़ा जाता है। परन्तु जब विरोधी पार्टिय यह सुविधाएं मांगती हैं तो उन्हें अग्रिम धन राशि जमा कराने को कहा जाता है। मैं जानन चाहता हूं कि इस सप्ताह रेलवे के कितने अधिकारी तथा रेलवे बोर्ड के कितने अधिकारी सियालदाह स्टेशन पर भेजे गये थे ? इन 424 गाडियों में से कितनी गाड़ियां लम्बी दूरी की थी ?

***श्री अजित कुमार सहा (बिष्णुपुर)** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य राजनैतिक दलों के वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर भी विशेष गाड़ियों के चलाने की अनुमति दी जाती है? यदि हां, तो किन किन दलों को यह सुविधा दी गई है और कितनी गाडियां चलाई गई? क्या कांग्रेस पार्टी ने इन गाडियों को चलवाने के लिये अग्रिम धनराशि जमा करवाई

*बांगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपांतर ।

*Summarised translated version based on English translaton of speech delivered in Bangla.

[श्री अजित कुमार सहा

थी और यदि हां, तो कितनी ? क्या यह सत्य है कि मार्क्सवादी दल द्वारा 4-10-72 और 21-11-72 को कलकत्ता में सम्मेलन के अवसर पर पुलिस की सहायता से वैध टिकट धारियों को भी यात्रा करने से रोका था? विशेष गाडियों के बारे में कितने अधिकारियों को कलकत्ता भेजा गया है और उन पर कितना व्यय हुआ ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : इस चर्चा के संबंध में मेरा विचार यह था कि यह रेलों की वित्तीय व्यवस्था के बारे में है। परन्तु अब मुझे पता चला है कि माननीय सदस्य की चिंता का विषय भिन्न है। मैं सब से पहले यह बताना चाहता हूं कि इन विशेष गाड़ियों को चलाने के लिए किसी राजनैतिक दल ने नहीं कहा था। ये गाड़ियां लोगों की भीड़ को देख कर चलाई गई थी और लोगों ने ही उसके लिए किराया अदा किया था।

माननीय सदस्य ने जब यह कहा कि प्रत्येक गाड़ी से 127 रुपये की आय हुई तो वे यह भूल गये कि ये थोड़ी दूरी की गाड़ियां थीं। फिर दैनिक यात्रियों ने भी इनका उपयोग किया था। यात्रियों की भीड़ आदि को देखते हुए यह विशेष गाडियां चलाई गई थी। किसी अन्य दल के साथ इस बारे में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। किसी भी पार्टी ने जब विशेष गाड़ियां चलाने की मांग की हैं तभी वे गाड़ियां चलाई गई थी।

मार्क्सवादी दल ने कलकत्ता और दक्षिण से पंजाब के लिए लम्बी दूरी की गाड़ियों की मांग की और यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई।

माननीय सदस्य ने कहा है कि इन गाडियों के कारण जनता को कठिनाइयां हुई है। जैसा कि मैंने बताया है यह गाडियां भीड़ को देख कर ही चलाई गई थी। नियमित यात्रियों की कठिनाइयों को हल करने के विचार से ही रेलवे अधिकारियों को वहां पर भेजा गया था। जब भी विशेष गाड़ियां चलाई जाएं तो अधिक संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता तो पड़ती ही है। अतः किसी दल के साथ विशेष व्यवहार नहीं किया गया।

यह कहना गलत है कि हमारे राजस्व में कमी हुई। राजस्व में लगभग 54,000 रुपये की वृद्धि हुई थी। वास्तव में उत्तर में थोड़ी सी गलती हो गई थी। 20-12-72 के स्थान पर 30-12-72 लिख दिया गया था।

आय और व्यय का ब्यौरा गाड़ी अनुसार नहीं रखा जाता है। माननीय सदस्य ने विशेष अवधि के आंकड़े मांगे थे। हमने उनको देने का प्रयास किया है। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि रेलवे को कोई हानि नहीं हुई और किसी को बिना टिकट यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। जब कभी भी ऐसे अवसर आते हैं प्रायः जाने के समय अधिक भीड़ रहती है और वापसी की यात्रा में कम भीड़ होती है। यह कहना भी गलत है कि 424 गाडियां चलाई गई थी। 25 से 29 दिसम्बर तक हर रोज 38 गाडियां चलाई गई और 30 तारीख को 22 गाडियां चलाई गई। इस प्रकार 212 अप गाडियां चलाई गई और 212 डाउन गाड़ियां चलाई गई।

हमारे लेखे तीन-महीनों के आधार पर तैयार होते हैं। हमने उसमें से 10 दिन की आय निकाली है। निराधार आरोप लगाना उचित नहीं है। भिन्न टिकट यात्रा और रेलवे अधिकारियों की सेवाओं के उपयोग में जो आरोप लगाए गए है वे सभी निराधार हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 5 अप्रैल, 1973/15 चैत्र, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, April 5, 1973/Chaitra 15, 1895 (Saka).

भा स० म० ना०—वि० 3—8 एल० एस० एस० 73—18-7-1973—490